खण्ड-303, अंक-5
बुधवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1895
(4 अप्रैल, 1973 ई0)

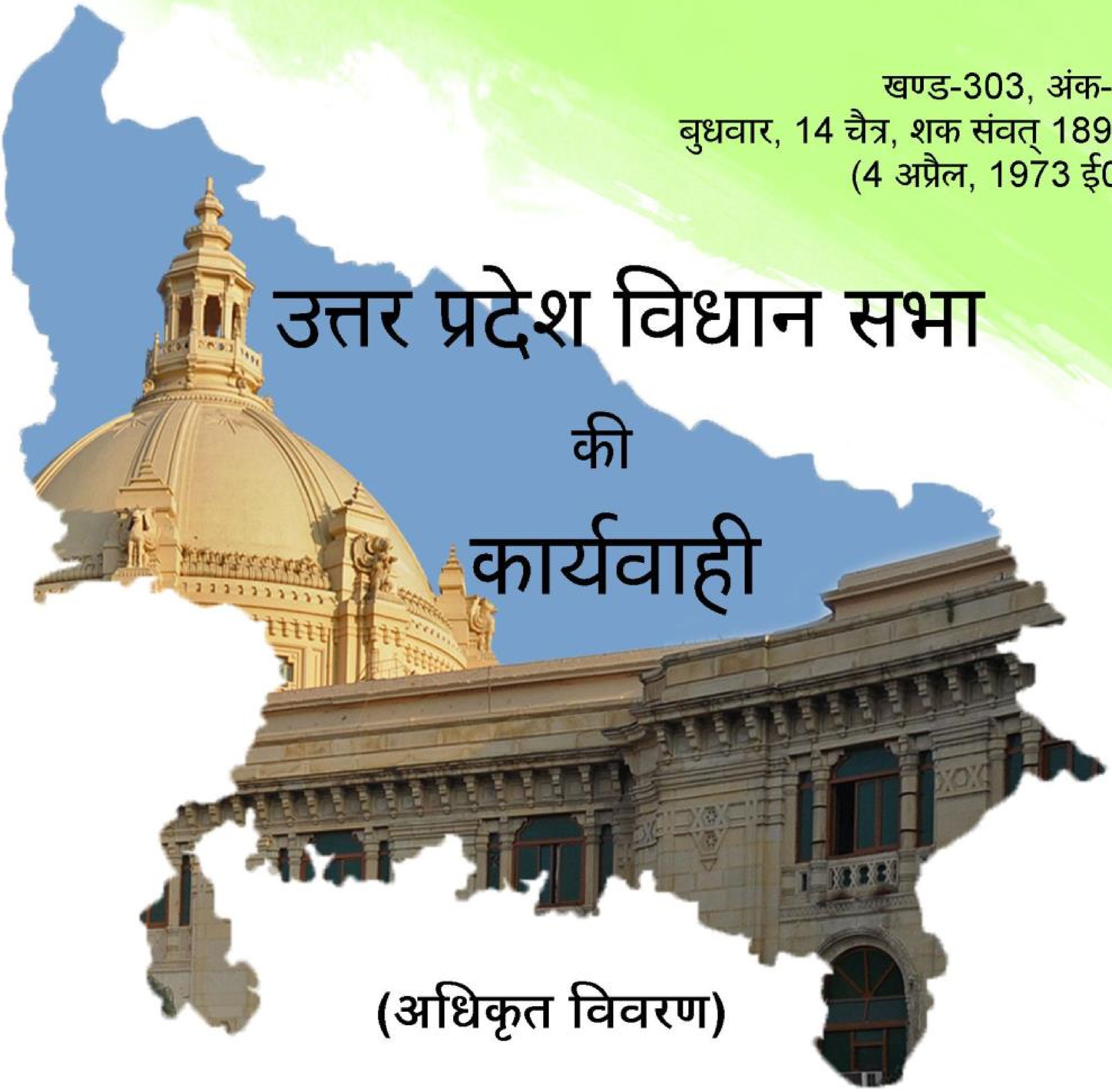

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 303 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 4 अप्रैल, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य --349

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रमणि ,श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0 एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री

चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भामी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री

रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री

सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोटः—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार /4 अप्रैल 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला परिषद्, लखनऊ के सेवा निवृत्त अधीक्षकों को पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान

**1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सही है कि जिला परिषद्, लखनऊ के पिछले तीन वर्ष के सेवा निवृत्त अधीक्षकों को अब तक पेंशन, ग्रेच्यटी आदि का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

सामदायिक विकास उप-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

जी हां।

इस प्रकार के केवल दो मामले हैं। जिला परिषद के कर्मचारियों को पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश के सत्यापन एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत की जाती है। इन कर्मचारियों के मामले अब भी परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के विचाराधीन हैं, उनके सत्यापन के बाद ही भुगतान सम्भव हो सकेगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वे दो व्यक्ति कौन-कौन हैं और उनके पेंशन के कागजात स्थानीय निधि लेखा परीक्षक को सत्यापन के लिये कब भेजे गये थे और इस विलम्ब का क्या कारण है?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

ये दो व्यक्ति हैं श्री लक्ष्मी नारायण शुक्ल, अधीक्षक कर और दूसरे हैं श्री सद्गुरु प्रसाद सिन्हा, कर अधीक्षक। 4 अगस्त, 72 को स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा विवरण मांगने पर उसे 14 नवम्बर को भेजा गया था। उसके बाद भी हमने दो रिमाइंडर्स एक 15 दिसम्बर को और दूसरा 15 फरवरी को भेजा है लेकिन अभी तक इस मामले का हल नहीं हो पाया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह जब तक कि फैसला नहीं हो जाता, उनको भी पेंशन व ग्रेच्युटी तुरन्त दिलाने का आदेश देने की कृपा करेगी, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि पेंशन व ग्रेच्यूटी का मामला इस सम्बन्ध में इलाहाबाद के लविल पर जल्द से जल्द हल हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

ये पूछ रहे हैं कि कोई टेम्पोरेरी हेल्प आप दे सकते हैं क्या ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

ग्रेच्यूटी का मामला सम्भवतः इनका हो गया है। ग्रेच्यूटी जो 13 महीने की मिलती है वह तो उनको मिल चुकी है। अब केवल पेंशन का मामला है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सामान्यतः क्या कोई ऐसा नियम है कि किसी कर्मचारी को जो रिटायर होता है, उसकी रिटायरमेंट की तारीख से 6 महीने पहले ही पेंशन के कागजात तैयार हो जाने चाहिये ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, इनके कागजात गये मई में। इन्होंने तीन महीने का समय मांगा है और सम्भवतः वे तीन महीने में दे देंगे। मेरी तरफ से बेहद कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इनका काम कराया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

प्रश्न यह है कि सामान्य नियम क्या है, कितनी देर में आ जाने चाहिये ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी शासन की तरफ से ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि भविष्य में यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने वाले हों, और जैसा कि माननीय गोविन्द सिंह नेगी ने कहा—उनके कागजात 6 महीने पहले ही तैयार कर लिये जायं जिससे भविष्य में कर्मचारियों को असुविधा न हो ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

सुझाव अच्छा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर भी विचार करेंगे कि पेंशन व ग्रेच्यूटी के मामले सम्बन्धी कागजात तैयार करने के लिये कोई डेड लाइन निश्चित कर दी जाय कि इतने दिन के अन्दर पेंशन का भुगतान हो जाना चाहिये ? ऐसा कोई निश्चित आदेश करने के लिये सरकार तैयार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

हम तो अब भी यही प्रयास करते हैं लेकिन पेंशन तथा ग्रेच्यूटी का सम्बन्ध अरिथमेटिक से है, इसमें जो झमेला पड़ता है वह उन विवरणों के आदान-प्रदान में होता है, उसके लिये डेड लाइन क्या फिक्स हो सकती है जब कागजात तैयार हो जाते हैं और लोकल फंड एगजामिनर सैटिसफाई हो जाते हैं तभी व्यवस्था हो पाती है।

श्री ए० सी० प्राइस (जिला कानपुर)—

अक्सर पेन्शन और ग्रेच्युटी में और प्राविडेंट फंड देने में इलाहाबाद में बड़ा कानून छांटते हैं। कोई इस तरह की चीज हो जाय कि 6 मास में पेंशन मिल जाय। नर्सेज वगैरा जो रिटायर होती हैं वह 2–3 साल तक पैसा न मिलने से भूखे मर जाती हैं उनकी पेंशन लटकी रहती है। इलाहाबाद से जल्दी कराई जाय तो अच्छा है।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

हमारा प्रयास यही है और कोई रास्ता निकाल सकेंगे तो जरूर निकालेंगे कि ऐसा को इन्तजाम हो जाय।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)—

गवर्नमेंट आफ इंडिया में यह रूल है कि 2 साल पहले से पेंशन वगैरा के पेपर्स तैयार हो जाते हैं और नतीजा यह होता है कि जैसे ही आदमी रिटायर होता है वैसे ही उसे पेंशन मिल जाती है। यह बड़े अफसोस की बात है और इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को फख्र नहीं करना चाहिये कि रिटायर्ड आदमी भूखे मरे और मर जायं। क्या आप भी 2 साल पहले से पेन्शन पेपर्स तैयार करायेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

इसमें थोड़ी सी स्थिति मैं साफ कर दूं। मई, सन् 71 में हम ने यह प्राविजन किया और 72 की मई में उसको इम्पलीमेंट करने का प्रयास हुआ। पेन्शन की सुविधा हाल में ही मई, 72 में दी गई है और तभी से इस विषय में कार्य आरम्भ किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उनका सवाल तो भिन्न था, माननीय किदवई जी ने सवाल किया है कि जैसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट का नियम है क्या वैसे ही आप भी नियम बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि क्या आप भी केन्द्र की तरह 2 साल पहले से पेपर्स पेन्शन के बनाने के सम्बन्ध में वैसा ही नियम अपने यहां बनायेंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

अगर हमें यह महसूस हुआ कि अधिक विलम्ब होता है। यह आदेश पिछली मई में ही हुआ है यदि उसके इम्पलीमेंटेशन में पाया गया कि अधिक विलम्ब हो रहा है तो जो रास्ता निकाला जा सकेगा वह निकाला जायगा चाहे वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के पैटर्न पर हो या आप के सुझाव के आधार पर हो।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

आज की तिथि में कितने ऐसे पेन्शन के मामले विचाराधीन हैं जिनको कि अभी तक पेन्शन नहीं मिली है ? क्या इसके लिये आप किसी स्पेशल आफिसर की नियुक्ति करेंगे ताकि जल्दी इन केसेज का निपटारा हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इतना वह कैसे बता सकते हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

जैसा कि प्राइस साहब ने कहा कि पेंशन का मामला 2 साल में तय हो जाना चाहिये तो मैं जानना चाहता हूं कि लक्ष्मी नारायण शुक्ल ने जो पत्र आप को भेजा है या उपसचिव, पंचायत

[राज विभाग को जिसका कोई निर्णय 6 मास के भीतर नहीं हुआ है क्या उसमें उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, इस प्रकार का कोई पत्र हमारे पास नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रमिक संघ की मांगें

*1—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रमिक संघ के कार्यकर्त्ताओं ने संघ द्वारा प्रेषित मांगों पर संतोषजनक कार्यवाही न होने के विरोध मे 15 जनवरी से 23 जनवरी, 1973 तक श्रमिकों ने भूख हड़ताल किया था जिसके फलस्वरूप दिनांक 17 जनवरी, को संघ के प्रतिनिधियों तथा उप-मुख्य अभियन्ताओं के बीच वार्ता भी हुई थी? यदि हां, तो इस वार्ता में संघ द्वारा प्रेषित किन मांगों को उपमुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकार किया गया और किन मांगों को शासन को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया?

सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री (श्री वीरबहादुर सिंह)—

शासन को जानकारी नहीं है कि भूख हड़ताल किया या नहीं ।

जी नहीं । दिनांक 18-1-1973 को संघ के प्रतिनिधियों तथा उप मुख्य अभियन्ता के बीच वार्ता अवश्य हुई थी।

उप मुख्य अभियन्ता द्वारा संघ के प्रतिनिधियों को सभी मांगों की वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया गया । संघ के प्रतिनिधियों को यह भी बताया गया कि मुख्य अभियन्ता द्वारा पे-ग्रेड में कार्य करने वाले कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन क्रम में संशोधन करने हेतु एक कमेटी नियुक्त की जायगी ।

कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगें शासन को विचारार्थ प्रेषित की गयीं:—

(1) कार्यप्रभारित कर्मचारियों को नियमित कमचारियों के समान वेतन दिया जाय ।

(2) नियमित किये गये कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिये पदोन्नति नीति अपनाई जाय ।

(3) मशीनों इत्यादि पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को वर्दी दी जाय ।

(4) नियमित कर्मचारियों को स्थायी किया जाय ।

(5) पी० डब्लू० डी० में लगे निर्माण और अनुरक्षण कार्यों में लगे मजदूरों को, औद्योगिक मजदूरों की समस्त सुविधायें दी जायं ।

श्री दुर्जन—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कमेटी बनायी जाने वाली थी, क्या वह गठित हो गयी है? यदि नहीं, तो कब तक गठित हो जायगी?

श्री वीरबहादुर सिंह—

कमेटी गठित कर दी गयी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जितनी भी उनकी मांगें हैं, उन सबके ऊपर सरकार को निर्णय लेना है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

ये जो कार्य प्रभारित कर्मचारी हैं, उनका एक रेट निर्धारित है, उसमें यह कहा गया है कि उसका संशोधन फिर से किया जाय, इसलिये यह कमेटी बनायी गयी है।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

जो समिति बनायी गयी है उसमें कौन-कौन सदस्य हैं, और उनके क्या-क्या नाम हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

उसमें 2 एस0 ईज हैं और 2 एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स हैं।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समिति ने क्या कुछ कार्यवाही की है और जो रिपोर्ट होगी, क्या उसको मानने का मन्त्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

18-1-73 को यह समिति बनी है। इस पर अपनी कार्यवाही करके जो संस्तुति आयेगी, उस पर शासन विचार करेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे उनकी 1-2 मांगें बता दें और यह बता दें कि उनको मानने में उन्हें क्या दिक्कत हैं ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

जो उनकी मांगें हैं, उन्हें पढ़ दिया गया है।

श्री रामगोपाल संड—

उत्तर पढ़ते समय माननीय मन्त्री जी ने बताया कि उनकी मांगें हैं कि उनको स्थायी किया जाय, वेतन बढ़ाया जाय और उनको वर्दी दी जाय। ये ऐसी मांगें हैं जो अन्य कर्मचारियों के लिये होती ही हैं, जैसे उनको स्थायी किया जाता है, वेतन में वृद्धि भी होती है और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों को वर्दी भी मिलती है तो जब तक रिपोर्ट न आ जाय, इन मांगों को मानने में क्या कठिनाई है, सरकार को ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह समिति दूसरे कामों के लिये भी बनायी गयी है, बहुत मांगें तो उनकी मान ली गयी हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन-जिन मांगों को सरकार ने मान लिया है, वे क्या-क्या हैं और अन्य मांगें, जो नहीं मानी गयी हैं ? उनपर भी शासन विचार करके निर्णय लेगी क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट पर भी शासन को ही निर्णय लेना है तो क्या शासन स्वयं विचार करके जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करने का कष्ट करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो मांगें मान ली गयी हैं वे ये हैं—

(1) गैंग हटों को खाली कराकर मजदूरों के आवास हेतु उपलब्ध कराना।

(2) कार्य-प्रभारित मजदूरों को न्यूनतम 105 प्रतिमास दिया जाना।

(3) मजदूरों का मुख्यालय निर्धारित किया जाना।

(4) कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को भी स्थानान्तरण होने पर सामान्य दर पर टी० ए० तथा डी० ए० दिया जाना।

(5) रेगुलर कर्मचारियों का अन्य राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली समस्त अवकाशीय सुविधाओं का दिया जाना।

(6) मेकनिकल स्टाफ तथा लैब व्यय व जूनियर असिस्टेंटों के वेतन-क्रमों को संशोधित करने पर विचार हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा एक समिति गठित कर दी गयी है।

जिला देवरिया के नलकूप संख्या 64 पी० जी० का बन्द होना

*2—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नलकूप संख्या 64 पी० जी०, जिला देवरिया गत 6 माह से बन्द पड़ा है? यदि हां, तो क्यों और सरकार उसके चलाने के लिये क्या कर रही है?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

जी हां। यह नलकूप दिनांक 1-8-72 से बन्द है। अत्यधिक बालू आने से नलकूप फेल हो गया है। इसके पुनः निर्माण करने का विचार नहीं है। क्योंकि क्षेत्र गण्डक नहर के कमाण्ड में पड़ता है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस नलकूप वाले क्षेत्र से होकर कोई नहर की साखा निकल गयी है या निकलने वाली है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

निकलने वाली है।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शाखा निकलने वाली है, उसका नाम क्या है और क्या उसके लिये कोई भूमि एक्वायर की गयी है?

श्री राजबिहारी सिंह—

मैंने निवेदन किया है कि शाखा प्रस्तावित है। भूमि अध्याप्त करने की नोटिस दी जावेगी, तब कार्यवाही शुरू होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं, मान्यवर, मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी सरकार ने यह बताया कि वहां एक माइनर का प्रस्ताव है, इसलिये वहां फिर इस नलकूप को लगाना मुनासिब नहीं है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसा निर्णय ले लिया है कि जितने भी नलकूप इस प्रकार किसी नहर के एरिया के अन्दर आवेंगे, उन सब नलकूपों को उखाड़ दिया जायगा?

श्री राजबिहारी सिंह—

शासन का यह निर्णय हुआ है कि अगर कोई ट्यूब वेल खराब हो जाता है, तो उसको नया बना दिया जाय। चूंकि यह नहर एरिया में सम्मिलित है, इसलिये इस मामले में निर्णय लिया गया है कि यहां ट्यूब वेल न लगाया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनारस जिले में चन्दौली तहसील में नहरी एरिया में इस समय कितने नलकूप लगाने का प्राविधान है?

श्री राज बिहारी सिंह—

जहां तक मुझे ज्ञात है, एक का भी प्राविधान नहीं है। माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे, तो पता लगवा लेंगे।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, प्रदेश में इस समय बहुत से नलकूप ऐसे हैं जो 6 महीनें और साल भर के अर्से से बन्द पड़े हैं। मैं यह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन नलकूपों के खराब पड़े रहने की सूचना शासन को कब प्राप्त हुई है और क्या मन्त्री जी कोई ऐसा तरीका अपनावेंगे कि नलकूपों के खराब होते ही 30 दिन के भीतर शासन को यह सूचना मिल जाय ताकि वे ठीक किये जा सकें और अगर सूचना न मिले तो उन अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करें?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, नलकूप खराब होने और फेल होने में दो बातें हैं। अगर मशीनरी खराब हो जाती है तो व्यवस्था है कि मिस्त्री ठीक कर देता है लेकिन अगर बजाय पानी के बालू निकल रही है, तो फिर वह फेल समझा जायगा।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, जब मैंने वहां अधिकारियों से कहा था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द 1/2 महीनों में बन जायगा या नई बोरिंग उसके पास करवा देंगे, लेकिन आज असेम्बली में जवाब इस प्रकार का दिया जा रहा है। तो क्या मन्त्री जी निश्चित जानकारी देंगे कि यह नहर कब तक बन जावेगी? तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कितने वर्षों में निकल जायेगी और तब तक सिंचाई का क्या इन्तजाम करेंगे?

श्री राजबिहारी सिंह—

जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है उसको मैं ग्रहण करता हूं और जानकारी प्राप्त करके सूचना दे दूंगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ट्यूब वेल किस सन् में बना और क्या इससे पहले इसका सर्वे हो गया था?

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर ऐसा लगता है कि मेरे और आपके बीच में यह माइक्रोफोन पड़ता है इसलिये मेरे ऊपर आपकी दृष्टि नहीं जा पाती?

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

तब फिर मान्यवर, मुझे क्यों नहीं अवसर मिलता। देवरिया का मामला है, मुझे भी मौका दें।

श्री बलवीर सिंह—

आपकी और अध्यक्ष जी की आंखें 4 होकर चकाचौंध हो जाती हैं।

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार यह ट्यूबवेल सन् 1965 या 66 में बना होगा और तब से यह ट्यूबवेल चलता रहा और 40 हजार गैलन प्रति घण्टे के हिसाब से पानी देता रहा। इसके बाद कुछ दिनों तक चलने के बाद उसमें इतनी बालू आने लगी कि पानी नहीं निकल सका, इसलिये फेल हो गया।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ट्यूबवेल नम्बर 64 के पडरौना साइड की तरफ है गंडक कैनाल की शाखा बन रही है और देवरिया की तरफ क्या उनको ऐसी जानकारी नहीं है कि कहीं-कहीं दसियों ट्यूबवेल दो-दो साल से बन्द हैं और उस पर कोई काम नहीं हो रहा। माननीय मन्त्री जी से यह जानकारी करना चाहता हूं कि क्या उनको इसकी जानकारी है? अगर नहीं, तो जानकारी प्राप्त करके जांच करवायेंगे?

श्री राजबिहारी सिंह—

मुझे जानकारी नहीं है, अब मुझे जानकारी मिल गई है, मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

जिला गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र झगहा के अन्तर्गत नलकूपों की शिकायतें

*3—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र झगहा के अन्तर्गत पड़ने वाले किस समुदाय के कौन-कौन नम्बर के नलकूपों की शिकायत पूरा पानी न देने एवं न चलने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई है तथा इनके सुधार हेतु क्या किया जा रहा?

श्री राजबिहारी सिंह—

राजकीय नलकूप संख्या 26 सरदार नगर, 28 सरदार नगर, 13 सरदार नगर और 49 गोरखपुर की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

उपरोक्त नलकूपों में से नलकूप संख्या 28—सरदार नगर ठीक कर दिया गया है। नलकूप संख्या 26 सरदार नगर और गोरखपुर का निकास गिर गया है और उनके पुनः निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। नलकूप संख्या 13 सरदार नगर कम निकास पर कार्य कर रहा है पर इसको निर्माण करने का विचार नहीं है क्यों कि यह गंडक नहर के क्षेत्र में पड़ता है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब निकास रुक गया तो उस ट्यबवेल पर कब से कार्यवाही की जा रही है और कब तक इससे सम्बन्धित कार्यवाही पूरी हो जायेगी?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, कार्यवाही की जरूरत ही नहीं है। 12 हजार गैलन जब ट्यब वैल पानी देने लगता है तब वह सरकार की ओर से फैल हो जाता है और बिना किसी की सूचना लिये हुए

एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को यह अधिकार होता है कि वह दूसरा नलकूप बोर कर दे। देर इसलिये हो रही है कि मशीन उपलब्ध नहीं है क्योंकि दूसरी जगह काम हो रहा है। मशीन खाली होते ही दोनों ट्यूबवेल बोर करा दिये जायेंगे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा मुझे उससे सन्तोष नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप फिर से उस क्षेत्र में यह जांच करायें कि इन ट्यूबवेल के अतिरिक्त अन्य ट्यूबवल जैसे राजधानी में हैं, रामपुर में हैं, और ऐसे कई जगहों पर हैं, वहां से भी शिकायतें आई हैं, वह भी खराब हैं और मुझे बताने की कृपा करेंगे कि वह ट्यूब वेल्स कौन कौन से हैं?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, जितने ट्यूबवेल्स के नाम आये थे मैंने बताया। यदि और लिख कर देंगे तो मैं उनकी भी जांच करवा लूंगा।

नये खण्डों में अनुसूचित एवं विमुक्त जातियों के लिपिकों की नियुक्ति

*4—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, सन् 1972 से जनवरी, 1973 तक कुल कितने खंड प्रान्त में खोले गये हैं और उनमें अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जातियों की नियुक्ति किस अनुपात से चतुर्थ श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी के अवर व प्रवर लिपिकों में पूरी हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम निहोर राय—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न 5-2-73 का है और अब तक उस पर सूचना एकत्र नहीं की गई है। तो कौन सी तारीख तक मुझे यह सूचना दे देंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसमें बहुत सी बातों की जानकारी प्राप्त करनी है और बहुत से डिवीजनों से सूचना आनी है, इसलिये हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी सूचना दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह कब तक आप देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

एक महीने के अन्दर दे देंगे।

श्री राम गोपाल सण्ड—

एक महीने के बाद तो सदन ही स्थगित हो जायगा।

श्री राम निहोर राय—

मान्यवर, यह हरिजनों का मामला है.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब तक आप इसका उत्तर देंगे तब तक आप इस बात को देख लेंगे कि हरिजनों का जो अनुपात है, जो विधिअनुसार होना चाहिये, वह पूरा हो गया?

श्री अध्यक्ष—

क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह सूचना किस तारीख को मंगाई गई है और कहां-कहां से प्राप्त हो गई है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

अभी तक कोई सूचना नहीं आई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब तक आप सूचना देंगे तो क्या आप अनुपात पूरा कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अभी सूचना नहीं आयी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसमें सूचना की जरूरत नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय उपमन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कहा कि एक महीने में उत्तर देंगे । नियम के अन्दर 14 या 15 दिन से ज्यादा नहीं ले सकते ।

श्री अध्यक्ष—

कायदे से ही चलेंगे ।

जहांगीराबाद–विरियाना–सौर खां–दौलतपुर मार्ग के सम्बन्ध में बुलन्दशहर के विधायकों का पत्र

*5—श्री के0 एस0 मोहरिया (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित), श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित) तथा श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सा0 नि0 मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13–12–71 को बुलन्द शहर के विधायकों श्री के0 एस0 मोहरिया, श्री शमीम आलम खां, श्री मुमताज मोहम्मद खां, श्री हिम्मत सिंह, श्री धर्म सिंह, श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, विधायक एवं श्री सईदुल हसन, एम0एल0सी0 का कोई प्रार्थना-पत्र जंहागीराबाद, विरियाना, सौर खा, दौलतपुर मार्ग के संबंध में प्राप्त हुआ था जिस पर मन्त्री महोदय ने पत्रांक संख्या 683, दिनांक 28–12–71 को आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो उसको अब कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां । उस प्रार्थना-पत्र पर जांच करवाई गयी और जांच रिपोर्ट विचाराधीन है ।

रामगंगा परियोजना में ठेकेदार को जांच रिपोर्ट के विरुद्ध धनराशि की अदायगी

*1—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामगंगा नदी परियोजना के नवनिमार्ण में मार्च, 1967 में सुरंग की छत का गिरने का कारण डिजाइन निदेशालय (लखनऊ) में अपनी जांच रिपोर्ट में ठेकेदार की ही असावधानी बताया किन्तु इस जांच रिपोर्ट की अवहेलना करके मुख्य अभियन्ता ने संबंधित ठेकेदार को उल्लिखित कार्य के लिये एक बहुत बड़ी धनराशि की अदायगी अनियमित एवं अवैधानिक ढंग से कर दी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज बिहारी सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह लेखा परीक्षा 1970 पर आधारित है। 1971–72 की लोक लेखा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 27 पर आपत्ति की है और कहा है कि यह अियनमितता हुई है । उसने दंड देने की सिफारिश की है। अब तो दंड देने की बात है। सूचना क्या एकत्र कर रहे है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसमें लिखा है कि छत का गिरने का कारण डिजाइन निदेशालय (लखनऊ) ने अपनी जांच रिपोर्ट में ठेकेदार की ही असावधानी बताया किन्तु इस जांच रिपोर्ट की अवहेलना करके मुख्य अभियन्ता ने संबंधित ठेकेदार को उल्लिखित कार्य के लिये एक बहुत बड़ी धनराशि की अदायगी अनियमित एवं अवैधानिक ढंग से कर दी ? यदि हां, तो क्यों ? इसलिये सूचना एकत्र कर रहे हैं कि जो चीफ इंजीनियर उस समय के थे उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बात थी ? लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की बात आप कह रहे हैं तो उसको भी देख लेंगे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । लोक लेखा समिति ने जो प्रतिवेदन दिया है तो उसको विभागीय मंत्री देखते हैं या नहीं और अगर नहीं देखा, तो क्यों नहीं देखा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

विभागीय मंत्री देखते हैं। क्यों नहीं देखा इसका उत्तर मेरे पास नहीं है और न उत्तर दे सकता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन का अध्ययन करने के बाद जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? उसने यह निष्कर्ष निकाला कि यह भुगतान अनुचित हुआ था। उस संस्तुति को देखते हुये क्या मंत्री जी जल्दी कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डिजाइन निदेशालय लखनऊ ने इस संबंध में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उसने इस ठेकेदार को दोषी पाया है और यदि हां, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, यही सब सूचना तो एकत्र कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वह रिपोर्ट तो आपके पास होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह प्रश्न 15–2–73 को प्राप्त हुआ और डिजाइन डायरेक्टोरेट लखनऊ में ही मौजुद है और इसी रिपोर्ट के आधार पर यह सारा प्रश्न आधारित है। इतने दिन में सरकार ने सूचना इकट्ठी क्यों नहीं की, इसका क्या कारण था ? रिपोर्ट मंगाने में विलम्ब का क्या कारण था यह बतलावें ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट और विभाग की रिपोर्ट मौजूद है। आपका सवाल है कि अनियमित ढंग से काम हुआ है। तो जिन व्यक्तियों ने वह काम किया है उनसे जवाब तो पूंछ लूं। उनका उत्तर आ जाये तब कुछ निर्णय लें। बहुत से अधिकारी रिटायर हो गये हैं। उनसे पूछने के बाद ही काम कर सकते हैं, अधूरे में नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी विभागीय जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जो रिपोर्ट जाइन डायरेक्टोरेट की है उसको जरूर रख देंगे।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

अब तक सूचना एकत्रित न करने के क्या कारण हैं ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य मंत्रीजी यह सोचते हैं कि मंत्री जी जवाब देंगे और मंत्री जी यह सोचते हो कि राज्य मंत्रीजी जवाब देंगे। सूचना एकत्रित करनें की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी हो।

श्री राज बिहारी सिंह—

यह नितान्त असंगत सवाल है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आपने जिन लोगों के बारे में पूछतांछ की है वे कौन-कौन हैं और आपने कब पत्र लिखा ?

श्री राज बिहारी सिंह—

उस समय के मुख्य अभियन्ता को पत्र लिखा गया। तारीख मुझे याद नहीं है, देख कर बता देंगे ?

*2—श्री शम्भू नाथ चौधरी, श्री सच्चिदानन्द तथा श्री चन्द्र भान शर्मा—

[18वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इटावा जिले में दिनियापुर–बला रोड पर अनधिकृत पक्का निर्माण

*3—श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इटवा जिले में विकास खंड भाग्य नगर में दिनियापूर बलारोड पर पहले मील के छठे फर्लांग पर जहां से उमरी ग्राम समाज रोड गया है वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत पक्का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, ऐसा क्यों और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। विभाग को ज्ञात होते ही यह निर्माण कार्य रोक दिया गया। संबंधित व्यक्तियों को रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट के अधीन नोटिस दिया गया है। उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर करने की कार्यवाही की जा रही है।

*4—डूंगर सिंह विष्ट—

[निरस्त]

परगना बढ़ापुर, (बिजनौर) में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*5—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज इसमाइलपुर दमी ग्राम मिट्ठूपुर भरतपुर परगना बढ़ापुर, तहसील नगीना, जिला बिजनौर के काश्तकारों ने ग्राम में सरकारी नलकूप लगाने की प्रार्थन 1968 में की थी? यदि हां, तो उस ग्राम में नलकूप कब तक लगेगा?

सिंचाई मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

जी हां। परगना बढ़ापुर खो नदी तथा रामगंगा नदी के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाने की सम्भावना पर अन्वेषणात्मक छिद्रण किया जा रहा है।

*6—श्री धर्मवीर सिंह—

[11वें बुधवार के लिये स्थगित]

उन्नाव जिले में टेस्ट वर्क द्वारा निर्मित कच्ची सड़कों को पक्की करना।

*7—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1972 व 1973 में उन्नाव जिले में टेस्ट वर्क द्वारा जहां कच्ची सड़कें बनाई गई हैं उन्हें पक्की बनाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो यह कार्य कब से आरम्भ हो जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री सजीवन लाल—

टेस्ट वर्क द्वारा प्रदेश में करोड़ों रुपये का कार्य हुआ है। अगर यह सड़क पक्की न की गयी तो उसके बरसात में बह जाने का डर है। उसके पक्का करने का कब तक निर्णय लेनें की सम्भावना है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जब पैसा उपलब्ध होगा तो उस समय निर्णय ले लिया जायगा।

श्री सजीवन लाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पैसा उपलब्ध होने के कौन से जरिये हैं? मुझे तो पता है कि शायद आपके पास पैसा है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमान जी, इसके लिये पैसा नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या टेस्ट वर्क्स की सड़कों को और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सड़कों को अगली पांच वर्षीय योजना में पक्की बनवाने के लिये ले लिया जायेगा?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

अगली पंच वर्षीय योजना के लिये जिले-जिले से प्राथमिकता के आधार पर सूची आवेगी। मैं तो ऐसा निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य वहां से उस में जुड़वाने की कोशिश करें।

श्री राम करन सिंह (जिल गोरखपुर)—

पैसा उपलब्ध होने पर सड़कें पक्की करायेंगे प्रश्न यह नहीं था बल्कि प्रश्न यह है कि 19—20 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और बरसात आने पर वह सब रुपया डूब जायगा। उसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

एक साल में तो सारी सड़कें समाप्त नहीं हो जायेंगीं। प्रयास है कि कहीं से संसाधन उपलब्ध हो सकें। चाहते तो हम भी हैं कि वे पक्की हो जायें, मगर संसाधन उपलब्ध होने की बात है।

श्री राम बिसाल पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

टेस्ट वर्क में लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। बरसात आने के बाद ये सड़कें नहर बन जायेंगीं। मंत्रीजी ने कहा कि साल भर में सड़क खराब होने वाली नहीं है। क्या मंत्रीजी आश्वासन देंगे कि 1 साल के अन्दर नहीं बल्कि 2 साल के अन्दर पक्का करा देंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

यह निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्रीजी को मालूम है कि शासन ने जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र में टेस्ट वर्क के सिलसिले में सड़कें बनवाई हैं उनको समयानुसार पक्का किया जावेगा और कल्वर्टस और पुल भी बनाये जायेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मैंने तो पहले ही कह दिया कि ऐसा प्रयास तो है ही लेकिन जब संसाधन मिल जावेंगे तभी यह हो सकेगा।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

इस समय तो पैसा नहीं है लेकिन पैसा उपलब्ध होने पर क्या इन सड़कों को बनाने में प्राथमिकता दी जावेंगी जिन पर कि मिट्टी का काम हो चुका है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

यह तो जिले जिले से सूची अगली पंच वर्षीय योजना के लिये प्राथमिकता के अधार पर आ जावेगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जबतक वह पक्की न कराई जा सकें उस समय तक मिट्टी कटकर बह न जाय इसलिये उनको मेनटेन करने के आदेश भेजे हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमन्, यह सूखा की योजना में सड़कें बनीं हैं। जो लोग बेकार थे उनको काम दिया गया था। इसके बाद कैसे मेन्टेन होंगी और पक्की होंगी इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

श्री रियासत हुसैन—

जब बरसात होगी तो मिट्टी कट जाने का अन्देशा होगा, तो उसको बचाने के लिये मरम्मत होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

पंचायती गांव से रख रखाव कराने की यह सोच रहे हैं ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमन्, अभी तक इसके लिये प्राविधान नहीं है, वैसे सुझाव अच्छा है ।

*8–9—श्रीमती मसाली देवी—

[11वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

बदायूं जिले में नलकूपों की सर्विस रोड्स की मरम्मत से फसलें को क्षति

*10—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि जनपद बदायूं में वर्तमान वर्ष के माह जनवरी–फरवरी में सरकारी नलकूपों के सर्विस रोड की कच्ची मरम्मत की जा रही है जिसके फलस्वरूप कृषकों के खेतों की उगी हुई गेहूं, चना मटर तथा अरहर की खड़ी फसल नष्ट करके मिट्टी डाली जा रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां । नलकूपों के सर्विस रोड की मरम्मत "टेस्ट वर्क" के अधीन की गई परन्तु उक्त केलिये मिट्टी कृषकों की सहमति से अधिकांशतः खाली खेतों से अथवा बहुत कम फसल वाले खेतों से ली गई ।

श्री शिवराज सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री जी मेरी इस सूचना के आधार पर जांच कराने के अदेश देंगे जिन किसानों की खड़ी फसल काटकर मिट्टी डाली गई है उनसे किसी भी प्रकार की सहमति नहीं ली गई और अपनी जांच रिपोर्ट को सूचना पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जरूर जांच करा लूंगा अगर सहमति नहीं ली गई है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जिन किसानों के खेत से मिट्टी ली गई और फसल नष्ट हुई, उनको मुआवजा देने का प्रबन्ध करेंगे?

श्री राज बिहारी सिंह—

टेस्ट वर्क में मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं है । किसानों से प्रार्थना करके उनकी सहमति से काम किया जाता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिन कृषकों की स्वीकृति की सिंचाई मंत्रीजी ने चर्चा की है, क्या उनकी कोई लिखित स्वीकृति उनके पास मौजूद है, जिसके आधार पर विभाग ने बतलाया है या जबानी स्वीकृति के आधार पर वह कार्य किया गया और बाद में शिकायत कर रहें हैं ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मुझे तो जो विभाग ने कहा है उसके आधार पर बतला रहा हूं लेकिन लिखित सूचना के संबंध में दिखवा लूंगा ।

श्री शिवराज सिंह—

क्या प्रश्नकर्ता की ओर से मंत्रीजी को प्रार्थना प्राप्त हुई थी जिसमें यह आपत्ति की गई थी कि किसानों की खड़ी फसल न काटी जाय और मंत्रीजी ने उस पर आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा और उसके बाद भी यह कार्य हुआ है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

यह सही है कि माननीय सदस्य कुछ दिन पहले मिले थे और मैंने प्रार्थना पत्र पर लिखा था कि किसानों की खड़ी फसल न काटी जाय ।

श्री शिवराज सिंह—

रबी की खड़ी फसल नष्ट करके मंत्रीजी के आदेशों के बावजूद मिट्टी क्यों डाली गई, इस सम्बन्ध में क्या मंत्री जांच कराकर दोषी अधिकारियों को सजा देंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसमें जांच की जरूरत पड़ेगी—किसने चिट्ठी लिखी, कब लिखी गयी । तो जांच करा लूंगा ।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि सर्विस रोड्स पर विभाग के लोग किसानों को या उनकी बैलगाड़ियों को नहीं जाने देते, यह कम्प्लीटली उन्हीं के काम में आती है तो इसलिये किस वजह से जबकि वे किसानों के खेत से मिट्टी ले लेते हैं तो उसके दाम नहीं देते ?

श्री राज बिहारी सिंह—

इसमें इजाजत की जरूरत नहीं है । नहरों की सर्विस रोड्स पर ऐसा है लेकिन ट्यूबवेल पर सभी के आने जाने की सुविधा है ।

श्री शिवराज सिंह—

उत्तर में कहा गया है कि कम फसल वाले खेतों से मिट्टी उठायी गयी, तो क्या सरकार की ओर से कोई स्टैन्डर्ड नियत था कि जिसके आधार पर विभागीय कर्मचारियों ने मिट्टी उठाई ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मैंने निवेदन किया कि किसानों की सहमति से ऐसी बात हुई है । आपने कहा कि ऐसी बात नहीं की गयी, तो उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिन कृषकों की फसल इसमें नष्ट हुई है, सरकार का आश्वासन भी था, आदेश भी था और बावजूद इसके जो खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है तो क्या उस नुकसान का कृषकों को मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

भूतपूर्व सिंचाई मंत्री जी से राय करेंगे अगर कोई ऐसी परम्परा होगी तो व्यवस्था करेंगे, इस समय कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

उत्तर दिया गया है कि उन सर्विस रोड्स की मरम्मत किसानों के खेतों की मिट्टी से की गयी है—चाहे रजामंदी से या वैसे ली आपने और उनपर चलने की इजाजत होती नहीं, तो उन किसानों को तो कम से कम अलाऊ करेंगे जिनके खेतों से मिट्टी ली गयी है और उनपर कोई रोक-टोक नहीं करेगा विभाग ?

श्री राजबिहारी सिंह—

बहुत ही भ्रामक सवाल है । ट्यूबवेल की सर्विस रोड पर प्रत्येक व्यक्ति को चलने की इजाजत है, सरकार उस पर रोक नहीं लगाती है ।

रियासत हुसैन—

प्रैक्टिस में नहीं है, चालान करते हैं पटरोल कैनाल पर ।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह—

मंत्री महोदय ने जो अभी सदन में कहा है, इस संबंध में आदेश समस्त प्रदेश में प्रसारित कर देंगे कि समस्त रोड्स पर किसानों को चलने की छूट है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मुझको जानकारी है कि सर्विस रोड्स पर प्रत्येक व्यक्ति चलता है। अगर किसी माननीय सदस्य को किसी ट्यूबवेल की सर्विस रोड पर न चलने देने की शिकायत हो तो लिख करके देंगे, उस सर्विस रोड पर चलने की इजाजत दे दी जायगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या उन सर्विस रोड्स पर चलने के अलावा किसान अपनी बैलगाड़ी, तांगा वगैरा भी ले जा सकते हैं या नहीं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मैंने बहुत अदब से बार बार निवेदन किया कि ट्यूबवेल की सर्विस रोड्स पर किसान अपनी बैलगाड़ी, सामान वगैरह ले जाता है।

यू० पी० सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड तथा यू० पी० शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन

*11—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड तथा यू० पी० शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का पुनःगठन किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पुनः गठन करने का विचार है ?

परिवहन उप मंत्री (श्री आबिद अली)—

यू० पी० सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड तथा यू० पी० शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की मियाद समाप्त हो जाने पर सन् 1969 में नये बोर्ड के चुनाव हुये किन्तु इस संबंध में उच्च न्यायालय लखनऊ में दायर रिट याचिकाओं में न्यायालय के आदेशानुसार बोर्ड के पुनःगठन को रोक दिया गया। शासन बोर्ड का पुनःगठन कराना चाहता है और इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही पर विचार हो रहा है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

बोर्ड के मौजूदा कंट्रोलर कौन साहब हैं और उनके खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी कौन जांच कर रहा है ?

श्री आबिद अली—

सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड के कंट्रोलर श्री शाह गयास आलम जी हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

श्रीमन्, मेरे सवाल के दूसरे भाग का जवाब नहीं आया कि इनके खिलाफ कितनी शिकायतें आयी हैं और उनकी कौन जांच कर रहा है ?

श्री आबिद अली—

इस वक्त मेरे पास उनकी कोई शिकायतें नहीं हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्रीजी को पता है कि शिया वक्फ बोर्ड के जो मौजूदा कंट्रोलर हैं श्री इनतिखाज हुसैन साहब, उनके बारे में हाई कोर्ट ने एक रिट में यह फैसला दिया है कि इनको किसी भी कैपेसिटी में वक्फ में काम न करने दिया जाय ? फिर इनको क्यों कंट्रोलर बनाया गया और क्यों कंट्रोलर जिम्मेवारी सौंपी गयी ?

श्री आबिद अली—

इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, तो फिर यह जानकारी कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

कोर्ट का मामला है, तो इसकी जानकारी तो आपको कर लेनी चाहिये ।

श्री महमूद अली खां—

आपने जो फरमाया, आज ही मालूम कर लिया जायगा और अगर कोई चीज ऐसी होगी तो उस पर जरूर कार्यवाही की जायगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

दूसरे दिन पूरी जानकारी के साथ जवाब दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न अधूरा ही रहा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इनके खिलाफ मुख्य-मुख्य शिकायतें यह हैं । जितनी जायदाद पिछले बीस सालों में शिया वक्फ बोर्ड की बेंची गयी उतनी 1971 से अब तक इनके कार्यकाल में बेंच दी गयी बगैर नियमों का पालन किये हुये । दूसरा चार्ज यह है कि बगैर निर्धारित योग्यता के इन्होंने अपने भतीजे को इंस्पेक्टर बना दिया । इसी तरह तमाम शिकायतें हैं । तो इन शिकायतों को भी कृपया जांच लीजियेगा ताकि उत्तर यहां पर आ सके ।

रुड़की आर्ट्स कालेज तथा आई० टी० आई० के मान चित्रकों का वेतन-क्रम और पदोन्नति

*12—श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि रुड़की आर्ट्स कालेज तथा आई0 टी0 आई0 में मान-चित्रकों (ड्राफ्टमैनों) की शैक्षिक योग्यता तथा प्रशिक्षण काल समान होते हुए मानचित्रकों के वेतन-क्रम 100–160, 120–220 तथा 160–280 का अन्तर क्यों है साथ ही मानचित्रकों की पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर संगणक तथा मुख्य मानचित्रक के पदों पर न किये जाने का क्या कारण है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

रुड़की आर्ट्स कालिज तथा आई0 टी0 आई0 के मानचित्रकों की योग्यता तथा प्रशिक्षणकाल समान नहीं है ।

मुख्य मानचित्रक पद पर पदोन्नति अर्हता प्राप्त मानचित्रकों की संयुक्त ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है ।

संगणक के पद पर ज्येष्ठतानुसार पदोन्नति का प्राविधान है परन्तु पदोन्नति के पूर्व संबंधित कर्मचारी का:—

(1) मानचित्रक के पद पर स्थायी होना ।
(2) मानचित्रक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करना एवं
(3) विभागीय अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

श्री हरी सिंह बिष्ट—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि रुड़की आर्ट्स कालेज और आई0 टी0 आई0 के मानचित्रकों की योग्यता तथा प्रशिक्षण काल समान नहीं है । यदि ऐसा है तो अगल-अलग स्कूलों में जो मानचित्रकों को ट्रेनिंग दी जाती है उनकी शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण काल क्या है ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

गवर्नमेंट आर्ट्स कालेज, लखनऊ का प्रशिक्षण काल 3 वर्ष है। रुड़की कालिज का प्रशक्षण काल 2 वर्ष है। आई0 टी0 आई0 का 18 माह ही है। यह अवश्य है कि उनकी योग्यता हाई स्कूल है।

श्री हरी सिंहविष्ट—

तीनों जगह की ट्रेनिंग एक सी ही है और एक ही विषय की ट्रेनिंग है और जो कार्य यह लोग करते हैं वह भी एक सा ही है। तो जब इनसे एक ही प्रकार का काम लिया जाता है तो इनके वेतन मान भिन्न-भिन्न क्यों हैं ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

इन तीनों की परीक्षायें अलग-अलग होती हैं और इनका प्रशिक्षण काल भी कहीं ज्यादा कहीं कम है। एक सा नहीं है।

श्री राम किशोर शुक्ल—

सभी में हाई स्कूल भर्ती किये जाते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद सभी एक सा ही काम करते हैं। तो एक सा ही समान वेतन करने में क्या कठिनाई है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

मैंने अभी बताया कि कहीं 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है, कहीं डेढ़ वर्ष का ही है, सब जगह एक सा प्रशिक्षण नहीं है।

श्री राम किशोर शुक्ल—

काम तो एक सा है।

श्री अध्यक्ष—

आप विवाद न करें। प्रश्न करें।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी—

जब वे काम एक ही तरह का करते हैं तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि इन तीनों जगह का पाठ्यक्रम तथा वेतन क्रम एक समान हो जाये ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

अब यह तो जो कालिज हैं उनके ही विचारने की बात है। गवर्नमेंट्स आर्ट्स कालिज से रुड़की वाला अधिक अच्छा समझा जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब इनकी नियुक्त समान पद पर समान कार्य के लिये होती है तो समान वेतन क्रम करने में मंत्री जी को क्या आपत्ति है।

श्री बीरबहादुर सिंह—

अब एक ही तरह का काम करते हैं इसकी विस्तार से जानकारी तो मुझे इस समय नहीं है। लेकिन अगर यह किया जा सकता है तो इस पर विचार कर लेंगे।

*13—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*14—श्री विश्वनाथ कपूर—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

पणौना बांध, इलाहाबाद के कर्मचारियों के विरुद्ध चोरी की शिकायतों पर कार्यवाही

*15—श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रश्नकर्ता की चिट्ठी के साथ श्री मो० नसीम, क्षेत्रीय मंत्री, सोशलिस्ट पार्टी, फलपुर, इलाहाबाद का इस आशय का शिकायती पत्र कि पणौना बांध इलाहाबाद के लगभग एक साल पूर्व बुश, पाइप राड सीमेंट चैन, रिंच, आदि सामान गायब हुए लगभग 60 हजार रु० की चोरी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, शासन को 10-10-72 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां। मामले की जांच की जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अब तक की जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये ?

श्री राजबिहारी सिंह—

पहले 14-3-72 को जांच रिपोर्ट सरकार को मिली, उससे सरकार संतुष्ट नहीं थी, इसलिये उसे वापस कर दिया गया और पुनः एक सप्ताह के अन्दर जांचकी रिपोर्ट मांगी गयी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो रिपोर्ट आयी थी उसमें कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयीं और किन-किन शिकायतों की जांच पुनः कराने की आवश्यकता समझी गयी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

कोई निश्चित बात पायी गयी होती तो फैसला ही ले लेते। कोई उसमें निश्चित बात न होने के कारण ही तो पुनः जांच करवायी जा रही है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 60 हजार से अधिक चोरी हुई है, इस मामले की कौन अधिकारी जांच कर रहा है, और कितनी देर में जांच समाप्त हो जायगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

माननीय सदस्य का पत्र नवम्बर की 3 तारीख को मिला। ठीक दस दिन बात अधीक्षण अभियन्ता, इलाहाबाद मंडल को दिया गया कि अपनी रिपोर्ट भेजें। उनकी रिपोर्ट प्राप्त हुई। वह अस्पष्ट होने के कारण फिर भेजी गयी। छिपाने या दबाने की बात की नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी नहीं। इनक्वायरी के भीतर है। इसलिये नहीं रखी जा सकती।

आमों नदी पर बांध निर्माण योजना

*16—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तरर्गत बांसगाव तहसील में स्थित आमों नदी पर बांध निर्मित करने के लिये सर्वेक्षण कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो इस बांध की दूरी कितनी होगी तथा कितने गांवों को बाढ़ से रक्षा होगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां। सर्वेक्षण पूर्ण होने पर प्रस्तावना बनाने के उपरान्त ही बांधों की लम्बाई एवं लाभान्वित क्षेत्र देना संभव हो सकेगा।

राप्ती नदी की बाढ़ से बचाओ हेतु योजना की आवश्यकता

*17—श्रीमती मसाली देवी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि राप्ती नदी की बाढ़ से बचने के लिये वर्ष 1973–74 के वित्तीय वर्ष में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी नहीं।

*18— चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[11वें बुधवार के लिये स्थगित]

गोरखपुर जिले के श्याम देउरवा क्षेत्र की सिंचाई

श्री अध्यक्ष—

महातम प्रसाद जी ने लिखा है कि हमारा प्रश्न माननीय रामविलास पांडेय देखेंगे चूंकि वह मौजूद नहीं हैं, आप उन्नीसवें प्रश्न का सिंचाई मन्त्री से उत्तर चाहते हैं।

श्री राम बिलास पांडेय—

उत्तर चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

बाकी सब प्रश्न खत्म हो गये हैं। इसलिये आप बता दीजिये।

*19—श्री महातम प्रसाद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि जनपद गोरखपुर के श्याम देउरवा क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने नहर से इस रबी सीजन में एक ही बार अब तक सिंचाई हेतु पानी दिया है ? और क्या एक ही बार सिंचाई हेतु नहर से पानी देने के कारण सिंचाई कर से अनुपातिक छूट देने का आदश सरकार ने जारी किया है। अगर नहीं तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

श्री रामबिलास पांडेय—

यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि केवल एक पानी दिया गया है। उसके आधार पर माननीय सिंचाई विभाग से जांच न कराकर किसी और अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, कुछ लिखित भेज देंगे पांडेय जी तो जरूर जांच करवा लूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मन्त्री जी ने कहा कि एक पानी के बजाय और पानी दिया गया है, तो जरा वह बतादें कि उस इलाके में किन-किन तारीखों में नहरें चलायी हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

किन-किन तारीखों में चलायी है, तारीखों के लिये सूचना की जरूरत होगी।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 19 श्री रामबिलास पांडेय ने पूछा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं आधार जानना चाहता हूं। इस मामले में मैं नियम 49 की सूचना देता हूं। कोई आधार बता दें किस आधार पर कहते हैं।

*20-21—श्री मोती लाल देहलवी, श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित तथा श्री शिव प्रसाद पांडिया—

[11वें बुधवार के लिये स्थगित]

*22—श्री राम बिलास पांडेय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*23—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[10वें बुधवार के लिये प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निजी बस संचालक संघ, उत्तर प्रदेश की मांगें

*24—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक 24 सितम्बर, 1972 को सायं काल 5 बजे स्थान बारादरी लखनऊ में आयोजित निजी बस संचालक संघ उत्तर प्रदेश के सम्मेलन में वर्तमान मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि संघ की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जायगा, यदि हां, तो संघ के स्मृति पत्र पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री देवकीनन्दन विभव)—

निजी बस संचालक संघ उत्तर प्रदेश की मुख्य मांग मोटर बेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश अमेन्डमेंन्ट) ऐक्ट, 1972 के संबंध में थी। इस सम्बन्ध में आपरेटर्स ने उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में याचिकायें दायर कर दी है जो उक्त अदालतों के विचाराधीन है।

संघ की अन्य मांगों पर सरकार ने विचार किया परन्तु उन्हें स्वीकार करना वर्तमान परिस्थिति में सम्भव नहीं है।

सुरेन्द्रकुमार, निवासी किठौर, जिला मेरठ द्वारा श्री रामकुमार के नाम पर ट्यूबवेल आपरेटर के पद पर नियुक्ति प्राप्त करना

*25—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अम्बे प्रसाद, कस्बा किठौर, जिला मेरठ निवासी ने ट्यूब-वेल विभाग में अपना नाम बदल कर आपरेटर के पद पर दूसरे किसी राम कुमार के नाम पर नियुक्ति प्राप्त की थी ? यदि हां, तो यह शासन के ज्ञान में कब आया ? इनके विरुद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। अप्रैल, 1970 के दूसरे सप्ताह में शासन को इसका ज्ञान हुआ। मामला पुलिस को सौंप दिया गया है।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 19 श्री राम बिलास पांण्डेय ने पूछा।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*26—श्री हरनारायण—

[11वें बुधवार के लिये स्थगित]

*27—श्री शमीम आलम, श्री के० एस० मोहरिया तथा श्री वीरेन्द्र स्वरूप—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*28—श्री राम किशोर शुक्ला—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*29—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[11वें बुधवार के लिये प्र० सं० 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ जिले में राजकीय नलकूप

*30—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में किन-किन तहसीलों के किन-किन गांवों में राजकीय नलकूप हैं और क्या सरकार ने मुहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाने की उपेक्षा की है, यदि हां, तो क्यों?

श्री महमूद अली खां—

आजमगढ़ जनपद में कुल 397 राजकीय नलकूप हैं। जिनका तहसीलवार तथा ग्रामवार ब्योरा मेरे कमरे में रखा है। माननीय सदस्य वहां देख सकते हैं। मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र में 85 राजकीय नलकूप लगे हुए हैं। अतः यह सही नहीं है कि इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई है।

अतारांकित प्रश्न

जिला मिर्जापुर में कछवा बाजार–चुनार मार्ग के ठेकेदारों का भुगतान

1—श्री राम निहोर राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के कछवा बाजार से चुनार मार्ग पर कितने ठेकेदारों का भुगतान सन् 1972 से 1973 फरवरी तक नहीं किया गया है ? यदि भुगतान नहीं किया गया तो इसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

केवल एक ठेकेदार श्री सुरेश चन्द्र पान्डेय के एक अनुबन्ध का भुगतान कथित अवधि में निम्नलिखित कारणों से नहीं किया गया:—

ठेकेदार ने अनुबन्ध में दी हुई अवधि एवं उक्त अवधि के तीन मास पश्चात् तक केवल 12 प्रतिशत कार्य किया। सड़क पर गिरायी गयी गिट्टी के चट्टे लगाने में वह नोटिस देने के बावजूद भी असमर्थ रहा।

अब डेविटेबुल एजेन्सी द्वारा चट्टे लगवा कर कार्य कराया जा रहा है और खर्चे को काट कर यदि कोई धनराशि देय निकलती है तो वह ठेकेदार को भुगतान कर दी जायगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण विषयक मामले निपटाने हेतु इकाइयों की स्थापना

2—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सा० नि० वि० में भूमि अधिग्रहण विषयक मामलें शीघ्र निपटाने के लिये कितनी इकाइयां कब तक स्थापित की जा रही हैं ? इनको क्या-क्या अधिकार दिये जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

ऐसी 16 इकाइयों के सृजन के आदेश अक्तूबर, 1972 में किये जा चुके हैं और कर्मचारियों की उपलब्धि के अनुसार ये कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं।

भूमि अध्याप्ति के प्रस्तावों को ठीक तरह से तैयार करने का कार्य।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने हेतु सरकारी मोटरों का कथित प्रयोग

3—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कलकत्ता अधिवेशन के अवसर पर कितने मन्त्री, उपमन्त्री एवं राज्य मन्त्री सम्पत्ति विभाग की मोटरें लेकर गये और क्या नियमानुसार उन्होंने उनका किराया जमा कर दिया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महमूद अली खां—

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने हेतु मन्त्री, राज्यमन्त्री व उपमन्त्री ने राज्य सम्पत्ति विभाग की मोटरों का प्रयोग नहीं किया। अतः किराया लेने का प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव की हसनगंज तहसील में सरकारी कर्मचारियों के लिये गृह निर्माण

4—श्री सजीवनलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की तहसील हसनगंज में अधिकारियों व निम्नवेतन भोगी कर्मचारियों हेतु आवास गृह बनाने हेतु विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सार्वजनिक निर्माण विभाग की पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऐसा कोई विचार नहीं है, परन्तु कुछ अन्य विभागों ने अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये आवास गृहों का निर्माण स्वीकृत किया है।

नानामऊ-रसूलाबाद सड़क का निर्माण

5—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत नानामऊ से रसूलाबाद वाया ककवन बनने वाली सड़क बनाना सरकार ने किस माह व सन् में स्वीकृत किया था और अब तक उस सड़क में कुल कितने किलोमीटर पर क्या-क्या काम हो चुका है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

इस मार्ग का निर्माण नवम्बर, 1971 में स्वीकृत किया गया था। निर्माण की प्रगति निम्न प्रकार है:---

(क) मिट्टी का कार्य	32 कि0 मी0
(ख) सोलिंग	13 कि0 मी0
(ग) रोड़ी कुटाई	2 कि0 मी0
(घ) पेटिंग	200 मीटर
(ङ) पुल एवं पुलियों का कार्य प्रगति पर है	

बिल्हौर-मकनपुर सड़क (कानपुर) का निर्माण

6---श्री मोतीलाल देहलवी---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले की बिल्हौर से मकनपुर तक की सड़क बनाना सरकार ने किस माह व सन् में स्वीकार किया था और अब तक उस सड़क के कुल कितने किलोमीटर पर क्या-क्या काम हो चुका है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

इस मार्ग का निर्माण मई, 1973 में स्वीकृत किया गया था। 8 कि0 मी0 में मिट्टी का कार्य समाप्त हो चुका है।

7---श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

[11वें बुधवार के लिये स्थगित]

अलीगढ़ में काली नदी के पुल का पुर्ननिर्माण

8---श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी (जिला अलीगढ़)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में नानऊ सांकरा मार्ग पर काली नदी का पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो उसके पुर्ननिर्माण के लिये सरकार शीघ्र उचित प्रबन्ध करेगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

जी हां। वर्तमान पुल के डेकिंग को ठीक करने के लिये आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है।

नानऊ-सांकरा मार्ग (अलीगढ़) का नवीनीकरण

9---श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत "नानऊ सांकरा" मार्ग के "नवीनीकरण" हेतु द्वितीय एस्टीमेट प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

प्रश्नगत मार्ग के पहले एवं अन्तिम 10 किलोमीटर भागों का क्रमशः आधुनीकरण एवं नव निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका है। उसके शेष 22 किलोमीटर भाग के आधुनीकरण की अभी कोई योजना नहीं है।

इलाहाबाद जिले के बारा क्षेत्र में सिंचाई का प्रबन्ध

10—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के विधानसभा क्षेत्र बारा के दक्षिण भाग के बौकटा नारीबारी, झंझरा आदि लगभग पचास असिंचित ग्रामों की सिंचाई के साधन देने के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ? कब तक इन गांवों को सिंचाई की सुविधायें सरकार द्वारा सुलभ हो सकेगी ?

श्री महमूद अली खां—

इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

11—श्री श्यामलाल कनौजिया—

[11वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

आजमगढ़ जिले के पाउस करौली ताल की ड्रेन योजना

12—श्री रामबिलास पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में पाउस करौली ताल से जो ड्रेन निकालने की योजना थी उसका कार्यान्वयन कब तक होने जा रहा है और उससे किन-किन गांवों की कितनी एकड़ भूमि जल प्लावन से बचाकर कृषि योग्य बन सकेगी ?

श्री महमूद अली खां—

ड्रेन निकालने की योजना का सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया कि ड्रेन बन जाने के बाद भी प्रभावित क्षेत्र को डूबने से बचाया नहीं जा सकेगा । इसलिये योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका ।

कानपुर जिले के बिल्हौर क्षेत्र टेस्ट वर्क द्वारा सड़कों का निर्माण

13—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा), श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़), श्री राम निहोर राय तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला कानपुर के बिल्हौर निर्वाचन क्षेत्र में 12 सड़कों को टेस्ट वर्क के अन्तर्गत अविलम्ब बनाने का लिखित आदेश श्री मोतीलाल देहलवी विधायक के पत्र पर सन् 1973 में दिया था और वह आदेश अधिशासी अभियन्ता कानपुर को मिलने के बावजूद भी आदेश का पालन नहीं हुआ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है और आदेश का पालन कब तक कराया जायगा ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां । इन बारह सड़कों में से दो मार्गों पर जहां भूमि उपलब्ध थी वहां कार्य शुरू करा दिया गया ।

कुलावा नम्बर 81, नहर गंग आगरा ब्रांच हाथरस की दोबारा बारबन्दी

14—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि कुलावा नं0 81, नहर गंग आगरा ब्रांच हाथरस जिसकी बारबन्दी सन् 1942 में हुई थी, चकबन्दी के कारण काफी रद्दोबदल हो गया है, तथा 1970 में दुबारा बारबन्दी की फीस जमा की गई थी, परन्तु बारबन्दी अभी तक नहीं की गई? यदि हां, तो तीन वर्ष तक बारबन्दी न होने का क्या कारण है? तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। स्टाफ की कमी के कारण यह नहीं हो पाया है। स्टाफ का प्रबन्ध होने पर यह काय सम्पन्न किया जावेगा।

गोरखपुर जिले की चौरी चौरा नयी बाजार सड़क

15—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर में सी० सी० रोड जो चौरी-चौरा, से नयी बाजार नकबार तक प्रस्तावित है क्या इसे पी० डब्लू० डी० में लेने हेतु सरकार ने निर्णय लिया है? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य क्या आगामी वित्तीय वर्ष (1973-74) में प्रारम्भ कर दिया जायगा? यदि हां, तो कितनी दूरी एवं कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

चौरी-चौरा से नई बाजार तक सी० सी० ट्रेक पहले से ही बनी है और इसका रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है। नई बाजार से नकबार तक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है।

शाहजहांपुर जिले में त्वरित योजना तथा टेस्ट वर्क के अन्तर्गत सड़क निर्माण

16—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 31-3-1973 तक शाहजहांपुर में कौन-कौन सी सड़कों पर त्वरित योजना में कार्य पूरा होना है और कौन-कौन सड़कों पर टेस्टवर्क के अन्तर्गत कार्य होना है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

(क) त्वरित योजना में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण हो रहा है परन्तु ये कोई 31 मार्च, 1973 तक पूर्ण नहीं हो पायगी:

1—निगोही—तिलहर मार्ग

2—तिलहर—जैतीपुर मार्ग

3—कलान—परौर मार्ग

4—ढकियां—मुड़िया पमार मार्ग

5—पुवायां—नाहिल मार्ग

(ख) जिन मार्गों पर टेस्ट वर्क के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य होना है उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 597 पर)

इटावा जिले में सड़क निर्माण

17—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा की कंचवसी बाजार रेलवे स्टेशन से मधवापुर होती हुई लहरापुर या रसूलाबाद तक किसी सड़क का निर्माण

सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब से काम शुरू हो जायगा और यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनमामऊ सहायक (इटावा) सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग कब शुरू कराने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सीमित धनराशि के कारण प्रश्नगत सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन नहीं है। अतः इन पर कार्य शुरू होने का प्रश्न नहीं उठता।

18—श्री भारत सिंह चौहान—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किन-किन सड़कों पर काम हो रहा है? और इन सड़कों का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सूचना सदन की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 598 पर)

अकबरपुर, जिला फैजाबाद के पुल के बांधों पर पार्क की मांग

19—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर जनपद फैजाबाद के पुल के दोनों ओर स्थित बांधों पर पार्क बनाने की स्वीकृति टाउन एरिया कमेटी, अकबरपुर को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, फैजाबाद ने मौखिक रूप से नवम्बर, 1972 में दी थी ? यदि हां, तो बाद में उसके कार्यान्वियन से इन्कार के क्या कारण हैं और क्या सरकार चेयरमैन टाउन एरिया कमेटी, अकबरपुर, और अधिशासी अभियन्ता के मध्य हुए पत्राचार को सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं।

अतः उल्लिखित कार्य के कार्यान्वियन का प्रश्न नहीं उठता।

जिला आजमगढ़ में सिकरी कोल माइनर का निर्माण

20—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार इस बात की जानकारी कराने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़, तहसील घोसी के अन्तगत सिकरी कोल माइनर (नहर) का निर्माण-काय कब से प्रारम्भ किया गया है और गत कई मास से इसका निर्माण कार्य बन्द कर देने का क्या कारण है तथा इस प्रकार इसके पूरा होने में अभी कितने दिन लगेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

इस माइनर का निर्माण जून, 1971 से प्रारम्भ किया गया था। स्थानीय जनता के विरोध के कारण माइनर के कुछ भाग में मिटटी उपलब्ध न होने से कार्य रुका हुआ है। व्यवधान समाप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही हो सकती है।

हरिद्वार नगरपालिका भंग करने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

स्वास्थ्य मन्त्री ने इस सदन को आश्वासन दिया था कि हरिद्वार नगरपालिका, जिसके 21 म से 15 मेम्बरों ने लिख कर दिया है कि नगरपालिका भंग न की जाय। उसकी कार्यवाही यहां पर चालू है।....

श्री अध्यक्ष—

देखिये आप आज्ञा.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप से आज्ञा लेकर पूछ रहा हूं

श्री अध्यक्ष—

मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह अनशन कर रहे हैं। नगरपालिका भंग होने जा रही है। 21 में से 15 मम्बर लिख कर दे चुके हैं कि नगरपालिका भंग नहीं होनी चाहिए। सदन में यह प्रश्न आया था कि नगरपालिका इस तरह से भंग हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप कायदे से प्रश्न पूछिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने लिख कर दिया है नियम 201 के अन्तर्गत।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रजातांत्रिक बातों से ताल्लुक रखते हैं जसे नित्यानन्द स्वामी जी ने प्रश्न उठाया। उनको उठाने की तो स्वीकृति आपको दे देना चाहिये और नियम नहीं देखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिय कारण भी तो हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

विधान सभा के सामने श्री शंकर लाल गोस्वामी अनशन कर रहे हैं जो हरिद्वार नगरपालिका के सदस्य हैं। अगर 25 में से 15 लिख कर दे दें कि नगरपालिका भंग नहीं होनी चाहिये तो सरकार को उसके लिये आश्वासन देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप हमको प्रश्न भेज देते तो हम स्वायत्त शासन मन्त्री के पास उसे भेज देते।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

प्रश्न यहां हो चुके। प्रश्न का उत्तर यह आया कि सरकार का ऐसा विचार नहीं है लेकिन जब वहां पर ऐसी चर्चा हुई तो वहां के सदस्य दौड़ कर आये और विधान सभा के सामने अनशन कर रहे ह। मन्त्री जी आश्वासन दे दें कि ऐसा नहीं होगा। इस तरह से अगर नगरपालिका भंग की गयी तो इससे प्रजातंत्र का हनन होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप रोज इस तरह से एक नया प्रश्न खड़ा कर देते हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हर रोज सरकार का गलत काम सामने आयेगा तो क्या किया जा सकता है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपके पास लिख कर भेजा है, उस पर तो आप विचार कर ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत जो नित्यानन्द जी ने इस सम्बन्ध में लिख कर भेजा है उसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

इसी तरह से त्रिवेणी सहाय जी का एक प्रश्न नियम 301 के अन्तर्गत मुझे प्राप्त हुआ है जो इलाहाबाद म पाकिस्तानी कैदियों द्वारा जेल के अन्दर उत्पात मचान के सम्बन्ध में है उसे भी मैंने अस्वीकार कर दिया है।

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 जनवरी, 1973 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 मार्च, 1973 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 माच, 1973 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का 11वां अधिनियम बन गया।

इलाहाबाद में पाकिस्तानी कैदियों द्वारा उत्पात मचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत जानकारी

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इलाहाबाद में पाकिस्तान के जो कैदी हैं होली के दिन जहां पर ये बन्द थे उन्होंने उत्पात मचाया। इलाहाबाद में तो यह घटना घटी कि उन्होंने खुलेआम पत्थरबाजी की और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये और प्रधान मन्त्री का जनाजा निकाला तथा उसे जलाया। प्रदेशीय सरकार ने इस तथ्य को जनता से छिपाया। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आप सदन में चर्चा कराय।

श्री अध्यक्ष—

यह केन्द्र का विषय है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

लेकिन घटना इलाहाबाद की है।

श्री अध्यक्ष--

विषय तो यह केन्द्र से ही सम्बन्धित है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

कम से कम वस्तुस्थिति क्या है इसकी जानकारी तो हमको मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आप इसके बारे में नहीं पूछ सकते।

कतिपय समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मैं सूचना देना चाहता हूं। कमेटीज के चुनाव के बारे में कुछ तारीखें मुकर्रर कर दी गई थी और 5 तारीख नामिनेशन के लिये रखी गई थी....

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। तो कुछ नेताओं ने मुझसे यह कहा कि ये तारीखें बदल दी जायं। लिहाजा ये तारीखें बदल दी गईं। 19 तारीख अप्रैल को 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, 21 अप्रैल को उनकी सूक्ष्म परीक्षा.....

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

यह जानकारी मुझे नहीं है। यह कब बदली गई ?

श्री अध्यक्ष--

यह परिवर्तन कल हुआ। आपके पास आदमी भेजा गया था लेकिन आप मिले नहीं।

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, मैं तो यहां पर मौजूद था।

श्री अध्यक्ष--

भंडारी जी मौजूद थे।

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, इस प्रश्न पर मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकता हूं। कैसे आपने यह कह दिया कि पार्टियों के नेताओं को बुलाकर आपने यह किया। मान्यवर, आप किसी चीज को तय करते वक्त उसे सीरियसली ले लिया करें।

श्री अध्यक्ष--

और पार्टी के लोग भी थे।

श्री बंशीधर पांडेय--

ठीक है, एक ही पार्टी से आप काम चला लीजिये। आपने इस विषय में मुझे बुलाया नहीं। इस पर हमारी राय नहीं हुई। यदि आप चाहते हैं कि इनकी ही राय काफी है तो फिर ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

जनसंघ वाले भी थे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

ठीक है । तो आप इनका विश्वास न करिये ।

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

मान्यवर, आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं आपसे साढ़े तीन बजे मिलूं और उसमें यह शर्त भी लगा दी थी कि मैं विरोधी दलों के ह्विपों से पहिले बात कर लूं । मान्यवर, मैंने बात करने का प्रयास किया । सौभाग्य से माननीय पांडेय जी गैलेरी में मुझे मिल गये । मैंने उनसे निवदन किया कि माननीय अध्यक्ष न सारे ह्विप्स को साढ़ तीन बजे बुलाया है । अन्य ह्विप्स से बात न हो पाई, पांडय जी ने सुझाव दिया कि हम सब लोग 5 बजे अपराह्न आपके कक्ष में मिलें आपके पास निर्भय नारायण सिंह जी को भी भेजा गया । मैं यह समझता था कि माननीय पांडेय जी की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ । अतः वे अवश्य 5 बजे आपके कक्ष में आयेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, जब हाउस समाप्त हुआ तो मैं चला गया था । उसके बाद इन्होंने मेरे पास आदमी भेजा होगा ।

श्री अध्यक्ष—

तो इसमें दिक्कत क्या है?

श्री बंशीधर पांडेय—

दिक्कत यह है कि हमारी भावना इसमें नहीं आयी । इनको आप डांट दीजिये । आइन्दा ऐसा न करें ।

श्री अध्यक्ष—

आइन्दा ऐसा नहीं होगा ।

तो 19 तारीख को नामिनेशन, 21 तारीख को सूक्ष्म परीक्षा, 4 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि और आवश्यक हुआ तो 8 तारीख को तिलक हाल में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा रुड़की विश्वविद्यालय के सिनेट में यहां के प्रतिनिधि चुने जाने के सम्बन्ध में चुनाव होगा और 9 तारीख मई को बाकी सभी कमेटियों का चुनाव होगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, गवर्नमेन्ट का एक प्रस्ताव आया था इसी प्रकार के जो और सम्बन्धित बोर्ड वगैरा हैं, उनका भी एक साथ ही चुनाव होगा . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं तो गवर्नमेन्ट से इस बात के लिये हिदायत कर देता हूं कि जो जगहें भरनी हैं, वे इस प्रकार है और जैसा कि इसके बारे में है । तो जिन सदस्यों के नाम भेजना हो सरकारी पक्ष कृपा करके अपनी लिस्ट भेज दे तो उनके लिये भी यही तारीख रखी जायगी ।

नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुखों को शपथ न दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने आपकी खिदमत में नियम 103 के अधीन एक सूचना भेजी थी और वह यह थी कि नवनिर्वाचित ब्लाक प्रमुखों को शपथ ग्रहण करने से रोक दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

कहां पर ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

अल्मोड़ा में और कई सात-आठ जगहों पर। तो मैं यह चाहता था कि आप इस मामले पर पूरी बहस होने दें। आपने अभी माननीय नित्यानन्द जी स्वामी को कह दिया कि वे एक न एक मसला रोज उठा देते हैं, हालांकि मैं भी उसके समर्थन में था, हो सकता है कि उनकी सूचना गलत हो लेकिन मामला सिर्फ हरिद्वार का ही नहीं है, रायबरेली में भी वहां की म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ लेकिन जो बहुमत बना हुआ है...

श्री अध्यक्ष--

आपने शपथ ग्रहण के बारे में कहा है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं कि आपको क्या कहना है ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, अच्छा शपथ ग्रहण के बारे में मामला यह है कि पिथौरागढ़ के बारे में मेरी निश्चित रूप से जानकारी है कि इसी शासन ने आदेश दिया था कि 24 तारीख को उत्तर प्रदेश में हर जगह नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुखों से शपथ ग्रहण कराया जावे। जिन्होंने 24 तारीख से पहले क्षेत्रीय समिति की बैठकें बुला लीं उनको स्थगित करके उनको शपथ ग्रहण नहीं करने दिया गया है। 24 तारीख को बी० डी० ओ० ने बैठक बुला रखी थीं जिनमें नव निर्वाचित सदस्यों, ब्लाक प्रमुखों, अनुमेलित सदस्यों और कोआपरेटिव द्वारा चुने हुए सदस्यों को, इन सभी लोगों को शपथ ग्रहण करना था लेकिन हुआ यह कि पंचायत राज्य निदेशक के आदेश के अनुसार उसको रोक दिया गया और मैं तो इसी सरकार को कहूंगा क्योंकि वे सरकार के एक अंग हैं और सरकार अन्दर खाने आदेशों के अनुसार काम करते हैं और उसी की वजह से यह सब हुआ है और यह आदेश हुआ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि चूंकि इनके खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं इसलिये इनको शपथ ग्रहण करने से रोक दिया जाय।

जिलाधीश ने बी० डी० ओ० को लिखा और बी० डी० ओज० ने जो क्षेत्रीय समितियों की बैठकें मुकर्रर की गयी थीं उनको कैंसिल कर दिया और ब्लाक प्रमुखों को शपथ ग्रहण करने से रोक दिया। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रजातंत्र विरोधी कृत्य के विरुद्ध जो कि यह सरकार प्रजातंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है, उसके विरुद्ध अवसर हमको मिलना चाहिये ताकि इस सदन में उस पर खुले आम बहस हो सके।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, आप कृपया मुझे भी थोड़ा सा सुन लें मैं बहुत जल्द समाप्त कर दूंगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। आपने अभी नित्यानन्द जी से कह दिया कि वे एक न एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

प्रश्न रोज उठा देते हैं लेकिन अगर महत्व के प्रश्न सामने आयेंगे और आपके सामन नहीं खड़े किये जावेंगे तो फिर किसके सामने लाये जावेंगे । आज स्थिति यह है कि प्रदेश भर में जो सत्तारूढ़ दल के विपरीत संस्थायें हैं उनको सुपरसीड किया जा रहा है । अब यह दूसरा प्रमाण है कि जो ब्लाक प्रमुख चुने गये और जो कांग्रेस पार्टी के विपरीत दलों के थे उनके कारण आदेश दे कर उनको शपथ ग्रहण नहीं करने दिया गया । कायदा यह है कि जब एलेक्शन हो जाता है तो उसके खिलाफ एक ही तरीका एलेक्शन पेटीशन का है, एक्जीक्यूटिव आर्डर उसकी कोई दवा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

मैंन श्री त्रिवेणी सहाय जी के एक प्रश्न को इसी सिलसिले में स्वीकार किया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आप मुझे सुन लें, मैं बहुत जल्दी ही समाप्त कर दूंगा । मैं कह रहा था कि जब एलेक्शन समाप्त हो जाता है सो उसक रिजल्ट क सम्बन्ध में शिकायत के लिये एक ही दवा रह जाती है और वह यह है कि एलेक्शन पेटीशन द्वारा अदालत के सामने उसकी चाराजोई हो, लेकिन उसकी दवा एक्जीक्यूटिव आर्डर नहीं है । इस प्रकार की शायद कहीं कोई मिसाल नहीं होगी कि गवर्नमेन्ट ने एक्जीक्यूटिव आर्डर के द्वारा उनको कार्य संचालन से रोक दिया हो, या ओथ लेने से रोक दिया हो । मान्यवर, वह जो आदेश थे वह इस प्रकार है, वह अंग्रेजी में है, मैं उसको पढ़े दता हूं, अभी हिन्दी में कर दूंगा:---

"Telephonic copy of orders of Nirvachan Ayukt addressed to District Magistrate, Pithoragarh.

Reference your letter No. 290/42, dated 14-3-73, regarding complaint of Lal Singh Pradhan Millam on the election of Pramukh Chhetra Samitis Munsyari pending decision oath ceremony of newly elected Block Pramukh should not repeat should not be administered till further orders."

इसका मतलब यह है कि जब तक दूसरा आदेश न जाय तब तक उनको शपथ न दिलाया जाय । यह इसमें लिखा हुआ है । एक मेम्बर की दरख्वास्त पर यह आर्डर किया गया है । तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा । अदालत से अगर कोई आदेश होता है वह तो हमारे लिये मान्य है लेकिन ब्लाक प्रमुख के एलेक्शन को उलटने के लिये चुनाव निदेशालय की तरफ से इस तरह का आदेश दिया गया है । इस सम्बन्ध में हमारे माननीय नित्यानन्द स्वामी ने भी शिकायत की है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

यह आदेश किसकी तरफ से गया है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

श्री त्रिवेणी सहाय जी ने भी इसी तरह की शिकायत की है, तो इस सम्बन्ध में उनको क्या कहना है ?

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, यह अच्छा हुआ कि यह विषय विधान सभा में अपने आप उठ गया । मैंने उस दिन आपको लिख कर दिया था कि ब्लाक प्रमुख जिनका परिणाम घोषित हो चुका था कि य ब्लाक प्रमुख हो गये हैं, उनको यहां से जो चुनाव का निदेशालय है, गवर्नमेन्ट ने लिखा खासतौर से उन लोगों के विरोध में जो विरोधी दल के थे । हमारे जिले में दो घटनायें ऐसी घटी हैं । उनमें एक उम्मीदवार ठाकुर विजय पाल सिंह हैं और इस तरह के 29 आदमियों की जानकारी

हमारे जिले में है। ठाकुर विजय पाल सिंह ने इंडीकेट के उम्मीदवार को हरा दिया और उनका नाम घोषित हो गया कि ये ब्लाक प्रमुख हो गये। उनको लिखा गया कि 24 तारीख को शपथ लेने के लिये वह कार्यालय पहुंचे....

श्री अध्यक्ष--

इस को वक्तव्य के लिये मैंने स्वीकार किया है। इस पर कल को वक्तव्य होगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जहां तक वक्तव्य की बात है, प्राइम मिनिस्टर की कांस्टीटुएन्सी रायबरेली के हरचन्दरपुर ब्लाक के श्री हरपाल सिंह ने इंडीकेट के उम्मीदवार को 6 के मुकाबले 56 वोटों से हरा दिया और उनका नाम जानबूझ कर गजट में निकालने से छोड़ दिया गया। जब मैंने एल0 आर0 से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि उनका नाम छूट गया था। यह प्राइम मिनिस्टर के कांस्टीटुएंसी की बात है। माननीय मुख्यमन्त्री जी को हमारे नेता राजेन्द्र प्रताप सिंह जी ने एक चिट्ठी लिखी कि एक बी0 डी0 ओ0 जिसका ट्रांसफर 10 बार हो चुका है, श्री बलदेव सिंह आर्य यहां मौजूद नहीं हैं दसों बार उसे छोड़ दिया गया। बी0 डी0 ओ0 ने टेस्ट वर्क आदि के नाम पर लाखों रुपया खर्च किया और उस ब्लाक प्रमुख को हराने की कोशिश की। सोचने की बात है कि प्राइम मिनिस्टर की कांस्टीटुएन्सी में अकेला श्री हरपाल सिंह का नाम ही अकेले गजट में जाने से क्यों छूट गया क्योंकि क्योंहरचन्दरपुर ब्लाक के प्रमुख श्री हरपाल सिंह प्रमुख चुने गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

कल इस पर कह लीजियेगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, 29 आदमियों की जो बात कही गयी, इसके अलावा भी कुछ ऐसे हुए हैं जो इससे बिलकुल भिन्न हैं। मैं चाहता हूं कि कल जब बयान आवे तो उस पर भी बयान आवे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बतला देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप मेरे पास लिख कर भेज देंगे तो उसको भी मैं शामिल कर लूंगा और कल वाले वक्तव्य के साथ उस पर भी वक्तव्य आ जायगा। वह भी कल के वक्तव्य में शामिल करके सब का एक साथ हो जायगा, रोज-रोज अलग-अलग लेना उचित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मुजफ्फरनगर में 24 मार्च को यह तय था कि ब्लाक प्रमुख शपथ लेंगे लेकिन जिलाधिकारी ने अपने आदेश से शपथ लेना उनका मुलतवी कर दिया....

श्री अध्यक्ष--

वह सब उसी वक्तव्य में हो जायगा।

बहराइच जिले की कचहरी में आग लगने से रिकार्ड की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)--

श्रीमन्, मैंने नियम 51 और 301 में सूचना दी थी कि बहराइच जिले में रेवेन्यू और क्रिमिनल का सब रिकार्ड 9-3-73 को जल गया, उस पर आपने वक्तव्य के लिये कहा भी था

[श्री पारसनाथ सिंह]

लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया जबकि रूलिंग कांग्रेस के एम० पीज० और विधायकों ने और वहां के बार असोसियेशन ने सब ने मांग की है कि इसकी जांच सी० बी० आई० के द्वारा करायी जाय क्योंकि यह जांच लोकल सी० आई० डी० ठीक से नहीं कर पायेगी, कलक्टर साहब तो वहां नये और इन्नोसेन्ट हैं, पुलिस के वर्जन और कलक्टर के वर्जन में भिन्नता है, वहां की जनता चाहती है कि निष्पक्ष सी० बी० आई० की जांच हो ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

वहां पर तमाम गबन के मामले चल रहे थे और वहां तमाम मालखाना जल गया है और सब कागजात खाक हो गये हैं.....

श्री अध्यक्ष—

क्या यह भी ब्लाक प्रमुखों की शपथ के सम्बन्ध में है ?

कई सदस्य—

यह दूसरा है ।

श्री अध्यक्ष—

तो इसके लिये कोई तारीख फिक्स होगी, मैंने गवर्नमेन्ट के पास वक्तव्य की तारीख फिक्स करने को भेजा है, तारीख फिक्स हो जायगी तो बतायेंगे ।

ब्लाक प्रमुखों वाला कल होगा और उसके साथ उससे संबंधित सब मिल जायेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा निवेदन है कि मैंने आप को नियम 103 में बाकायदा प्रस्ताव करके चर्चा के लिये दिया है। आप सरकार से केवल वक्तव्य दिलाना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वक्तव्य आने के बाद आप हमारी सूचना पर सदन में इस पर चर्चा करायें क्योंकि यह मामला बगैर चर्चा के वक्तव्य से हल होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

बजट के समय में इस तरह की चर्चा की बात ठीक नहीं है, मैं इसे वक्तव्य के लिये समय दिये देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जिलाधीश अल्मोड़ा के आदेश आप सुन लें तो आपको मालूम हो जायगा कि उसने क्षेत्र विकास अधिकारी....

श्री अध्यक्ष—

वह आप कल कहिये । चर्चा करने लायक होगा तो करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हरिद्वार वाले में आप वक्तव्य करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, वह नहीं हो सकता ।

पर्वतीय निगम के अध्यक्ष श्री परिपूर्णानन्द पेन्युली को हटाये जाने के विषय में वक्तव्य

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के सर्वतोमुखी आर्थिक विकास के लिये "उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड" की स्थापना 2 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से की गई है। यह निगम मार्च, 1971 से कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के आर्टिकल 75 (1) के अनुसार निगम के निदेशकों की नियुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा की जाती है। निदेशकों में से ही किसी एक निदेशक को राज्यपाल महोदय अपने विवेकानुसार निगम के अध्यक्ष (चेयरमैन) के रूप में नियुक्त करते हैं जिसकी ही अध्यक्षता में निगम कार्य करता है। 4 फरवरी, 1972 की शासकीय विज्ञप्ति में श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली को उक्त निगम का निदेशक एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पर्वतीय क्षेत्रों का विकास तेजी से तथा और अधिक कुशलता से करने के ध्येय से शासन पर्वतीय विकास निगम का पुनर्गठन करना चाहता था। इसलिये निगम के हित में यह उचित समझा गया कि मुख्य मंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष का पद ग्रहण करें। तदनुसार 1 मार्च, 1973 को निगम के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन किया गया और श्री पैन्युली निगम के अध्यक्ष पद से पृथक हो गये। उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के आर्टिकल 76 (11) तथा 80(111) में श्री राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी समय निगम के निदेशक को अथवा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं और उसकी जगह किसी अन्य को निदेशक तथा अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। निगम के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में जो भाषा प्रयुक्त हुई है उसके अनुसार शब्द 'हटाना' का प्रयोग अपरिहार्य हो गया था अन्यथा श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली, संसद सदस्य के प्रति अविश्वास अथवा असम्मान प्रकट करने का कतई इरादा नहीं था। निगम के पुनर्गठन का कार्य जनहित में किया गया है।

2—श्री पैन्युली के अध्यक्ष पद से पृथक हो जाने पर भ्रम फैला था उसके निवारणार्थ एक प्रेस नोट जारी करके स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। उक्त प्रेस नोट में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि पुनर्गठन की कार्यवाही जनहित तथा निगम के हित में की गई है।

3—जहां तक निगम की महाराष्ट्र की संस्था "माफको" के साथ सेब के व्यापार में हुई हानि का प्रश्न है, यह बताया जाना उचित प्रतीत होता है कि निगम को सेब के व्यापार में आर्थिक हानि अवश्य हुई है तथापि कुल हानि कितनी हुई है इसका पता एकाउन्ट्स क्लोज करने के बाद बैलेन्स शीट बनने पर ही चलेगा। निगम के प्रबन्ध निदेशक से अनुरोध किया जा चुका है कि वे निगम के एकाउन्ट्स को चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स से चेक करवा लें और अप-टू-डेट एकाउन्ट्स बनवा लें और सेब के व्यापार में हुई हानि के सम्बन्ध में शासन को रिपोर्ट भेजें। इस सम्बन्ध में अभी जांच करवाई जा रही है।

4—जहां तक निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रश्न है, इसकी कोई सूचना शासन को नहीं है। यदि विशिष्ट (specific) शिकायतें शासन के प्रकाश में किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध लाई जायेंगी तो उन पर जांच करा ली जायेगी।

निगम ने गत वर्ष निम्नलिखित इकाइयों की स्थापना का निश्चय किया था :—

(1) टेलीवीजन एसेम्बली इकाई, भीमताल।

(2) जी० आई० वायर, बार्ब्ड वायर इकाई, कोटद्वारा।

(3) ए० सी० एस० आर० कन्डक्टर्स इकाई, हल्द्वानी।

(4) डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर्स इकाई, कोटद्वारा।

[श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी]

उपरोक्त इकाइयों की स्थापना के निर्णय के उपरान्त स्माल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (जो कि बिड़ला इन्सटीट्यूट आफ साइन्टिफिक रिसर्च की एक इकाई है तथा जिन्होंने निःशुल्क 'रिसर्च' तथा डेवलपमेंट कार्य को बढ़ावा देने हेतु टैक्निकल सहायतायें देने का प्रस्ताव किया था) के साथ अभी तक कोई अनुबन्ध नहीं किया है और न लिखित रूप से कोई समझौता ही हुआ है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रोनिक्स कमीशन से सूचना प्राप्त की जा रही है कि ऐसी इकाइयों की स्थापना हेतु तकनीकी सहयोग किन-किन संस्थाओं व किन शर्तों पर प्राप्त हो सकती है। मैं माननीय सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अन्ततः जो भी निर्णय लिया जायेगा वह पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगीकरण, आर्थिक विकास तथा स्थानीय जनता को अधिकतम रोजगार दिलवाने की सम्भावनाओं की वृद्धि को सर्वोपरि मानते हुए लिया जायगा। निगम द्वारा किसी विशेष पूंजीपति को लाभान्वित नहीं किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली ने यहां लखनऊ में एक प्रेस कानफ्रेन्स की और उसके अन्दर यह आरोप लगाया कि यह जो बिरला के साथ समझौता किया गया है, उनके कोलोब्रेशन से, वह समझौता इस हद तक हो गया था कि कमिश्नर, और नैनीताल के जिलाधीश और मैनेजिंग डायरेक्टर ने बैठकर सब कार्यवाही पूरी की और उसका परि-पत्र भी तैयार हो गया और प्रोफार्मा आदि सब बातें अन्तिम रूप से तैयार हो गयी थीं इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है, क्या यह सही है?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, इसमें जो समझौता हुआ उस पर निगम ने तीन बार विवेचन किया और तीनों बार स्वयं पैन्युली जी उसके अध्यक्ष थे। जब पहली बार विचार 17 मार्च, 1972 को हुआ। दूसरा 3 जुलाई, 72 को हुआ जब प्रोग्रेस रिपोर्ट और तीसरी बार पर्वतीय क्षेत्र में 4 औद्योगिक इकाइयों की योजनायें सुझाव निगम के बोर्ड आफ डाइरेक्टर के सामने आयीं। तीसरी मीटिंग हुई 14–12 को। इनकी अध्यक्षता श्री पेन्युली जी ने की थी। इसमें यह भी तय हुआ कि जो चार योजनायें हैं, उसमें दो, हल्द्वानी और कोटद्वारा में 26 जनवरी, 73 से शुरू की जायं बिड़ला के साथ गवर्नमेंट का कोई समझौता नहीं हुआ। जो विचार हुआ था, बोर्ड आफ डाइरेक्टर की मीटिंग में हुआ था और उसकी अध्यक्षता स्वयं श्री पेन्युली जी ने की थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो 4 इकाइयों के काम करने की बात तय हुई थी, उसमें श्री पेन्युली जी का आरोप है कि उनकी वाइड पब्लीसिटी नहीं की और बाकी लोगों को अवसर नहीं दिया, और अकेले बिड़ला को अवसर क्यों दिया गया?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

वाइड पब्लिसिटी करने या न करने का काम निगम का था और निगम की तीनों मीटिंग्स जो हुईं, जिनमें प्रोजेक्ट पर विचार हुआ, उनमें तीनों में अध्यक्षता पेन्युली जी ने की थी। उन्होंने कोई वाइड पब्लिसिटी नहीं की। उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग्स हुईं, उन्हीं की अध्यक्षता में निर्णय लिये गये, उन्हीं की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट की बात आई और उन्हीं की अध्यक्षता में फिर यह तय हुआ कि दो जगहों में इकाई लगा दी जाय। उसमें तो रिकार्ड मौजूद है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी रिपोर्ट में यह है कि निगम के आर्टिकिल आफ एसोसियेशन में जो भाषा प्रयुक्त हुई है, उसी के अनुसार शब्द 'हटाने' का प्रयोग अपरिहार्य

हो गया था, अन्यथा श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली, संसद सदस्य, के प्रति अविश्वास अथवा असम्मान प्रकट करने का कतई इरादा नहीं था"। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालें कि शब्द 'हटाने' का प्रयोग इसलिये किया गया कि वह निगम की आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन में भाषा है, या इसके प्रयोग करने का कोई और कारण था ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, इनको हटाया ही नहीं गया। जैसा कि वक्तव्य में निवेदन कर चुका हूं, निगम का पुनर्गठन आवश्यक हो गया था।

श्री बंशीधर पांडेय—

आपने मान्यवर, वक्तव्य में एक लाइन लिख दी हटाने के बारे में, इसके लिखने की मन्शा क्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आर्टिकिल आफ एसोसियेशन में है कि चेयरमैन को गवर्नर अप्वाइन्ट करता है। फिर गवर्नर को अधिकार है कि डिसमिस करे या रिमूव करे। वह पुनर्गठन हुआ। तो आर्टिकिल आफ एसोसियेशन के हिसाब से डिसमिस करने का कोई सवाल नहीं था। उसमें लिखा गया है रिमूवल। मैं ऐसा समझता हूं कि बड़ी आसानी से हम वह शब्द एवाइड कर सकते थे। मैंने पहली बार कहा था कि मुझे खेद हुआ कि इस शब्द का प्रयोग इस तरह से किया कि जिससे किसी को भी चोट लग सकती है कि रिमूवल किया गया किसी बात खास गुनाह की वजह से। लेकिन आर्टिकिल आफ एसोसियेशन में जो शब्द लिखा गया था, उसी को उन्होंने कोट कर दिया कि "आइदर चेयरमैन कुड बी डिसमिस्ड आर रिमूव्ड' तो डिसमिसल का सवाल नहीं था। दूसरे शब्द को लिख दिया कि रिमूव किया गया। मैं समझता हूं और मैं कह भी चुका हूं कि अगर वह नोटिस मेरे सामने आई होती तो मैं शायद, चूंकि मेरे पास बहुत से शब्द-जंजाल हैं, एवाइड कर सकता था आसानी से।

श्री अध्यक्ष—

'हटाने' के बजाय 'सेवा निवृत्ति' से तो सम्बन्ध नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं कुछ भी कर सकता था। उनसे यह भी कह सकता था कि काम को आगे बढ़ाने के हित में हटें, उनसे प्रार्थना कर सकता था और यह भी कह सकता था कि उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली। कोई आवश्यकता नहीं थी 'रिमूवल' की।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आर्टिकिल आफ एसोसिएशन में इस तरह की व्यवस्था है कि राज्यपाल महोदय निगम को भंग करके पुनः गठित कर सकते हैं या उनके लिये यह जरूरी था कि वह अध्यक्ष को पहले हटायें, तब इसका पुनर्संगठन करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जहां तक मेरी जानकारी है अध्यक्ष की नियुक्ति दो वर्ष के लिये हुई थी और निगम का समय भी 31 दिसम्बर को बीत गया था। इसके बाद दो महीने का समय बढ़ाया गया कि इसका पुनर्संगठन किया जाय क्योंकि यह आवश्यक था कि काम के हित में और जिस काम के लिये निगम बना था उसके हित में, इसका पुनर्गठन किया जाय। एक-दो महीने का एक्सटेंशन देकर किया गया। और जब तक अध्यक्ष का स्थान रिक्त नहीं होता, काम को आगे

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बढ़ाने के लिये कोई दूसरा अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो सकता था । स्थान रिक्त करने के लिये 'रिमूवल' शब्द का प्रयोग हो गया है । अगर थोड़ी सावधानी से काम किया गया होता तो इस कठोर शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती ।

श्री जयराम वर्मा—

माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान में यह है कि गर्वनर साहब को स्वविवेक से अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है, तो क्या उन्हें स्वविवेक से हटाने को भी अधिकार है ? अगर ऐसा है तो क्या उन्होंने स्वविवेक से किया अथवा गवनमेंट की सिफारिश पर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गवर्नर को हटाने का, डिसमिस करने का और नियुक्त करने का भी अधिकार है ।

श्री जयराम वर्मा—

गवर्नर को 'स्वविवेक' से नियुक्त करने का अधिकार है, किसी की सिफारिश पर नहीं । तो क्या गवर्नर को 'स्वविवेक' से हटाने का भी अधिकार है या गवर्नमेंट की सिफारिश पर । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने स्वविवेक से हटाया है या गवनमेंट की सिफारिश पर हटाया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जयराम जी महाराज मंत्री रह चुके हैं । उन्हें मालूम है कि गवर्नर का डिस्क्रीशन कहां-कहां लागू होता है और कहां-कहां एडवाइज से काम करते ह ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । निगम का गठन इसलिये किया गया कि स्थानीय लोगों को कार्य दिया जायगा । अभी मंत्री जी ने तीन मीटिंग्स का जिक्र किया । ऐसा तो नहीं है कि इन तीन मीटिंग्स में इन्होंने यह संदेह व्यक्त किया हो कि बिड़ला साहब बाहर के लोगों को लायेंगे और इससे वहां के लोगों का विकास नहीं होगा और इसलिये उन्हें हटा दिया गया ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

ऐसी बात नहीं थी ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोण्डा)—

आर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन का रेफरेंस इस वक्तव्य में है । इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के आर्टिकिल 75(1) के अनुसार निगम के निदेशकों की नियुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा की जाती ह । निदेशकों में से ही किसी एक निदेशक को राज्यपाल महोदय अपने विवेकानुसार निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं । इसमें लिखा है कि निदेशकों में से ही किसी एक निदेशक को नियुक्त करते हैं । आखिर में है कि मुख्य मंत्री जी को बैठाया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन नियमों में परिवर्तन कर दिया है या गवर्नमेंट की सिफारिश पर काम हो रहा है ? मुख्य मंत्री तो निदेशक नहीं हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मुख्य मंत्री, पहले निदेशक बने, फिर अध्यक्ष बने ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिड़ला जी के क्या प्रोपोजल्स थे जो निगम के सामने रखे गये और जिन साहब को, पेन्युली जी को, हटाया गया है वह उन प्रोपोजल्स को पसन्द नहीं करते थे जबकि सरकार चाहती थी कि मंजूर कर लिये जायं। क्या इसी मतभेद पर उनको अलग किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सरकार के सामने यह प्रोपोजल्स कभी नहीं आये इसलिये सरकार के सामने मंजूर करने या न करने का प्रश्न नहीं था।

श्री बलबीर सिंह—

मैं प्रोपोजल्स जानना चाहता हूं कि वह क्या थे।

श्री अध्यक्ष—

वह तो कमेटी के सामने आये थे।

श्री बलबीर सिंह—

यह पुनर्गठन तो कमेटी का ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

वह कौन से प्रस्ताव आये हैं। वह पढ़ कर सुना दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

वक्तव्य में ही कहा गया है कि स्माल इंडस्ट्रीज रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ साइन्टिफिक रिसर्च की एक इकाई है। उससे टेक्निकल सहयोग लेकर पर्वतीय क्षेत्र में चार उद्योग लगाने पर विचार हो रहा था। इतनी ही बात थी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जब माननीय परमानन्द जी को रिमूव कर दिया तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया और दो स्पष्ट आरोप लगाये। एक तो यह कि उन्होंने बिड़ला के साथ साठगांठ करने की मुखालफत की इसलिये वह मुख्य मंत्री के कोपभाजन बने और दूसरा यह कि उन्होंने महाराष्ट्र की संस्था—माफको के साथ सेब का व्यापार करने का विरोध किया इसलिये वह मुख्य मंत्री के कोपभाजन बने। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बातें सही हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, एक तो नेगीजी ने साठगांठ शब्द का प्रयोग किया जिस पर मैं आपत्ति करता हूं। मैं कह चुका हूं कि वह एक टेक्निकल संस्था है जिसका नाम सिरडो है। स्माल इंडस्ट्रीज रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट का छोटा नाम सिरडो है। टेक्निकल सहयोग लेने की बात थी ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लग सकें। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुयी। पैन्युली जी और बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में इस विषय को लेकर कोई भी मतभेद नहीं हुआ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

दूसरा प्रश्न यह था कि महाराष्ट्र में सेबों का व्यापार किया। उसका भी लगातार पैन्युली जी ने विरोध किया। क्या यह सही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

सेवों के व्यापार के संबंध में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में दिनांक 2-4-72 को सबसे पहले विचार किया। वह निर्णय भी सर्व सम्मत था। पैन्यूली जी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। फिर दिनांक 10-5-72 व 17-5-72 को मीटिंगें हुयीं। दिल्ली में उसमें श्री पैन्यूली, निगम के प्रबन्ध निदेशक और माफकों के एक प्रतिनिधि थे। 25-7-72 को एग्रीमेंट हुआ और वह भी पैन्युली जी की मौजूदगी में हुआ। इसलिये मतभेद का कहीं कोई प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

लगातार 3 मीटिंगें हुई और फिर भी यह मामला तय नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि मतभेद था। नव गठित बोर्ड बनाया गया है। उसमें यह मामला फिर आया। इस "सिरडो" के मामले में आप क्या निर्णय ले रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने भारत सरकार के उद्योग विभाग और इलेक्ट्रोनिक्स कमीशन को लिखा है कि क्या ऐसा सहयोग अन्यत्र भी कहीं मिल सकता है और किन शर्तों पर मिल सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर बहुत सारी बातें इधर-उधर कही जा रही हैं। प्रेस कांफरेंस में कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाये गये थे। क्या यह संभव है कि माननीय मुख्य मंत्री जी पत्र लिख कर उनसे पूछ लें कि उनके क्या आरोप हैं और उनको कान्फिडेंस में लेकर उनसे बात कर लें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो सुझाव आपने दिया है उसे मैं कार्यान्वित कर चुका हूं पहले ही से। मैंने उनको पत्र ही नहीं लिखा, दिल्ली गया तो उनसे प्रार्थना की कि वे आकर मुझ से मिल लें। उन्होंने यह कहलाया कि मैं नहीं आऊंगा मिलने। तब मैंने कहलाया कि जब वे घर पर हों तब मैं उनसे मिलने आ जाऊं। तब भी कहला दिया कि मुझ से मिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्हें जो चोट लगी है वह स्वाभाविक थी। जहां तक अनुबन्ध का मामला है, यह सब जितना हुआ वह उनकी अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने यहां आकर प्रेस कांफरेंस की। उसके पहले मुझे याद नहीं है कि कभी किसी प्रकार की लिखित शिकायत इन बातों के संबंध में आयी हों। हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। इसमें भी संदेह नहीं कि सेव वाले मामले में कुछ घाटा हुआ है। उसकी जांच हो रही है कि कितना घाटा हुआ है। बिरला जी से कोई समझौता, या कन्सर्न या कोई हिस्सेदारी नहीं है, टेक्निकल नो हाऊ की बात है। इस पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने तय किया। अब हम इलेक्ट्रोनिक्स कमीशन और भारत सरकार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पूछ चुके हैं कि ये इकाइयां अगर लगती हैं तो इनका नो हाऊ क्या कहीं और से मिल सकता है या वे दे सकते हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

क्या सेवों के संबंध में धांधलियों के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी श्री परिपूर्णानन्द जी ने शिकायती पत्र लिखा था और उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

ऐसे पत्र की कोई जानकारी हमें नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मुख्य सचिव को लिखे गये पत्र की जानकारी आपको नहीं होगी । पैन्युली जी ने स्पष्ट कहा है कि जो गड़बड़ी हुई हैं उनके बारे में वह मुख्य मंत्री जी को लिखते रहे हैं । इसके बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है तो क्या मुख्य मंत्री जी कृपा करके उन पत्रों के बारे में बतलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, पत्र का तो मुझे स्मरण नहीं आता है । वह मुझ से दिल्ली में मिले थे और कहा था कि निगम के आर्टिकिल और एसोसियेशन बदले जायं या रूल्स और रेगुलेशन्स बदले जायं और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो निगम से उनको बदल दिया जाय । यह बात उन्होंने जबानी की थी । मैंने निवेदन किया था कि आप लखनऊ आवें तो आपसे बात कर लूंगा । मैं नहीं समझता हूं कि आर्टिकिल और एसोसियेशन जो रजिस्टर हो गये कैसे बदले जा सकते हैं । आप आयें तो देख लूंगा । मैं समझता हूं कि उनके प्रति न तो कोई असम्मान की बात थी और न कोई आरोप था । पुनर्गठन की बात हुई और आप देखें कि उस पुनर्गठन में कोई दूसरा आदमी नहीं रक्खा गया है । मुख्य मंत्री स्वयं हैं जो किसी समय हट सकते हैं । मैं कोशिश करूंगा कि पैन्युली जी से बात करूं और वह मुझे गड़बड़ी बतलावें । मैं उनकी जांच करा लूंगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं । एक श्री बंशीधर पांडेय का है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

उसमें अखबार की बात तो मैंने बढ़ा दी है । सरकार की ओर के कुछ नेता मुख्य मंत्री जी से सलाह किये बिना वक्तव्य दे देते हैं । सरकार में आस्था पैदा करने के लिये आजमगढ़ में विकास सम्मेलन हुआ । उसमें प्रदेश के और देश के कई मंत्री सम्मिलित हुये । उसमें केन्द्रीय योजना मंत्री श्री धर; केन्द्रीय राज्य खाद्य मंत्री, श्री अन्ना शिंदे; केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री, गणेशान; विद्युत एवं वित्त मंत्री, उ0प्र0, श्री नारायण दत्त तिवारी; राज्य मंत्री, श्री यादवेंद्र सिंह; डा0 के0 एल0 राव, केंद्रीय सिंचाई मंत्री आदि मुख्य हैं । लगभग पूरा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ में गया था । वहां पर श्री चन्द्रजीत यादव को कुछ युवकों ने 36 जूतों की माला पहनाई ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अखबार के ऊपर·····

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मैं निवेदन करता हूं कि अगर मुख्य मंत्री जी कहेंगे तो मैं नाम भी बतला दूंगा। इस तरह की टैक्टिस जो आप लोग कर रहे हैं वह मैं यूनीवर्सिटी में बहुत कर चुका हूं। आपके व्यय मंत्री जी जवाब दें, मैं भी जवाब दूंगा। लेकिन इस तरह की टैक्टिस न करें। (एक सदस्य के खड़े होने पर) यह बात मत करो, आप बैठिये अपनी जगह पर....

श्री अध्यक्ष—

इस चीज को मैंने स्वीकार नहीं किया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह भी स्पष्ट कर दें कि जूते आपसी थे।

श्री अध्यक्ष—

बजट भाषण में जो कुछ कहना हो वह कहें..... (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसी टैक्टिस से मैं चुप नहीं रहूंगा। गुरु भी समझता है कि चेला उससे अधिक नहीं होने का।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं एक बात कहना चाहता हूं। चेला गुरु की बात नहीं है, क्योंकि बंशीधर मेरे चेले हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं मानता हूं इसको।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

गुरु की कारीगरी देखना है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कारीगरी यह देखेंगे कि गुरु गुड़ रह जाता है और चेला शक्कर हो जाता है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं तो अर्जुन की तरह से गुरु द्रोणाचार्य के आदेश का पालन कर रहा हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अर्जुन तो द्रोणाचार्य के चरणों में बाण मारते थे। और ये अपने गुरु के सर पर बाण मारते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

आज भी चरणों में ही बाण मार कर मुझे घोर महाभारत युद्ध करना है। मैं यह कह रहा था कि मान्यवर, किसी अखबार में .....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

किसी अखबार में छपी हुई रिपोर्ट, और उसको इस तरह से सदन में पेश करें और किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सम्मानित है और पार्लियामेंट का मेम्बर है उसके संबंध इस प्रकार की बातें कहें यह कहां तक उचित है? यह तो आपके और सदन के गौरव के विरुद्ध है।

श्री बंशीधर पांडेय—

पंडित जी, मैं अखबार की बात नहीं कह रहा हूं। सुबह एक आजमगढ़ के शासक दल के नेता मिले थे और उस समय रामविलास पांडेय भी मौजूद थे, उन्होंने सारी घटना का वर्णन किया। आप एतराज करते हैं तो शिरोधार्य है, मैं जूते वाली बात पर नहीं जाता। इलाहाबाद में एक मंत्री थे गोली चल गयी और यहां तो एक दर्जन मंत्री मौजूद थे और वहां पर आजमगढ़ में जूत, चप्पल, ढेले मीटिंग में चलाय गये। "जूता" शब्द नहीं कहता हूं, ढेले चले और इतने चले कि मीटिंग ही नहीं हो पायी और सारे पुलिस के अधिकारी खड़े देखा किये। मैं इस बात पर जोर नहीं देता कि 108 जूतों की माला थी या 36 जूतों की माला पहनायी गयी, लेकिन यह कहता हूं कि सारी व्यवस्था जो थी....

एक सदस्य--

एक व्यवस्था चाहता हूं। क्या आप इनकों मौका दे रहे हैं। इस बहस पर चर्चा के लिये ? क्या अवसर दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

मौका नहीं दिया गया। वह जिद से कह रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं कह रहा था कि ला एण्ड आर्डर वहां मेनटेन नहीं हुआ।.....

(व्यवधान)

नीचे के अफसर का कुछ कर्तव्य होना चाहिये। कलेक्टर और एस0पी0 सब खड़े रहें और मंत्री लोग पिटें--दर्जन भर मंत्री। तो श्रीमन, यह स्पष्ट कामरोकों प्रस्ताव मानने योग्य है। शान्ति-व्यवस्था के सबंध में इससे बढ़कर आश्चर्यजनक क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

अब कामरोको प्रस्ताव नहीं हो सकता। वक्तव्य के लिये आप.....

श्री बंशीधर पांडेय--

वक्तव्य दिलवा दें। मैं उसके लिये लिख कर भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर भेज दीजिये।

श्री डी0 पी0 बोरा (जिला लखनऊ)--

सब अनर्गल बातें कही गयी हैं आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसकी इजाजत नहीं दी।

दूसरा नित्यानन्द जी का है। यह भी अखबार के ऊपर आधारित है। इसको भी स्वीकार नहीं किया।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था जो उर्दू प्रेमी अनशन कर रहे हैं उस पर।

श्री अध्यक्ष--

वह मेरे पास नहीं आया है अभी।

श्री डी0 पी0 बोरा--

कम से कम जो अनर्गल बातें सदन के पटल पर तरुण भारत अखबार के आधार पर कही गयीं हैं, जो आर0 एस0 एस0 का अखबार ह, उनको प्रोसीडिंग्स स निकलवा दीजिय।

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महा मंत्री श्री हबीबुर्रहमान मौजूद थे।

(घोर व्यवधान। कई सदस्य एक साथ खड़े चिल्लाते रहे)

1973-74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 16--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या 52---राज्य व्यापार की योजनाएं

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मुझे यह कहना था कि खाद्य और रसद से संबंधित आज जो अनुदान हमारे सामने विचारार्थ पेश होने जा रहा है यह गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण की सूचना जब लागू की गयी उस दिन से एक दाना भी गेहूं का क्रय केन्द्रों पर नहीं आया . . .।

डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता (जिला आगरा)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

इनका भी व्यवस्था का प्रश्न है।

डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता---

आप इस बात के लिये स्वयं जिम्मेदार हैं कि आप इस तरह की दुर्व्यवस्था यहां फैला रहे हैं। अब आपने उनको बोलने की परमीशन नहीं दी थी तो क्यों इतनी देर तक भाषण देने दिया। इसकी जिम्मदारी आपको लेनी पड़ेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं यह कह रहा था कि गेहूं का थोक व्यापार अधिग्रहण लागू होने के दिन से एक दाना क्रय केन्द्रों पर नहीं आ रहा है। उल्टे जो इन्होंने नियम बनाये उनका उल्लंघन हो रहा है। फुटकर व्यापारी 125 रुपये क्विंटल पर गेहूं खरीद कर 135 और 145 रुपये क्विंटल पर बेच रहे हैं और अधिकारी भी उनकी मदद कर रहे हैं। म यह कहना चाहता हूं कि आप अपने भाषण में यह आश्वासन दें

(व्यवधान)

कि किसान को 84 रुपये के हिसाब से प्राइस दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

फिर यह कैसे असेम्बली चलेगी? मैं नहीं बैठूंगा।

(जनसंघ दल के सभी सदस्य खड़े हो गये---व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आपको कटौती का प्रस्ताव रखने का अधिकार है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता था।

कटौती का प्रस्ताव हम पेश नहीं करेगें। हम तो केवल यह चाहते थे. . . . (व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं यह कह रहा हूं कि आज तो खाद्य का विषय है, आप प्रश्न उठा सकते हैं। पहले बजट तो पेश हो जाने दीजिये.... (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बात नहीं है, आप हमारी बात को नहीं समझे, हमें आप कहने तो दीजिये। इस तरह से हम नहीं बैठेंगे। इस तरह से सदन नहीं चल सकता.... (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप आश्वासन चाहते हैं, आपको कटौतीका प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है (व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं एक बात पूंछना चाहता हूं कि क्या इसका यही तरीका है। आप कटौती का प्रस्ताव जब पेश करें तो जो जो बात आप कहना चाहते हैं, कहें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह गलत है, कि जो अनुशासन में रहता है उसको अपनी बात आप कहने नहीं देते। मैंने कोई गलत बात नहीं कही।

श्री कमला पति त्रिपाठी—

कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय आप जितने चाहें आश्वाशन मांग सकते हैं। मगर यह कौन सा तरीका है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम यह नहीं कह रहे हैं कि पहले आश्वासन दें दे। आपने तो हमारी बात सुनी ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

क्या वह बजट पेश न करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह कहां कह रहा हूं कि वे बजट पेश न करें। आप सुनते तो हैं नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप जब गुस्से में आ जाते हैं.... (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि देख रहा हूं कि इसका परिणाम क्या निकला....

श्री अध्यक्ष—

लेकिन यह कायदे के खिलाफ है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह मैं मानता हूं, लेकिन आपके दृष्टिकोण से मैं विवश हो गया हूं। यह मैं कायदे के खिलाफ करना चाहता हूं, तो आपको जो नियमों में अधिकार है, उसका आप पालन कीजिये।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मैं मजबूर हूं, आप हमारे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर। मंत्री जी घोषणा करें कि 84 रुपये क्वींटल का दाम किसानों को दिया जायगा।

(अत्यन्त शोर के बीच)

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

मैं श्री राज्य पाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धन राशि के अतिरिक्त 2,62,94,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं श्री राज्यपाल को शिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52--राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकानें के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,10,36,05,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनेक सदस्यों द्वारा आवाजें--सब प्रकार के गेहूं को 84 रुपये क्विंटल के दाम दो।)

श्री अध्यक्ष--

देखिये इस तरह से आप धींगा मुश्ती न कीजिये। नेगी जी आप कटौती का प्रस्ताव पेश कीजिये। अनुदान पेश हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

अगर किसान को उचित दाम उसकी उपज का नहीं मिलता है तो यह भी तो धींगा मुश्ती है, बेइमानी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

गल्ला नहीं आ रहा है बाजार में, बाजार में दाम बढ़ गये हैं। लोगों को मिल नहीं रहा है गेंहूं। राशन की दुकानों पर गेंहू महीनों से नहीं है। जनता भूखों परेशान है। आप घोषणा करें कि 84 रुपये क्विंटल हर गेंहू का मूल्य होगा।

(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान (जिला इलाहाबाद)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आज आपने मुझे सिखाया है और मैंने आप के अनुभव से सीखा है कि जहां लाठी जूतों की बात चलेगी वहां आप घंटों कहने देंगे। लेकिन जो शान्ति से कहेगा, मेरा जैसा आदमी कहेगा, उसे आप नहीं कहने देंगे। मैं आपकी इस कार्यवाही के प्रति बहुत क्षुब्ध हूं और मैं उसके विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

श्रीमन्, आढ़ती अब किसानों के हमदर्द बन गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

नेगी जी अब आप कटौती का प्रस्ताव पेश करें।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

अभी मंत्री जी कुछ भाषण भी देना चाहते हैं, पहले उनको मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा । मंत्री जी बोलना चाहते हैं । तो वह बोलें ।

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, यह जो हमारा खाद्य और रसद का बजट है, वह बड़े टेंशन के वक्त पेश हो रहा है, हाउस में भी टेंशन है और देश व प्रदेश में भी टेंशन है । मैं इसको बड़े विनम्रता पूर्वक और बड़े दृढ़ता पूर्वक पेश कर रहा हूं । स्थिति को देखते हुये इसमें उम्मीद यह थी कि जैसी गम्भीर परिस्थिति चल रही है, उसमें हम आपसी मतभेद, राजनैतिक मतभेद आदि सब चीजों को भुलाकर आपस में बैठकर इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लेगें, नीति निश्चित करेंगे । हमारा इरादा यह था और अब भी है कि बजट के बाद में जो बिरोधी दलों के नेता हैं और हमारे जो बड़े-बड़े लोग हैं उनको बुलायें और मुख्य मंत्री जी के साथ बैठकर तमाम लोगों से इस बात पर विचार विमर्श करें और खुले दिमाग से विचार विमर्श करके इसे कर्यान्वित करें । अगर हमारी इस स्कीम में कहीं कोई त्रुटि है खामियां हैं तो उसे हम दूर करें —यह हमारा इरादा है ।

इसको मैं किसी पार्टी लाइन पर नहीं पेश करना चाहता हूं, इसको मैं कोई बहुत बड़ा तनाव नहीं देना चाहता हूं ।

(इस समय 1 बज कर 14 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये ।)

मुश्किल है । जब तनाव हो जाता है तो किसी ठीक निर्णय पर पहुंच जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है । इसमें जिद, न रोष, और न हठ का काम है । यह सामूहिक रूप से आने की चीज है यह आज से स्थिति नहीं है । खाद्यान्य की स्थिति बराबर देखी जा रही है । उस पर सरकार अपनी आंखे रखती चली आ रही है और जब जैसा मौका पड़े जिस प्रकार जहां पड़ा, उस प्रकार उसने परिवर्तन किये । कीमतें बढ़ती जा रही हैं और हर दल का यह विशेष आग्रह है कि इन कीमतों को कम करो, काबू में लाओ, इन कीमतों पर नियन्त्रण करो । न सिर्फ वह दल, हमारे दल से भी इस प्रकार की बातें हो रही हैं । नियंत्रण कैसे होगा ।

हम इस दल के लोग इस काम को करने के लिये सक्षम हैं । उनको अधिकार प्राप्त है, वह सोचते हैं, वह सोच करके आपके सामने बात करते हैं । आप हमको बतायें । लेकिन जब एक निश्चय हो जाता है तो प्रजातांत्रिक तरीका यह है कि चाहे कानून हों चाहे पालिसी हो, वह पालिसी चलाने में हमारी मदद करें । सिर्फ उसमें खामियां निकालने से काम नहीं चलता । आप निकालें, आप बतायें हम स्वागत करते हैं । लेकिन जब कार्यान्वयन करना चाहेंगे तो बहुमत दल को अधिकार प्राप्त है कि जिससे आप तववकों कर रहे हैं वह कीमतों पर नियंत्रण करे उसको अपनी मदद से काम करने का मौका भी दें । जब वह अपने मन से काम करे तो उसमें अगर कोई ऐसी बात न हो, आपका सहयोग भी अपेक्षित है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अगर आप का यह निश्चय हो कि आप लोगों को अन्न के अभाव में भखों मार डालें, तब भी हम सहयोग करें ?

श्री बेनी सिंह---

अगर आपका यह निश्चय है तो हमारा यह निश्चय नहीं हो सकता । यह कैसे सम्भव है ? ऐसी हाईपोथेटिकल बात कहते हैं जिसकी कहीं गुंजाइयश नहीं है कहने की । कहने के लिये, कुछ भी कह सकते हैं । कहने के लिये कह सकते हैं आप जायसवाल नहीं हैं, मैं बेनी सिंह नहीं हूं । लेकिन क्या संभव है कि हम भूखों मार डालें । ऐसी बात सम्भव नहीं है । ऐसी बात कहने की गुंजाइश नहीं है । जब कीमतें बढ़ी तो हमने एक नयी स्कीम चलायी । न किसानों को शासन हानि होने देगा, न उपभोक्ता को । अगर हम बाजार में न जायं, अगर हमारी खरीद न हो, तो किसान को माल बहुत कम कीमत पर जायगा 60–65 पर जायगा । किस हद तक जायगा कह नहीं सकते ।

पिछली मर्तबा जब जब हमको देर हो गयी तब तब किसान की कीमतें कम हो गयीं । जब हम बाजार में आयें तो कीमत उठीं । किसान का गल्ला कम कीमत पर खरीद लेंगे और 15–20 दिन के बाद कीमतें बढ़ने लगेंगी । इस 15–20 दिन में तो किसान गल्ले को रोक नहीं सकता, आबपासी देनी है, किस्त देनी है, लड़की की शादी करनी है, कपड़ा खरीदना है, फीस देनी है, वह किसान बेचारा बिक जायगा 60–65 में । जब उसका गल्ला निकल जायेगा उसके बाद कीमतें बढ़ जायेंगी । जब उसे खरीदने की जरूरत पड़ेगी तब भाव बढ़ जायगा । नहीं देगा बाजार में जो भाव हम दे रहे हैं । उसका शोषण इस प्रकार से होता है । आज किसानों का बड़ा बहुमत है । वे कब तक रखे रहेंगे . . .

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सुविधा आप किसानों को देना चाहते हैं वह एकाधिकार के आधार पर क्यों देना चाहते हैं ? जो आप 76 पैसे के हिसाब से बेचना चाहते हैं वहीं पर आपकी दुकान भी होगी तो कैसे किसान लाभ उठा पायेंगे । तो आप नाना प्रकार की बातें कहकर क्यों सुविधायें देना चाहते हैं । यह बड़ी विचित्र बात है ।

श्री बेनी सिंह---

पिछले साल हम इक्सपेरिमेंट कर चुके हैं । हम एकांगी नहीं हैं । हम किसानों का इक्सप्लायटेशन नहीं चाहते और उपभोक्ताओं का इक्सप्लायटेशन भी नहीं चाहते । कुछ बड़े-बड़े किसान हो सकते हैं, जिनका कि बैंकों में एकाउन्ट चलता है, वे इक्सप्लायट हो सकते हैं क्योंकि वे 130, 135 और 140 रु0 क्विंटल तक बेंच सकते हैं । हम तो साल भर तक, दो महीने चार महीने, छः महीने तक एक ही कीमत पर बेंचना चाहते हैं । उपभोक्ता चाहे एक महीने में खरीदे, दो महीने में खरीदे या सालभर पर खरीदे, हमारे यहां एक ही भाव मिलेगी । हम तो शोषण को बचाना चाहते हैं । यदि इसमें कुछ लोगों का नुक्सान होता है, क्योंकि कहा जाता है कि बेरोजगारी हो जायेगी तो फिर हम उन्हीं के लिये तो यह कर रहे हैं।

श्री बलबीर सिंह (जिला जिला मेरठ)---

आप दूसरे लोगों को भी कंपीटिटिव रेट पर खरीदने दें । मार्केट में कम्पटीशन होने दें । इसमें आपको क्या आपत्ति है । इससे किसानों का लाभ ही होगा । पिछले साल आपने ऐसा नहीं किया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मंत्री जी ने उपभोक्ताओं के बारे में एक बात कही । एक तरफ गल्ले के जो उत्पादक हैं, वे ही उस गल्ले के उपभोक्ता भी हैं । आपने प्रदेश में ऐसे लगभग 84,85 प्रतिशत होंगे । इसके अलावा उनके लिये कपड़े की जरूरत है, जूते की जरूरत है, किताबों की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है तो इसके मुताबिक आप करेंगे या नहीं ? इस पर भी आप प्रकाश डाल दें ।

श्री बेनी सिंह---

मेरी बात आप पहले सुन लें । आप चाहें कि आगे आप चलते जायं और गाड़ी आपके पीछे आती जाय तो इससे कोई लाभ नहीं है । ऐसी बात नहीं है । हम भी स्पीच देते हैं, आप भी देते हैं लेकिन उसमें तारतम्य से जोड़ने की बात होती है । जो हमारी स्कीम है उसे शांति से सुनने की आवश्यकता है, सब्र से सुनने की आवश्यकता है । जो कह रहा हूं, उसे मेहरबानी करके शांति से सुनें । मैं पहले ही बता चुका हूं किस बड़े संकटकाल में हूं । बाकी आपको बोलने का मौका मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, मैं यदि मंत्री जी के बारे में कानपुर के संबंध में बता दूं तो जो कुछ वे कहन चाहते हैं, वह सब भूल जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

गलत तरीके से सही बात भी कही जाती है तो उसका कोई असर नहीं पड़ता ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

मान्यवर, कानपुर में 74,75 दुकानें इस तरह अनियमित ढंग से एलाट कर दी गई हैं जो कि किसी कायदे कानून के अन्तर्गत नहीं आती हैं । मंत्री जी कानपुर के हैं और इस तरह दुकानें एलाट करके साढ़े तीन लाख रुपये कमाये गये हैं । इससे बढ़कर और गलत बात क्या हो सकती है ।

श्री बेनीसिंह---

आप बिना इजाजत के जो बोल रहे हैं उससे बढ़कर और गलत बात क्या हो सकती है । जायसवाल जी ने कहा कि पुरानी बढ़ी हुई कीमतें कैसे कम हों, यह बात सोचने की है और हम सोच रहे हैं । गल्ले की कीमतें बढ़ें, फिर उसके कारण मजदूरी बढ़े, फिर तनख्वाहें बढ़ें और फिर दूसरी उपभोक्ता चीजों के दाम बढ़ें और फिर जब किसान उसको खरीदें तो गल्ले के दाम बढ़ें, तो यह तो एक विशेस सरकिल बनता चला जा रहा है और प्रश्न यह है कि यह विशेस सरकिल कैसे टूटे ? कहीं पर इसके लिये कस कर पैर रखना पड़ेगा कि इसके आगे "नो मोर" और वही करने हम जा रहे हैं कि हम अनाज की कीमतों को किसी हालत में भी बढ़न नहीं देंगे । हमको साल भर, 6 महीने इस तरीके का प्रयोग तो करने दीजिये और इसके बाद कीमतें घटेंगी ।

एक सदस्य---

6 महीने में तो आप लोगों की जान लें लेंगे ।

श्री बेनी सिंह---

जान नहीं जायेंगी, आप इसका प्रयोग तो करें । कीमतें घटेंगी, घटेंगी, इसमें संदेह नहीं है । यह बात नहीं है कि हम किसानों को भूल रहे हैं । हम किसानों को कसे भूल सकते हैं वे तो 80 और 85 फीसदी है, यह नहीं होना चाहिये कि आज तो उनका माल सस्ते में निकल जावे मजबूरी में, हम उसको भूल नहीं रहे है, हां, कुछ लोग अगर हों जिनका यह कायदा है कि इस वक्त तो वह सस्ते में खरीद लें और फिर महंगा बेचें और फिर एवरेज निकाल लें, तो हां एसे एवरेज निकालने वाले जरूर कष्ट में पड़ जावेंगे । फिलहाल जो तरीका हमने अख्तियार किया है उससे किसानों को तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता । कीमते कम नहीं रखी हैं, हमने उसको बढाया है ।

[श्री बेनी सिंह]

हमने 76 पैसे की कीमत का बढ़ाकर 82 पैसे की कीमत क 68, के 65, और 301 वगैरह इन सब के लिये हमने कीमतें बढ़ाई हैं । हमने यह भी किया है कि किसानों पर अब मंडी शुल्क नहीं पड़ेगा, जो किसान गाड़ी पर अपना माल लायेंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज नहीं पड़ेगा, वह चार्जेज हम देंगे और अगर कहीं पर फेरी पड़ती है या टोल टैक्स पड़ेगा तो वह हम देंगे, हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देंगे लेकिन जो हमारा सार्वजनिक हित है उसको समाप्त नहीं होने देंगे । यह हमारी बात है । यह भी सही है कि जो काम हम करेंगे उसमें दिक्कतें आयेंगी ।

हम यह भी चाहते हैं कि किसान को नजदीक से नजदीक जाकर अपना माल बेंचना हो । इसके लिये हमने तीन एजेंसियां रखी हैं । एफ0सी0आई0, पी0सी0 एफ0 और गवर्नमेंट यह तीनों माल खरीदेंगी । हमने अभी 18 लाख टन का इन्तजाम किया है कि इतना हम खरीदेंगे लेकिन यह 18 लाख टन हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं है । हमारी खरीद साल भर चलती रहेगी, जितना जब जिसका गेहूं आयेगा हम वह सब खरीदेंगे। कोई गेहूं जाने नहीं देंगे, हम यह थोक व्यापार में नहीं खरीदेंगे और न हम उनको या किसी को डिस्ट्रस से फायदा उठायेंगे कि हम जब गुजरात या मसूर में मुसीबत आवें तो बिला उत्तर प्रदेश का खयाल किये हुए हम अपने माल को मुनाफे पर बेंच दें और कीमतें बढ़ा दें । यह हम नहीं होने देंगे ।

हम चाहे जैसे भी हो साल भर तक खरीदेंगे और साल भर बेंचेंगे सिवाय थोक व्यापार के और वह भी हम सिर्फ गेहूं के व्यापार को ले रहे हैं बाकी सब व्यापार वह करें । हमने यह कर दिया है कि हम पल्लेदारों को भी काम पर लगावेंगे, किसी को बेकार नहीं होने देंगे, रिटेलर्स के लिये हमने कर दिया है कि 10 क्विंटल तक वे खरीद सकते हैं और 50 क्विंटल तक रख सकते हैं, हमने परचूनी को भी कहा है कि वे 2 क्विंटल तक खरीद सकते हैं और 5 क्विंटल तक रख सकते हैं, खानेवालों को भी किसान बेंच सकते ह, हां लिमिटेड तादाद में । माल को भर कर रखने को हम रोक रहे हैं, इसीलिये हमने पिछले साल भी थोक और अढ़तिया को अलग रखने की कोशिश की और इस साल हमने उसको बिलकुल अलग कर दिया है । जहां तक माधव प्रसाद जी की बात है वह कह रहे थे । मैं आपको बता दूं कि हम 170 टन गेहूं खरीद चुके हैं दो दिन में और रोज हमारे पास गेहूं आ रहा है । अभी गेहूं बाजार में पूरी तादाद में नहीं आया है, अभी गेहूं का हारवेस्टिंग चल रहा है, कटने के बाद दो चार दिन खलिहान में वह सूखता है और फिर थ्रेशर से या बैलों से निकाला जाता है । बड़ा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश हुई कि गेहूं नहीं आ रहा है । कहां गेहूं नहीं है ? अखबार में देख लीजिये । कौन सा बाजार ऐसा है जहां गेहूं नहीं है ? लखनऊ में गेहूं है, कानपुर के बाजार में गेहूं है, सब जगह गेहूं मिल रहा है उस दिन को छोड़कर जिस दिन जहां बाजार बन्द रहता है, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ सब जगह गेहूं बराबर अवेलेबिल है ।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

मैं एक स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहता हूं....

(श्री बेनी सिंह के न बैठने पर)

हमें स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है, (व्यवधान)....

श्री बेनी सिंह—

सब जगह गेहूं मिल रहा है (व्यवधान)....

श्री रामकुमार दीक्षित—

डी0 एस0 ओ0 बाजार में घूम-घूमकर व्यापारियों से कह रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री बेनी सिंह—

इन शब्दों के साथ में अपने अनुदान को पेश करता हूं और अपनी बात समाप्त करताहूं।

श्री उपाध्यक्ष—

स्पष्टीकरण का कायदा यह है कि जब बोलने वाला सदस्य बैठ जाय तब स्पष्टीकरण मांगा जाय।

*श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16. के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना तथा अनुदान संख्या 52 के अधीन भी मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी की तथा सरकार की स्थिति आज उस परीक्षार्थी की तरह है जो परीक्षा देने जा रहा हो, जिस ने पढ़ा कुछ न हो और पर्चा कर के फेल होने पर आकर कहता हो कि मास्टरों ने कुछ पढ़ाया नहीं और किताबों में गलत छापा गया था। आप की नीति बन गई है कि आप एक्सपेरीमेंट पर एक्सपेरीमेंट करते जा रहे हैं और उन में फेल हो जाते हैं तो कहते हैं कि गल्ला व्यापारियों की ओर से गलती हो गई, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गये। यहां तक कि आप की प्रधान मंत्री ने भी कह दिया कि सारा विरोधी दल आज जो महंगाई और भुखमरी के खिलाफ आन्दोलन कर रहा है वह सब देशद्रोही और ट्रेटर हैं।

यह सही है कि हमारा अन्न संकट एक राष्ट्रीय प्रश्न है, उसमें हमारा कोई दलीय दृष्टि-कोण नहीं रहना चाहिये। मैं अपने भाषण में इस चीज को साफ करूंगा कि आप ने जो गल्ले का होलसेल व्यापार लिया है। आप की सरकार ने बड़े संकोच के साथ डरते-डरते बगैर पहले से किसी इंतजाम के लिया है, इसके पीछे ज्यादा राजनैतिक कारण थे और दूसरे कारण कम थे और जिस की वजह से यह स्थिति आई जिसका संकेत अभी श्री रामकुमार दीक्षित कर रहे थे। हवा और पानी के बाद मनुष्य के जीवन के लिये भोजन ही सब से जरूरी चीज है। लेकिन हमारी सरकार और उसके मंत्री इस देश की 22 करोड़ जनता को जिस की आय 20 रुपये से भी कम है जो 2 जून का भोजन भी आराम से नहीं पाती, उस बीमार और दलित जनतंत्र को आपने नारेबाजी की दवा दे दे कर उसे जिन्दा रखने की कोशिश की है। आज गल्ला, नमक, लोहा, सीमेंट, मिट्टी का तेल, कोयला कोई चीज उपलब्ध नहीं है और अगर उपलब्ध है तो ज्यादा भाव पर।

1966–67 में जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य बढ़े थे, उस वक्त आन्दोलन और उसकी प्रतिक्रिया यह थी कि आप लोगों को अन्न नहीं पहुंच पा रहा था। उससे ज्यादा संकट इस समय हुआ और हुआ किस हालत में? 1970–71 में हिन्दुस्तान में गल्ले का उत्पादन 10 करोड़ 84 लाख टन हुआ था और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 94 लाख टन हुआ। उसके बाद आपको लचर नीतियों के कारण, गरीबी हटाओ और समाजवाद लाओ के नारों के कारण देश में उत्पादन उत्तरोत्तर घटता चला गया जबकि आप अनाज को निर्यात करने की बात सोच रहे थे लेकिन आपने कहा कि उर्वरकों के अधिक दाम होने के कारण किसानों के दाम इन्टरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते थे। और अब यू० एस० डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर से इस वर्ष हमको 50 लाख टन गल्ला मंगाना पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी]

आपने पहली अप्रैल से गल्ले का व्यापार अपने हाथ में लेने का निश्चय किया था लेकिन उसके लिए आपने कह दिया कि उस दिन इतवार था। सस्ती गल्ले की दुकानों पर कहीं भी गेहूं नहीं था और चीनी नहीं थी। उसी दिन चीनी का दाम 4 रुपये प्रति किलो तक चला गया। यहां के दैनिक 'नेशनल हेराल्ड' और 'पायनियर' में लेख छपे हैं कि गेहूं 1 रुपया 40 तैसे प्रति किलो या 1 रुपया 45 पैसे प्रति किलो तक बिक रहा है जो चुपके-चुपके बेच रहे हैं। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अब आपने फुट कर व्यापारियों को 10 क्विन्टल के स्थान पर कई क्विन्टल अनाज लाने की इजाजत दे दी है। आपकी मंशा है कि किसी प्रकार से आपकी इज्जत महफूज रहे। तो यह स्थिति आपके गल्ला व्यापार की नीति के कारण हुयी है।

हिन्दुस्तान में इतने वर्ष बीतने के बाद भी पर कैपिटा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जो हमारी है अगर आप यह जान लें कि क्या है तो आप को और हमें भी शर्म महसूस होती है। दुनिया के 116 देशों में हिन्दुस्तान का नम्बर 93 वां है और इसमें हमारे देश के ऊपर कौन कौन हैं आप देखें, लंका, कोरिया, थाइलण्ड वियतनाम और नैपाल जो हमसे आबादी और रकबे में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका पर कैपिटा ग्रांस नेशनल प्रोडक्ट हम से कहीं अधिक है। ये सारे देश हमसे बाद में आजाद हुए और सब तरक्की कर गये हैं।

यह राशनिंग अंग्रेजों के समय में 1939 में आरम्भ हुयी थी जब द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ था, उस समय खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े थे। 1947 में फिर कन्ट्रोल आया। 1954-55 में फिर कन्ट्रोल चले गये। 1965-66 में स्थिति ज्यादा खराब हुयी। 1970-71 में हिन्दुस्तान में 10 करोड़ 94 लाख टन गल्ला पैदा हुआ और हमारे प्रदेश में 1 करोड़ 94 लाख और 65 हजार टन पैदा हुआ उस समय फैसला हुआ था कि विदेश से गल्ला नहीं मंगायेंगे। 1971-72 में घट कर यह 10 करोड़ 46 लाख टन रह गया और 1972-73 में यह 10 करोड़ रह गया।

इन्होंने कहा कि सरकारी भन्डारों में इनके पास 95 लाख टन गल्ला मौजूद है लेकिन यह मिथ्या घोषणा की गयी है क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश का कोटा घटता चला गया उससे स्पष्ट होता था कि इनके पास 95 लाख टन गल्ला मौजूद नहीं है। बल्कि उससे बहुत कम क्योंकि उत्तर प्रदेश के कोटे में लगातार कमी की जाती रही और जिसके फलस्वरूप हमारी राशन की दुकानों में पहले 8 किलो, फिर 6 किलो, फिर 4 किलो और 2 और बाद में मिलना ही बन्द हो गया और किसी को मिला और किसी को नहीं मिला। इतनी कम मात्रा में गेहूं उपलब्ध था कि लोगों को मिलना ही बन्द हो गया। इस समय हमारे यहां पर 20 लाख टन इम्पोर्ट हो चुका है।

हरित क्रान्ति की बड़ी जोर से बात की गयी और हमारे राष्ट्रपति ने अपने दीक्षान्त भाषण देते हुए 19 मार्च, 1972 को गोविन्द बल्लभ पन्त, पंतनगर विश्वविद्यालय में यहां तक कहा था कि "जब कि हरित क्रान्ति ने तो खाद्यान्नों की समस्या को हल कर दिया है, संतुलित पौष्टिक आहार की अधिकतम पेचीदा और चुनौती वाली समस्या पर विचार किया जा रहा है। यह मान कर चलने लगे थे और हमारी सरकार कम्पलेसैन्ट हो गयी थी और कहने लगे थे कि हम आत्म निर्भर हो गये हैं और भविष्य में गल्ला नहीं मंगाना पड़ेगा और इसी कम्पलेसैन्सी के कारण कृषि पर कम जोर दिया और न आपने सिंचाई के साधन ही मुहइया किए। आज आजादी के 25 वर्ष बाद भी उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत भाग में सिंचाई के साधन हो पाये हैं और हालत यह हुयी कि गल्ले का उत्पादन घटा और हमें अब बाहर से लाना पड़ेगा। इस गल्ले की थोड़ी बहुत उपलब्धि से हमने यह महसूस कर लिया कि हम सेल्फ सफिसिएन्ट हो गये, आत्म-निर्भर हो गये।

उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। गेहूं की पैदावार कुछ बढ़ी है, और चीजों की पैदावार लगातार घटती चली गयी। 1960-61 में

हमारे प्रदेश में खाद्यान्न 1 करोड़ 44 लाख और 86 हजार टन पैदा हुआ। 1969–70 में यह 1 करोड़, 74 लाख 13 हजार और 1970–71 में 1 करोड़ 94 लाख और 65 हजार पैदा हुआ। गेहूं जहां 1960–61 में 39 लाख 45 हजार टन था वह बढ़ कर 1970–71 में 76 लाख 90 हजार टन हो गया जो बाद में 70 लाख ही रह गया। गेहूं हाई ईल्डिंग वरायटी के कारण हमारे प्रदेश में बढ़ा लेकिन अन्य वस्तुएं खाने वाली जैसे दाल वगैरह, उनकी पैदावार घटती चली गयी और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

आज स्थिति यह आ गयी है कि अगर गेहूं के साथ कुछ भी खाने को न मिले तो दाल तो जरूर खायेंगे ही लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के जमाने में गेहूं और दाल के के भाव भी बहुत बढ़े हैं। वर्ष 1960–61 में दाल हमारे प्रदेश में 38 लाख 24 हजार टन पदा हुयी, 1969–70 में यह 33 लाख 30 हजार टन रह गयी और 1970–71 में घट कर 30 लाख, 69 हजार रह गयी। इसी तरह से उर्द की पैदावार भी घटी, मूंग की घटी और अरहर की पैदावार घटी। इससे दालों के दाम बढ़ते चले गये। शूगर में भी यही हुआ। गेहूं और चावल में कुछ प्रगति हुयी लेकिन वह भी अन्य प्रदेशो के मुकाबले में नगण्य है जिसके कारण हमारा प्रदेश उत्पादन के मामले पिछड़ गया और आज हमें अन्न नहीं मिल रहा है। यह हमारी सरकार की अकर्मणता के कारण था और ठीक से ध्यान न देने के कारण था।

देश के अन्य राज्यों में जो पैदावार बढ़ी है वह इस प्रकार से है। पंजाब में 1961–64 के मुकाबले में 1967–71 में 87.2 प्रतिशत लगभग दूनी के करीब बढ़ी है। हरियाणा में यह 64.9 बढी है और उत्तर प्रदेश में केवल 28.2 प्रतिशत बढ़ी है। इसी प्रकार से आप और चीजों को देखे तो पता चलेगा कि हमारी पैदावार दिन प्रति दिन घटती जा रही है। पंजाब में एक हैक्टर में 22.15 क्विन्टल गेहूं का उत्पादन हुआ है। हरियाणा में यह 20.39 और उड़ीसा में यह 14.13 क्विन्टल हुआ राजस्थान में 13, पश्चिमी बंगाल में 21.8 और उत्तर प्रदेश में आज भी 12.8 क्विन्टल प्रति हक्टर पैदावार है। उत्पादन कम हो रहा है। भुखमरी बढ़ी है। लगातार हर वर्ष अनावृष्टि हो जाय तो सहायता बाट देती है हमारी सरकार। उस सहायता के रूप में नष्ट होने वाली धनराशि अगर एक मुश्त रूप से हमारी योजनाओं पर खर्च की गयी होती तो हमारी समृद्धि आज बहुत बढ़ गयी होती। उसका उपयोग कैसे हो रहा है।

योजना आयोग के रूप में एक सदस्य पे0 मेनहास ने कहा कि सूखा और अकाल व दैवी आपदाओं में जो सहायता मिलती है, यह बड़े राजनीतिज्ञों और बड़े किसानों की जेब में चली जाती है। बीज, उर्वरक और रुपयों का भी यही हाल होता है। मान्यवर, जो ह्वाइट कालर और मिडिल क्लास के आदमी हैं, ये अपनी गरीबी को छिपाके रखते हैं। भुखमरी, अन्न न मिलने के कारण और अपनी गरीबी से त्रस्त हो कर कितने लोग मर रहे हैं और आत्म-हत्यायें कर रहे हैं। मेरे पास लेटेस्ट फीगर तो नहीं है इस संबंध में। लेकिन मैं उदाहरण के लिये इस वक्त आपके सामने 30 अप्रैल, 1972 के पृष्ठ 13 का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 69–70 में करीब 2 हजार व्यक्तियों को इसलिये आत्म-हत्यायें करनी पड़ीं, क्योंकि वे अपना और अपने परिवार के लिये दो वक्त रोटी नहीं जुटा सके। तो, मान्यवर, यह स्थिति आज है।

आज अन्न के भाव कितने ऊंचे हो गये हैं और अन्य चीजों के भाव कितने ऊंचे हो गये। आज मिडिल क्लास के आदमी या हम लोगों के स्तर के आदमी के लिये कितनी कठिनाइयां हो गयी हैं, उसका नमूना मैं देना चाहता हूं। 1947 के मुकाबिले हमारे रुपये का दाम गिरता चला जा रहा है। 1947 और 72 की कीमतों के बढ़ाव को देखें, ऐसी चीजों की, जो कि जीवन के लिये आवश्यक हैं—यह बढ़ाव इस प्रकार है—गेहूं—250 प्रतिशत, चावल 400 प्रतिशत, मीठे तेल 500 प्रतिशत, दूध 700 प्रतिशत, चाय 7 प्रतिशत और गोस्त 500 प्रतिशत।

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी]

यह स्थिति हमारे भावों की है और उन चीजों की जो कि जीवन के लिये आवश्यक है, जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता। अभी हमारी माननीय मंत्री जी ने भी यही बात कहा और सारे विरोधी दल के लोगों ने और शासक दल के लोगों ने भी कहा है कि देश में चीजों के भाव बहुत बढ़ गये हैं, और इसीलिये थोक व्यापार गल्ले का कर रहे हैं। मान्यवर, ये हमें कहते हैं कि आप विरोध करते हैं, गलत बात करते हैं, प्रोपेगण्डा किया जा रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि आपके ही दल में, जब से गल्ले के थोक व्यापार की बात आई, आप स्वयं धीरे-धीरे चले, आपकी पार्टी के अन्दर विरोध रहा और विरोध किया गया। यह किसी कारण से छप गया हो, वह दूसरी बात है लेकिन योजना आयोग आपकी नीति से संतुष्ट नहीं था। इस तरह की रिपोर्ट तमाम है। फखरुद्दीन अली साहब ने स्वयं इस बात को कहा कि आप इस पर धीरे धीरे काम कीजिये, सोच समझ कर कीजिये और फिर क्रियान्वित कीजिये लेकिन डी० पी० धर साहब के कहने पर तथा कुछ आर्थिक और राजनैतिक कारणों से आप जल्दी लागू कर रहे हैं। और जब वह एक स्कीम बन ही गई है तो आपको क्रियान्वित करना ही होगा। आप तो एक तन्त्र-मात्र हैं.....

एक सदस्य—

वह राजनैतिक कारण क्या है ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

राजनीतिज्ञ हैं, सब समझते हैं मैं कहना नहीं चाहता। मान्यवर, 22-3-73 के स्टेटमैन में छपा है 'Congress' M.P.S. Fears over grain Trade Take over कोई जनसंघ अथवा विरोधी दल वाले नहीं हैं, बल्कि आपके कांग्रेस के ही एम० पी० हैं और यह बात उन्होंने स्वयं खुले रूप में मीटिंग में कही है। घोष साहब ने कहा है—और जो छपा है वह इस प्रकार है—

'Mr. Ghosh was the most outspoken critic; he opposed the take-over plan and suggested its postponement on the ground that the administrative machinery was not fit to do the job'.

एक मि० डग्गा हैं, उन्होंने कहा और छपा वह यह है—

Mr. Dagga was worried about repercussions of the take-over on marketing co-operatives, mandi committee and other similar agencies. He said he was not optimistic about the take-over.

इस तरह से कई व्यक्तियों ने विरोध किया। स्वयं प्रधान मंत्री के जो स्टेटमेंट हैं उसमें यह कहा गया है कि हमारे दल के लोग उसके खिलाफ न बोलें। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि आप स्वयं गल्ले के थोक व्यापार के अधिग्रहण के सम्बन्ध में एक मत नहीं थे और मैं आज भी यह कहने के लिये तैयार हूं कि आपके अन्दर एक मत मौजूद नहीं है।

मैं इसके सम्बन्ध में माननीय चन्द्रजीत यादव जो आज कल महामंत्री हैं सन् 1965-66 में खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन एवं राज्य व्यापार की योजनाओं के सम्बन्ध में, जब वह बोल रहे थे—यह पृष्ठ 81 पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का विषयानुसार संकलन 1962-63 से 1969-70 है—कहा है "अगर आप स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो स्टेट ट्रेडिंग कोई आसान बात नहीं है। बहुत इफिसिएन्ट सूक्ष्म मशीनरी उसके लिये आपको बनाना पड़ेगा और वह मशीनरी आज हमारे पास नहीं है।" मान्यवर, वह मशीनरी घिस गई है। एक ऐसा एक्सपेरीमेंट जिससे लोगों के जन-जीवन का सम्बन्ध है वह बिना ठीक से सोच-विचार के, बिना मशीनरी को फिट किये हुये, बिना उसके परिणाम को ठीक से समझते हुये, राजनैतिक प्रभाव के कारण अगर आपने कर दिया, तो ठीक न होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अभी तक आप यह तय नहीं कर पाये हैं कि गेहूं का कितना भाव होगा।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अच्छी क्वालिटी का गेहूं—के-68 परसों या नरसों इन्डियन एक्सप्रेस में छप गया कि—76 से 82 कर दिया और बढ़ा हुआ दाम प्रीमियम होगा, हमारे पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है। आप टेक-ओवर कर रहे हैं पहली अप्रैल से, और आपके पास गल्ला नहीं आ रहा, तो कैसे काम होगा। इस समय जो भी गल्ला आ रहा है वह छोटे जाति के किसान ला रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब वह गल्ला अपना बेच लेंगे तब क्या आप बड़ों के लिये दाम बढ़ायेंगे।

मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आपने बहुत विचार के साथ, बहुत इतमिनान के साथ और कारगर ढंग से करने के लिये संतोष के मुताबिक काम नहीं किया। आप स्वयं परेशान हैं। आप रात के 12 बजे गेस्ट हाउस में खबरों से परेशान होकर मीटिंग्स कर रहे हैं। शिन्दे साहब ने कहा है कि थोक गल्ले के व्यापारी जब इस व्यापार से हट जायंगे तो हमें ऐसा आभास है कि वह दाल, तिलहन में व्यापार करना शुरू करेंगे और जखीरेबाजी करेंगे और उसमें दाम ऊंचे करवा देंगे। इसके रोकने के लिये उन्होंने कहा है कि हम आवश्यक वस्तु कानून, एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आप आवश्यक वस्तु कानून का प्रयोग करके इन चीजों के दाम कम करवा सकते हैं तो गल्ले के दाम क्यों नहीं कम करवा दिये।

जब आप इतने सक्षम हैं और आवश्यक वस्तु कानून का सहारा आप ले सकते हैं तो फिर आपको गल्ले के थोक व्यापार अपने हाथ में लेने की क्या आवश्यकता थी। आप उन पर आवश्यक वस्तु कानून के मातहत अंकुश लगा सकते थे। इसीलिए मैंने कहा कि आपका हाल उस विद्यार्थी की तरह से जो पढ़ता नहीं और जब फेल हो जाता है तो कई तरह के नुक्स बतला देता है। आप भी अपनी असफलता छुपाने के लिये एक दूसरा काम शुरू कर लेते हैं।

इस विषय में एक और सोचनीय बात है। मैंने आपसे पहले कह दिया कि हमारा दल जब कांग्रेस एक थी, के प्रोग्राम में यह काम है। लेकिन मैं सिर्फ उन बातों की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूं जिनके लिए आपने प्रापर इंतजाम नहीं किया और खुद आपके अन्दर असंतोष है।

उत्तर प्रदेश के अन्दर लगभग 35 हजार दुकानें होलसेल की थीं। 1 लाख 75 हजार हिस्सेदार, 1.5 हजार मुनीम, 1.50 हजार मजदूर और 5 हजार दलाल हैं। यह ठीक है कि काफी आदमी इस काम में लग जायेंगे। लेकिन आज मंडी में गल्ला नहीं आ रहा है। नेशनल हेराल्ड ने पोस्टर छापा था "गल्ला नहीं है।" आज जिसको आप वीकर सेक्शन कहते हैं उसके लिये क्या इंतजाम किया है। क्या सेंटर में भेज कर उनको काम दिलायेंगे। थोड़ा सा यह भी जिक्र कर देना चाहता हूं कि आपको भी आशंका है और हमको भी आशंका है—विरोधी दल या शासक दल की बात छोड़ दीजिये। श्री जयप्रकाश जी ने भी जो कि किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित नहीं हैं टिप्पणी की है कि यह अनवाइज एडवेंचर है और इससे समाजवाद का नाम नहीं होगा बल्कि बदनामी होगी। गल्ले पर, अनाज पर सारे देश की अर्थ व्यवस्था मुनहसर करती है क्योंकि हमारे यहां का 80 प्रतिशत आदमी गल्ले से जुड़ा हुआ है, अगर यह व्यवस्था डगमगा गयी तो एक चेतावनी आपको देता हूं कि अगर आपने ढिलाई दी, भ्रष्ट प्रशासन को सुधारा नहीं और फुलप्रूफ योजना नहीं बनायी तो देश की अर्थ व्यवस्था गड़बड़ा जायगी और नतीजा यह होगा कि जिस सोशलिज्म में तो स्युडो सोशलिज्म कहता हूं की आप बात करते हैं उसको बदनाम करके छोड़ेंगे।

आज मजाक में लिया जाता है कि गरीबी हट रही है। किसी से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं तो वह कहता है कि "समाजवाद ला रहा हूं।" इन सब शब्दों का एक सार्थक अर्थ था हमारे

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी]

जीवन में। उन शब्दों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने क्षनिक राजनीतिक लाभ उठाने के लिये यह सब किया और थोथे नारे पेश किये जिनको आप कार्यान्वित नहीं कर सके। पहले लोगों को विश्वास था लेकिन आपकी हर नीति असफल होती गयी। आज देश के अन्दर यह हालत आ गयी है कि पब्लिक सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव किल हो गया। वह इनवेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। उत्पादन की दर दिन पर दिन गिरती जा रही है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जब उत्पादन घट जायेगा तब फिर आप क्या बांटेंगे और कैसे अर्थ व्यवस्था में सुधार कर देंगे?

आज सुब्रह्मण्यम साहब ने कहा कि फिर मिक्स्ड इकोनोमी के हिसाब से काम किया जाये। डेवलपिंग इकोनामी के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिये था। डेवलपिंग इकोनामी में इस बात की जरूरत होती है कि प्रोडक्शन बढ़े और सभी सेक्टर्स को प्रोत्साहित किया जाए। फिर अगर आप चाहते हैं तो कुछ इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लें।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज आपकी मनोवृत्ति यह है कि आप जो काम करते हैं वह पूरा नहीं करते हैं। कहीं गलती हो रही है तो समाजवाद का एक छोटा सा मुलम्मा उसके ऊपर लगा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह तो नेचुरल इंस्टिक्ट आफ मैन है—आदमी की कुदरती आदत है। वह 2 प्रकार से काम करता है। उसके काम करने का एक उद्देश्य तो यह है कि उसे लाभ अर्जन हो और दूसरा उद्देश्य यह है कि वह डर से काम करे। जब उसके ऊपर डन्डा पड़े और उसे मार खाने का डर हो तब वह काम करे। आपने जो राशन पद्धति है उससे काम लिया। प्रजातन्त्र में आप जबरदस्ती कर नहीं सकते। पब्लिक सेक्टर की इनएफिशेन्सी तो सभी जानते हैं। वह इनएफिशेन्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का भी इनशिएटिव किल कर दिया, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। अगर गल्ले के दाम किसान को उचित नहीं दिये गये तो उसका भी इनसेंटिव कम हो जायेगा और पैदावार घटती चली जायेगी।

जब पैदावार घटेगी तो फिर हम इम्पोर्ट करेंगे बाहर से। आपको कमजोर वर्ग को भी देखना है। आप देखें कि गरीबों को उचित मूल्य पर गल्ला मिलता है कि नहीं और उसको भी देखना है जिस पर कि सारे देश की अर्थ व्यवस्था निर्भर है और वह है किसान आप उसको उचित मूल्य दिलाएं। मेरे पास कुछ आंकड़े मौजूद हैं जिनमें गेहूं की उत्पादन लागत दी हुयी है आप 76 रु0 में खरीदें और 86 रु0 में बेचेंगे उपभोक्ता को मोटे तौर पर जो आपने घोषणा की है। सन् 1966–67 के अन्दर आपने किसान से 85 रु0 में सफेद गेहूं और 80 रु0 में लाल गेहूं खरीदा था।

श्री बलबीर सिंह—

इन्होंने नहीं दिये थे, वह तो एस0 वी0 डी0 ने दिये थे।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

किसी ने भी दिये हों, सरकार ने दिये।

श्री बेनी सिंह—

तो कड़वा-कड़वा थू।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

आपने सरचार्ज लगा दिया, पावर रेट बढ़ा दिया, सिंचाई रेट बढ़ा दिया, उर्वरक पर टैक्स लगा दिया और उपकरण जो उसके काम आते हैं उनके दाम बढ़ा दिये। इस पर भी 1966–67 में उसको 85 रुपये कुविन्टल गेहूं का भाव दिया था और अब 76 रुपया दे रहे हैं

यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप कहते हैं कि भारत सरकार ऐसा करती है। वह युनीफार्म रेट लाना चाहते हैं इसलिये ऐसा करते हैं। आपको इसके लिये प्रेस करना चाहिये। अगर आप ठीक दाम किसान को नहीं देंगे तो पैदावार कम हो जावेगी। किसान दूसरी फसलें पैदा करना प्रारम्भ कर देगा। गेहूं की पैदवार घटती चली जावेगी। इस सम्बन्ध में मैं एक किताब से उद्धरण देना चाहता हूं। इसका नाम इन्डिया आन द ईव आफ द थर्ड फाइव इयर प्लान है। इसके पेज 86 के पैरा 8 में लिखा है:––

Nor can food prices be considered in isolation from the general trend of prices. A rise in the trend of food prices, or a rise in the level of agricultural prices generally, will only "encourage" production if the scale is tilted in favour of the agriculturist or, in other words, if the "terms of trade" move in his favour.

यानी अगर आप किसान को कीमत बढ़ा कर नहीं देंगे तो इसका असर प्रतिकूल पड़ेगा। आज सवाल यह है कि अनाज की पैदावार बढ़ना चाहिये। आपको उपभोक्ता के साथ भी न्याय करना है और किसान को भी अच्छी कीमत देना है सवाल बहुत नाजुक है। इस साल गेहूं का भाव प्रति किलो 1.60 से लकर 1.70 रु0 तक गया है और अब आप 76 रुपया देना चाहते हैं। इस पर आप एफ0 सी0 आई0 को सब्सीडाइज भी करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि गेहूं का भाव ठीक नहीं तय किया गया है। इसका नतीजा आज बाजार में आ रहा है।

मंत्री जी ने कहा कि बाजार में गेहूं अभी आया नहीं है लेकिन बहुत सी जगह तो आ गया है। लखनऊ में 120 रु0 कुन्टल खरीद कर लाये और 130, 135 बेचा है। आपने स्वयं भाव के लिये 15 तारीख तक की छुट्टी दे दी है। आपने स्वयं अपना नियम तोड़ दिया है। मैं आपसे कह रहा था कि आज आप जो कीमत दे रहे हैं, वह कम हैं। राष्ट्रीय बीज निगम जो सरकारी संस्था कही जा सकती है, उसने कुछ आंकड़े दिये हैं उसका कहना है कि 1 एकड़ में 16 कुन्टल गेहूं पैदा करने के लिये 1912 रुपया लगता है। बीज निगम के हिसाब से यह है कि लागत 112 रुपये पहुंचती है। ये बीज निगम के आंकड़े जिन्हें भारतीय किसान संघ ने फखरुद्दीन साहब को प्रस्तुत किये हैं अपने ज्ञापन में।

मैं डिटेल में नहीं जाता कि यह सही है या सही ढंग से निकाले गये हैं, लेकिन यह तथ्य जरूर साबित होता है कि जब हर चीज के दाम इस बात पर तय करते हैं आप चाहे मोटर गाड़ी हो, कोई फैक्टरी से चीज निकले कि प्रोडक्शन की लागत कितनी आयी, क्या-क्या चीज लगी, क्या-क्या कम्पोनेन्ट्स लगे, जब उसके दाम फिक्स करते हैं और इसी प्रकार से मोटर कार के दाम जब कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उसके बाद एम्बेसेडर गाड़ी के दाम, फियट गाड़ी के दाम बढ़ा दिये और वनस्पति के दाम अपने सेशन के बाद बढ़ा दिये। तो इसमें क्या नुकसान है कि बहुत सही तरीके से यह तय किया जाय कि एक किसान एक क्विन्टल गेहूं पैदा करने में कितनी लागत आती है इन बढ़े हुए दामों के उर्वरकों के इस्तेमाल, बीजों के प्रयोग, कृषि उपकरणों, सिंचाई, बिजली की दर इन सब चीजों को देख कर, पम्प भी बढ़ी हुई बिजली की दरों के बाद लगे हुए हैं तो इन तमाम चीजों को देखने और सही प्रोडक्शन व्यय निकालने के बाद एक न्यायोचित रकम से तय करें जिस पर किसानों से गल्ला खरीदा जाय और उसमें उनके लाभांश को भी शामिल कर लें, तब जो कीमत तय करेंगे वह उनके लिए संतोष प्रद बात होगी–हमारे लिए भी और किसानों के लिये भी और देश की अर्थ-व्यवस्था और पैदावार के लिये। लेकिन आपने सिर्फ एक ही चीज का खयाल रखा और हवाला दिया जाता है एग्रीकल्चरल प्राइस का, यह आपके खुद के बनाये हुये हैं। ये सब दिखावटी बातें हैं। कोई वजह नहीं है कि जब 1966–67 में आपने 80–85 रुपये दाम दिये तो 1973 में 76 रुपये में

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी]

खरीदे जबकि हर चीज के दाम कोयले से लेकर ईंट, चीनी से लेकर कृषि उपकरण तक कोई चीज नहीं बची और बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने यूनिफार्म पालिसी बनायी। अगर ऐसा है तो आपको रेजिस्ट करना चाहिये और लड़ना चाहिये अपने किसान के लिये और अच्छी पैदावार के लिए हंसने की बात नहीं है मंत्री जी, आगे चल करके इसका असर होगा।

मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपके शासन-तंत्र की बात कर रहा हूं, मैंने अभी चन्द्रजीत यादव को स्पीच नोट की थी जिन्होंने कहा कि आपकी मशीनरी करेप्ट है, कमजोर है, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, नाकारा हो गया है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि स्टोरेज, ढुलाई और वितरण में आपने खर्चा लगाया है एक क्विंटल पर 26 रुपया। तो इस प्रकार 76 रुपये में खरीदा और 26 रुपये मिला कर 102 रुपया हो गया। केवल ढुलाई, बोरा उठाई आपने 26 रुपया लगा लिया और 86 में बेंचेंगे उपभोक्ता को। यानी 16 रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया सब्सिडाइज करके बेचेगी। इस प्रकार से सब्सीडाइज्ड रकम करोड़ों में पहुंचेगी, क्योंकि गल्ला ज्यादा खरीद रहे हैं आप। 18 लाख आप और 85 लाख भारत सरकार और आप कहते हैं कि अभी कुछ नहीं खरीद पाये। तो सब्सीडी की रकम, आपके कर्मचारियों और विभाग की, आपकी मशीन की अकर्मण्यता से नुक्सान अलग। जो चूहे खाते हैं, कहा जाता है कि देश का चौथाई अन्न चूहे खा जाते हैं, वह नुकसान अलग। जो इंसानी, मानव चूहे खा जाते हैं इनके विभागों में वह अलग। फूड कारपोरेशन दिल्ली में अभी खाली बोरे पड़े हैं।

इसमें आपने लिखा है कि वह साफ सुथरा करके गेहूं आपको दे। तो लेते तो आप साफ किया हुआ है लेकिन जब देते हैं तो कहीं ईंट के टुकड़े, कहीं रेत और कहीं धूल मिली हुई रहती है। इस तरह से आप उसका वजन बढ़ाते हैं। अभी एफ0 सी0 आई0 के बांट पकड़े गये जो तौल में कम थे। यह आपका शासनतन्त्र है। 4 अरब की पूंजी एफ0 सी0 आई0 में लगी हुई है और चार साल में 22 करोड़ का घाटा दिखा कर बैठ गये। 12 रुपये क्विंटल ढुलाई के देने चाहिये थे जिस वक्त यह बंगला देश का झगड़ा चला और श्री गोपाल सिंह जी चेयरमैन थे। उनको सिर्फ एक रुपया तनख्वाह मिलती थी। लेकिन 12 रुपये की जगह 48 रुपये दिये गये।

आज अखबार में निकला है कि हमने इतने ढंग से इन्तजाम कर दिया है कि कहीं कोई गल्ला जाने नहीं पायेगा। कौन कर रहा था यह इन्तजाम ? निरीक्षक, जो निरर्थक हो गये हैं। अगर निरर्थक न मानें तो उसका पर्यायवाची भ्रष्टाचार मान लीजिये। यह मेरी बात नहीं है। श्री देवराज उर्स ने अभी फरवरी में चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेन्स में एफ0 सी0 आई0 के बारे में कहा था, जिसके हाथों में आप हम सब को सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एफ 0 सी0 आई0 निजी बिचौलियों से भी करेप्ट संस्था है गल्ले के मामले में। 10 से लेकर 15 प्रतिशत तक की हानि उन्होंने दिखायी है।

एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं। आपने गल्ले का व्यापार भी ले लिया और जिम्मेदारी से भी बचना चाहते हैं कि हम राशनिंग कहीं नहीं करेंगे, जितनी दुकानें शहरों या पर्वतीय क्षेत्र में हैं उन्हीं को फीड करेंगे। हमारे गढ़वाल जिले में सिर्फ कोटद्वारा से 1 हजार क्विंटल लेने की बात कही है। जहां गल्ला ही नहीं पैदा होता, जहां फुटकर व्यापारी बाहर से लाता था वह वह कहां से लायेगा। आप सस्ते गल्ले की दुकान से केवल 8 किलो प्रति माह देंगे। वैसे देते तो आप वह भी नहीं हैं, लेकिन अगर देंगे भी तो उससे पूरा होने वाला नहीं है। जिन इलाकों में पैदावार नहीं है वहां के फुटकर विक्रेता कहां से लायेंगे ? आपने तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर गौर नहीं किया। आपने 2022 केन्द्र खोले। आपका कहना है कि 10 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा किसान को नहीं जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज आप देंगे खेत से मंडी में लाने के। वह किस

हिसाब से देंगे, अगर आपने तय कर दिया है तो मुझे आप बतायेंगे। पिछले साल जब आपने खरीदा तो दांत में रख कर इन्सपेक्टर देखता था या कहीं तवे में रख कर देखता था। म्वाएश्चय टेस्टर तक आपके पास नहीं है आप कहते हैं कि किसानों को हम सहूलियत दे रहे हैं। तो घोषणाएं सब आपकी अच्छी हैं, पहली सरकारों की भी रही हैं, किन्तु सवाल है उनके कार्यान्वियन का, उनके इम्प्लीमेंटेशन का। वह हो कहां पाता है। घोषणा से कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन कार्यान्वियन निल है, लचर है, क्योंकि आपका सारा तन्त्र सड़ गया है, गल गया है। आपने देखा पिछली सरकार ने किसानों को चेक दिया, जो कि बैंकों से डिस्आनर हो गई, बैंकों ने कहा कि सरकार का पैसा कहा है। आप कहते हैं कि हम इंतजाम कर रहे हैं। वह भी हम देख लेंगे किसानों को रुपया दिलाने के लिये पहले वहीं सेन्टर्स पर आपने व्यवस्था कर दी थी, लेकिन चेक का रुपया वहीं तुरन्त उसे बैंक से मिले इसकी गारन्टी आपको लेनी चाहिए।

एक सवाल और पैदा होता है। जो गल्ला जाएगा आपके यहां किसान और आपको बेचेगा, यह आप कैसे तय करेंगे कि वह वास्तव में किसान ही है, जबकि आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि खरीदार नहीं होते हैं, धोखे से किसान के पास जाकर टेंडर खरीद लेते हैं। उसका थोड़ा बहुत मार्जिन भी मिलेगा तो उसे काफी पैसे बन सकते हैं। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि गल्ला बेचने वाला सेन्टर पर किसान ही है। क्या आप जोतबही देख कर खरीदेंगे या कैसे खरीदेंगे? इस पर भी आप प्रकाश डालें। 18 लाख टन जमा करने की बात आप कहते हैं। किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार 14 लाख टन के हेतु आपके पास बन्द गोदाम हैं, 2 लाख टन के लिए ओपेन गोदाम हैं, और शेष दो लाख टन रखने के लिये आप के पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर आप 18 लाख से अधिक टन गल्ला खरीद कर कहां रखेंगे और कैसे रखेंगे। क्या वह सड़ेगा नहीं बर्बाद नहीं होगा। यह भी इस जगह कहना चाहता हूं कि जब जल्दी जल्दी में गोदाम दिये जाते हैं तो उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार होता है—छोटी जगह के लिए बड़ा किराया तय कर दिया जाता है। ये सारी परेशानियां आगे चल कर आपके सामने आएंगी।

मैं एक बात पुनः आपसे कह दूं। मैं थोक गल्ले के व्यापार के अधिग्रहण के खिलाफ नहीं हूं और न था। लेकिन पुनः चेतावनी देता हूं कि यह बहुत बड़ी रिस्क है। आप ऐसी फुलप्रूफ योजना बनाइये, जिसमें किसी को कोई दिक्कत न हो। इधर 3-4 दिन से जो आप को परेशानी है, उसको मैं समझता हूं, उससे आप परेशान हैं, अखबार में भी काफी उस पर निकला है। उसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं।

फूड कारपोरेशन का माध्यम से आप यह काम करेंगे। चीनी उनके हाथ में दे दी। उसका क्या हाल है। हमारे जिले में जो दुकानें हैं, वे रो रही हैं, दुकानदार रो रहे हैं। चमोली से दो बोरी चीनी उसे एलाट होती है, दो बोरी लेने के लिए चमोली से वह ज्वालापुर 2-2 1/2 सौ मी0 आता है। 2.15 रुपये उसे बेचनी है चीनी, अब बताइये उसे क्या मिलेगा। वह लेने जाएगा चमोली से ज्वालापुर, फिर वह वहां क्या करेगा—स्टेट बैंक में जाएगा। क्योंकि आप पंजाब नेशनल बैंक तथा दूसरे बैंकों का जो शेड्यूल्ड बैंक है उनका भी बैंक ड्राफ्ट नहीं लेते हैं। अब नतीजा इसका यह हो रहा कि दुकानदार चीनी नहीं ला रहे हैं और गांव वालों को चीनी नहीं मिल रही है।

जब फूड कारपोरेशन इस काम को करता है तो उसे क्या यह नहीं सोचना चाहिये कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्च पड़ेगा। उनका ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकार बरदाश्त करती है। उसको बैंक ड्राफ्ट बनवाता है, खुद दस्तखत करने होते हैं। फिर उसको दो बोरियां मिलती हैं। इसलिए दुकानदार दुकानदारी छोड़ देगा। उपभोक्ता चीनी

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी]

से महरूम हो जायगा। नतीजा यह है कि हमारे यहां चीनी नहीं पहुंच रही है। चीनी का तो आलम यह है। गेहूं का क्या आलम होगा ? मैंने पत्र भी लिखा था लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है कोई सुधार नहीं हुआ।

दूसरी बात, आप समाजवादी होने का दावा करते हैं। सारा झगड़ा फूड के टेक ओवर पर हुआ, जगजीवन रामजी, केशवदेव मालवीय, उमाशंकर दीक्षित में, कि दलित वर्ग हो या दुर्बल वर्ग हों। गांव और शहर में क्यों अन्तर है। शहर में एक किलो चीनी देते हैं और गांव में ढाई सौ ग्राम चीनी। पैसा वह भी देता है। तो क्या इस बात की जरूरत नहीं मानते ? गांव वालों को क्या दूसरी श्रेणी का नागरिक मानते हैं।

श्री बलबीर सिंह—

गांव वालों को बंधी हुई चीनी भी नहीं मिलती है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह—

यह बात सही है कि ढाई सौ ग्राम भी नहीं मिल पाती है। आप सबको प्रतिक्रियावादी कहते हैं, आप समाजवादी है। आप सबको एक आंख से देखना चाहते हैं। गरीबों के प्रति आपकी ज्यादा वफादारी है। उनका नाम लेकर, आपने वोट लिये, गरीबी हटाओ के पोस्टर्स चिपक रहे हैं। गांव वाले बहुसंख्यक भी हैं। बल्कि हमारे दृष्टिकोण से यहीं, अपने दृष्टिकोण से उनकी चीनी बढ़ाइये। सिद्धान्ततः कोई औचित्य नहीं है कि गांव वालों को कम चीनी दें। हमारे यहां इतनी ठंडक होती है कि लोग दिन भर चाय पीते हैं और उनको ढाई सौ ग्राम चीनी देते हैं और वह भी मिलती नहीं। हमारे यहां चार पांच रुपये किलो तक गुड़ बिका है। हमारे यहां गन्ना पैदा नहीं होता। अपनी गुड़ बनाते नहीं। चीनी का बाजार भाव रहेगा 4 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस तरह से क्या आप उन सिद्धातों पर चल रहे हैं ? यह बात नहीं है। यह भी बात नहीं है कि किसी ने मांग न की हो। यह नीति का प्रश्न है। आप इस पर सोचें और कोई तरीका निकालें। गांव के निवासी को नम्बर दो श्रेणी का नागरिक न समझें। उनको वही अधिकार है जो शहरी को देना चाहते हैं।

एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं। थोड़ा बहुत अपने लाभ के लिए किसी को काम दिलाना चाहते हैं। आपकी योजना के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। 27 मार्च को बरेली रीजन में हैण्डिलग और ट्रांसपोर्ट करने के टेंडर स्वीकार हो चुके थे। लेकिन उसके बाद एक क्षेत्रीय लेखा अधिकारी है, नाम बताया जाता है सत्यदेव सिंह, यह बताया जाता है कि उनकी 22 बैड एंट्रीज है। उन्होंने वह टेंडर कैंसिल कर दिये। दोबारा टेंडर दे दिये हैं। यहां पर आपकी खरीददारी शुरू हो गयी।

आपने हैंडलिग, ट्रांसपोर्टेशन तथा बोरा सीने का इन्तजाम नहीं किया। टेंडर मंजूर किये फिर कैंसिल कर दिये। आपकी तैयारी नहीं है कि गेहूं आयगा तो काम कैसे होगा जब कि मदद करने के विचार से यह काम किया गया है। जो गलत ढंग से काम हो रहे हैं, जो अनियमितताये हो रही है उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक भीम राज अग्रवाल फतेहपुर सेंटर में मार्केटिंग इन्सपेक्टर। उनके खिलाफ विजिलेन्स की जांच हुई। उन्होंने डर के मारे इस्तीफा द दिया लेकिन 1972 में आपने उनको पुनः नौकरी में ले लिया। रिएप्वायंट ही नहीं किया बल्कि पूरी सीनियारिटी दी और पुरानी तनख्वाह भी दी। यह किस आधार पर आपने दी जब वह स्वेच्छा से इस्तीफा देकर चले गये थे। इस तरह के पक्षपात का कार्य आप के यहां हो रहा है।

दूसरे गल्ले के थोक व्यापार के सम्बन्ध में आपने सारे प्रदेश में नियुक्तियां की चपरासी, कामदार, निरीक्षक, लेखाकार तथा लिपिकों की। कई हजार नियुक्तियां ये थी। मैं

आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आपने एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मंगाये ? नहीं मंगाये । आज काबिल से काबिल आदमी प्रदेश में बेकार घूम रहा है । क्या आपने एडवर्टाइजमेंट किया ताकि वह सप्लाई कर सकते ? नहीं किया और गुपचुप सारे एप्वायन्टमेंट कर दिये क्या और सारी शक्तियां सिफारिशी ढंग से की गयीं । दो चार कर लेते कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन सारी की सारी इस ढंग से की गयीं तो यह आपत्तिपूर्ण बात है । सही ढंग से अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी करना चाहते हे वे महरूम रह गये और आपकी समाजवाद तथा न्याय दिलाने वाली बात समाप्त हो गयी । एक चुटकुला मुझे याद आता है । एक अर्थी जा रही थी । लोगों ने पूछा किसकी अर्थी जा रही हूं । उन्होंने कहा न्याय की अर्थी जा रही है । वह बोली मैं तो जा रही है लेकिन तुम्हारे लिये विरासत में घूस, रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार छोड़े जा रही हूं । तो यह सरकार इस ढंग से चल रही है ।

गल्ले के थोक व्यापार के लिये आपको बड़े स्टाफ की जरूरत थी । आपने पदोन्नतियां की लेकिन उनमें वरीयता का बहुत से मामलों में खयाल नहीं किया गया और पक्षपात बरता गया । 200 से ज्यादा मारकेटिंग इन्सपेक्टर्स के केसेज में प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं । कायदा यह है कि तीन महीने के अन्दर उन प्रतिकूल प्रविष्टियों को कम्युनिकेट कर देना चाहिये और जब प्रोमोशन का मौका आये तो उससे पहले उन प्रविष्टियों पर फैसला कर देना चाहिये लेकिन आपने सालों उन प्रविष्टियों को न तो कम्युनिकेट ही किया और उन पर फैसला ही लिया और उनका बहाना लेकर आपने उनको तरक्की से महरूम कर दिया । जो नियम है उसके अनुसार कार्य होना चाहिये तथा न्याय सब को मिलना चाहिये, समान रुप से मिलना चाहिये । आप गल्ले का थोक व्यापार कर रहे है तो करें लेकिन इस तरह के बेईमानी तथा पक्षपात के कामों को करना बन्द करें ।

मैं आपको बताता हूं कि नवम्बर-दिसम्बर में, लखनऊ में एक फ्लोरमिल बैंकटेश्वर है, उसके सम्बन्ध में मुझे जानकारी है कि तत्कालीं खाद्य निरीक्षक, जो कि आज कल आपके यहां उप-सचिव के पद पर हैं, ने उस मिल पर छापा मारा और आटा, मैदा आदि चीजों को एक्सेस में पाया । उसके बाद वह सारा मामला रफा-दफा करवा दिया गया । मंत्री जी इसकी जांच भी करवा लें । एक बात और बताता हूं । अपने प्रदेश में धन की बहुत कमी है और टक्स रोज लगाते चले जा रहे हैं । चन्दौसी में 1 लाख 20 हजार बोरियों की क्षमता का एक गोदाम था जिसको कि एफ0 सी0 आई0 को 12 हजार रुपये सालाना के हिसाब से किराये पर दिया हुआ था । उसको आपने खाली करवा दिया । इस तरह से लाखों रुपय का आपको नुकसान हुआ । आप कहेंगे कि हम अरबों रुपया कमा रहे हैं, लाखों से कोई फर्क नहीं पड़ता । मैं कहता हूं कि छोटी-छोटी बचतों से और मितव्ययिता से ही इस प्रदेश के आर्थिक संकट को दूर किया जा सकता है ।

अब मैं आपके सामने माननीय मंत्री जी का उदाहरण देना चाहता हूं । सवाल यह उठता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा । जैसा हमारे माननीय वरिष्ट मंत्री हैं उसी तरीके के नीचे के लोग भी हैं बल्कि वे और पीछे हैं । जो इस विभाग के माननीय मंत्री हैं उन्होंने सिविल लाइन्स कानपुर में 47 नम्बर का मकान एलाट करवाया है । ठीक है, आपको अधिकार है आप बड़े आदमी हैं एलाट करवा सकते हैं और उसमें रह सकते हैं लेकिन आपने एक दूसरा मकान नम्बर 32 का उसी स्टेट में एलाट करवा लिया। चूंकि मैं कानपुर शहर में ही कालेज में रहा हूं इसलिये वहां का मुझे ज्ञान है। इसके अलावा एक कैलास मंदिर में एक प्लाट है उसको भी आपने अपने दामाद के नाम एलाट करवा लिया । आपके एक मित्र हैं जो उस प्लाट को

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी]

लेना चाहते थ लेकिन आपने उन्हें न देकर वह प्लाट अपने दामाद को दे दिया। क्या बड़ी बात थी, जब उन्होंने कह दिया था तो आपके इस प्लाट को उन्हें दे देना चाहिये था लेकिन आपने नहीं दिया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

समरथ को नहीं दोष गुंसाई।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

मैं आपकी नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं। आप इसकी जांच करवा लें। कानपुर में ही आपके मित्र हैं श्री जंग बहादुर। उनका मकान 12 8/7 एफ0 किदवई नगर में मौजूद है उस पर एक श्री ओम प्रकाश और श्री आर0 बी0 एल0 सक्सेना किराये पर रहते हैं उसे भी आपने अपने नाम एलाट करवा लिया। एक मकान 15/284 सिविल लाइन्स में है इस मकान को आप अपने नाम से किये हुये हैं। इसमें एक सरकारी संस्था का कार्यालय है जो कि आपको किराया देती। आपका रेंट कंट्रोल ऐक्ट कहता है कि किसी मकान को सब-लेट न किया जाय, यह साफ तरीके से सब-लेटिंग के रूप में दिया हुआ है। मंत्री जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उनके वहां अनन्य मित्र हैं और बड़े जोर-शोर से उनका नाम लिया जाता है।

तो इन बातों की आप सफाई करें कि क्यों ऐसा हो रहा और क्यों ऐसी अनियमिततायें हो रही हैं। हमारे विधायकों को तो आप मकान नहीं दे सकते लेकिन इस तरह से आप दो दो मकान ले लें और मकान अपने लोगों को बांट दें। अभी मोतीलाल जी देहलवी कह रहे थे, मैं उस तरह की बात नहीं कहना चाहता और न कहना पसन्द करता हूं लेकिन यह निश्चित बात है कि इसके अन्दर शक उत्पन्न होता है कि कानपुर में 6 या 7 मार्च की रात को 75 सस्ते गल्ले की दुकान एलाट कर दी गयीं। कौल साहब का ट्रांसफर हो गया था वह चार्ज देने वाले थे 8 तारीख को शायद और चार्ज देने से पहले 75 दूकानें उन्होंने एलाट करवायीं। सवाल यह कि हमारे कानपुर के सभी विधायक और कांग्रेस दल के विधायक मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन लिख कर दे चुके हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि बिना खाद्य परामर्शदात्री समिति की राय लिये हुये एक कलम से एक रात में 75 दूकानें कैसे दे दी गयीं? बताया यह गया कि क्या करते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको कानपुर में रहना था क्योंकि उनकी पत्नी वहीं कानपुर के किसी कन्या पाठशाला में पढ़ाती हैं अध्यापक हैं इसलिये उन्होंने मंत्री जी की बात को मानते हुये उनके इशारे पर 3 लाख रुपये लेकर यह दूकानें एलाट करवा दीं और कहा यह जाता है कि इस रुपये की कांग्रेस फंड में जरूरत थी जिसके मंत्री जी समन्वय समिति के सदस्य भी हैं और इसलिये वह रुपया लेकर 3 लाख में वह 75 दूकानें एलाट कर दी गयी एक रात के अन्दर। चाहे चन्दे के नाम पर लेते तो भी बात थी लेकिन यह क्या बात हुई कि दुकान दो और थोक सौदा कर लो लाखों रुपये का पार्टी के लिये, यह बिलकुल गलत बात है। यह भी मेरी जानकारी में है कि यह तमाम हवा शहर कानपुर में है, बच्चा बच्चा कानपुर का जानता है और तमाम एम0 एल0 ए0 चाहे इधर हों के और चाहे उधर के हों इस बात को कोई रिफ्यूज नहीं करेगा।

आपके सामने थोड़ी बातें और लाना चाहता हूं। उस दिन मैंने जगदीश गांधी का सवाल उठाया था कि 40 बोरी शकर उनको दी गयी थी। एक बात और ला दूं कि दो सौ बोरी शकर अभी कुछ महीने पहले दिसम्बर या जनवरी में आप उस वक्त मंत्री नहीं थे उस वक्त लेकिन उस वक्त दो सौ बोरी शकर मेसर्स प्रहलाद राय ऐंड सन्स, कानपुर को एलाट करने के आदेश उस समय के मंत्री ने करवा दिये। जब यह आदेश कानपुर पहुंचा तो हमारे खाद्य सचिव श्री के0 सी 0 जोशी जी ने मुख्य मंत्री जी से फाइल पर आज्ञा निकलवा दी

और उसको रद्द करवा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर इतने गलत आदेश किये जाते हैं और कैसे मंत्री लोग बिना समझे-बूझे इस तरह आदेश करते हैं।

एक बात मैं आपको और बताऊं। गल्ले की दूकानों पर आटा बिल्कुल नहीं था, गल्ला नहीं था और आटे का भाव कहीं 170 रुपये तक था और कहीं-कहीं तो ढाई रुपये किलो तक आटा बिका लेकिन आपने क्या किया? आपने अक्तूबर और नवम्बर के महीने में, मेरा मतलब आपकी सरकार से है कि आपकी सरकार ने मेसर्स हरखचन्द फ्लोर मिल्स, सीतापुर के साथ मिलकर एक हरकत की। 17 सौ बोरी आटा व मैदा आपने उसको अक्टूबर व नवम्बर महीने में रिलीज कर दी यानी सीधे सीधे डेढ़ लाख रुपये का मामूली तौर से फायदा उठाने और ब्लैक करने का आपने उनको अवसर दे दिया।

आप आज बिचौलिये को हटाने की बात करते हैं लेकिन जब आप बिचौलिये को हटाना चाहते हैं तो फिर मैदे के लिये होल सेलर का एप्वायटमेंट करना आपने क्यों शुरू कर दिया। पहले कुछ चीजों के लिये थोड़े दिन के लिये कहते हैं और मैदे के लिये होल सेलर मुकर्रर करते हैं। क्या वहां बिचौलिये अच्छा काम करते हैं और दूसरी जगह वाले खराब काम करते हैं?

दूसरी बात मैं मैदे के डिस्ट्रब्यूशन की करना है। अगर रोटी और ब्रेड के लिये आटा पर प्राइस कंट्रोल है लेकिन और चीजों पर आपका प्राइस कंट्रोल नहीं है। तो इस एनोमली को भी आप दूर करें जिससे प्राइस कंट्रोल पर ही डबल रोटी का वितरण हो सके। इसमें ऐसा होता है कि आपकी स्वेच्छा पर है, जिसको चाहते हैं कंट्रोल रेट पर देते हैं जिसको चाहते हैं नहीं देते हैं। इसमें पक्षपात का ढंग अपनाया जाता है।

अब मैं आपके सामने कर्मचारियों की थोड़ी सी दिक्कतें लाना चाहता हूं। एक बात आपसे निवेदन कर दूं कि 31 मार्च समाप्त होता है तो वित्त विभाग के कर्मचारियों को आनरेरिया देते हैं, बैंक वाले एक घंटा काम करते हैं तो उनको आनरेरिया और ओवरटाइम देते हैं। आपके परचेजिंग सेंटर पर जो सीनियर मारकेटिंग इंसपेक्टर रहेंगे, मारकेटिंग इंसपेक्टर रहेंगे, कामदार रहेंगे, आप यह घोषित कर चुके हैं कि हम उसी दिन गल्ला बिकवायेंगे और किसान को रुकना नहीं पड़ेगा। आप अगर सचमुच यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि किसान जो गल्ला लेकर आवे उसी दिन उसको बिकवा कर उसे चेक देकर भिजवा दें तो आपको चाहिये कि आपके कर्मचारी जो सेंटर के हैं, रात में रह कर भी काम करेंगे, उनके लिये आपने क्या किया है, उनके लिये क्या व्यवस्था की गयी है जिससे वे काम करें।

दूसरी बात यह है कि यह आम शिकायत रही है कि सेंटर पर जो कामदार, मारकेटिंग इंसपेक्टर, सीनियर मारकेटिंग इंसपेक्टर रहते हैं उनको महीने की 15, 16 और 20 तारीख के पहले तनख्वाह नहीं मिलती। वे घर से दूर सेंटर में रहते हैं तो जाहिर है कि वे खरीद कर खाते होंगे। आप सुनिश्चित कीजिये कि उसको टाइम से तनख्वाह मिले ताकि वह ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू करें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने पहले कहा कि राशनिंग सन् 39 में शुरू हुई और आज फिर इस स्थिति में हम आ गये हैं होल सेल व्यापार को लेकर। नतीजा यह है कि आपका विभाग जो अभी तक टेम्पोरेरी समझा जाता था वह अब परमानेंट होने की स्थिति में है। जब जी० ओ० है कि तीन साल सर्विस वालों को परमानेंट कर दिया जाय लेकिन आपके विभाग में 15 और 20 साल सर्विस वाले कर्मचारी हैं जो आज तक कन्फर्म नहीं हुए हैं और उनके साथ नाइन्साफी और बेईमानी है बमुकाबले औरों के। इस ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें। इसलिये कि आज उनके जिम्मे बहुत बड़ा काम दे दिया गया है, करोड़ों, अरबों

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी]

का काम आप उनको दे रहे हैं। पी0 डब्ल्यू0 डी0 के अन्दर चले जाइये, वहां है कि इतने के ऊपर एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, इतने के ऊपर एक एस0 ई0 होगा। जब लाखों और अरबों का टर्न ओबर उनके हाथ में आप दे रहे हैं तो उनकी सेवाओं के बारे में भी आपको विचार करना चाहिये।

एक एनोमीली सन् 47 के बाद से आज तक बनी चली आ रही है। 1942–43 में फूड डिपार्टमेंट में मारकेटिंग शाखा की स्थापना हुई। मारकेटिंग डिपार्टमेंट ही सारी खरीद करता है। इसमें पहले एग्रीकल्चर वालों को ही लिया गया कुछ डाइवर्ट करके और उसके बाद उन को वही वेतन-मान मिला जो कृषि के उसी समान पद वाले को मिलता था लेकिन सन 47 में खाद्य तथा रसद विभाग में कुछ छटनी हुई और वेतनमान पुनरीक्षित किये गये। उस वक्त यानी सन् 47 में कृषि वालों के वेतनमान तो बढ़ाये गये लेकिन इनको नहीं छुआ गया। उसके बाद सन् 65 तक वेतन आयोग बैठा, उसने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसके बाद वर्तमान वेतन आयोग ने भी उस अनामली को अब भी दूर नहीं किया। वह वित्त मंत्री जी से भी मिले और कहा कि आप इस मामले में पहल करें। उस केडर में जहां 325–575 का स्केल है वहां कृषि में 350–700 का है, इसी तरह से मार्केटिंग इन्सपेक्टर का 280–450 का वेतनमान है और उसी ग्रुप में कृषि में 280–550 का है। डिप्टी आर0 एम0 ओ0 को फूड डिपार्टमेंट में 400–700 मिलता है और कृषि विभाग में क्लास 2 वालों को 550–1200 मिलता है। रीजनल मार्केटिंग आफिसर को 550–1,200 आप देते हैं और उसी के समकक्ष ग्रेड जो कृषि विभाग का है वह है 800–1450 का इस तरह की अनामलीज को शीघ्र से शीघ्र दूर करना चाहिये।

एक बड़ा अन्तर यह भी है कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया में टेक्निकल शाखा, एकाउन्टिंग शाखा, किस्म विश्लेषण के लिये अलग शाखायें हैं और अलग अलग आदमी हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के सेन्टर्स पर उसी इंस्पेक्टर को तौल भी देखना है, उसी को किस्म का विश्लेषण भी करना है, उसी को बिल बनाना और चेक भी देना है और तुलवा भरवा कर बोरे रखने का भी प्रबन्ध करना है। आप के यहां भी एक आदमी के लिये इतना कार्य सम्हालना सम्भव नहीं है।

आप कहते हैं कि हम नो प्राफिट नो लास बेसिस पर काम करेंगे और सबसिडाइज भी करेंगे लेकिन आपने न मालूम कौन सा गणित और आंकड़ा लगाया कि जिसकी वजह से 4 लाख टन की खरीद स्टेट गवर्नमेंट ने की और उस पर आप की गवर्नमेंट ने 10.50 रु0 के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज गवर्नमेंट आफ इंडिया से लिये और इस तरह से आप को 1 करोड़ की बचत हुई और वह गल्ले के दाम में जाकर जुड़ गये। इस तरह से नो लाल नो प्राफिट का सिद्धान्त कहां रह जाता है। एक तरफ आप सबसिडाइज कर रहे हैं, घाटा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ लाभ की कर रहे हैं। इसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ना चाहिये। इसके अलावा रेन्ट कन्ट्रोल में भी मंत्री जी ने स्थिति बहुत खराब कर रखी है। सीमेंट तो अब सरकार को भी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

हमारे जिले से डी0 एम0 ने पी0 डब्ल्यू0 डी0 का आदमी भेजा, एल0 एस0 जी0 डी0 का आदमी भेजा, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री। इन्जीनियर महोदय को पैसा देना पड़ा तो जाकर वैगन लोड हुये। आज पब्लिक सेक्टर का यह हाल है कि वही घूस ले रहा है सरकार से। बिना घूस लिये, सीमेंट नहीं मिलती। सीमेन्ट नहीं मिलती, तो आपकी योजना ठप होती है और आपकी योजना ठप होती है, तो बजट लैप्स होता है और बजट लैप्स होता है, तो लोग आपको नालायक करार करते हैं। मान्यवर, तो आज सरकारी विभाग में खुद अपने लिये सीमेन्ट के हेतु घूस देना पड़ रहा है और फिर भी सीमेंट नहीं मिल रही है। डी0 एम0 से पूछिये। एक बार त्वरित योजना का सवाल आया। ईंटा नहीं मिल रहा है। ईंटा इसलिये

नहीं मिल रहा क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा है, कोयला इसलिये नहीं मिल रहा, क्योंकि रेलवे वैगन नहीं मिल रहे हैं। योजनाओं का पैसा लैप्स होता जा रहा है। सीमेंट उपभोक्ता को छोड़ दो, सरकार को खुद सीमेंट नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में हुकूमत को पहुंचा दिया है, इन्होंने।

मान्यवर, आज मिट्टी के तेल की स्थिति क्या है? उसकी स्थिति कभी कभार तो ठीक हो जाती है, लेकिन इस समय मिट्टी का तेल बाजार से काफी कुछ गायब हो गया है। विद्यार्थियों के इम्तहान हो रहे हैं, इन दिनों। बिजली समय से आती नहीं। सबके घर में बिजली भी तो नहीं है और मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है।

चीनी की जो हालत है, वह किसी से छिपी नहीं।

कोयले के बारे में आपने खुद माना है अपनी किताब में कि जितना रेक आप चाहते थे, उतना भारत सरकार ने मन्जूर नहीं किया और जितना मंजूर किया, उतना मिला नहीं। आज स्थिति यह है कि कोयला जिसका बाजार भाव 40 किलो का 6.55 पैसे है, 11 रु0 12 रु0 से बढ़ कर 15 रु0 तक बढ़ गया है। और मिल भी नहीं रहा वह डोमिस्टक पर्पज के लिये। जब यहां आपसे इसके बारे में पूछा जाता है, तो बहुत आसानी से आप उसे भारत सरकार पर डाल देते हैं कि हमको रेलवे वैगन नहीं दिये। सीमेंट नहीं मिली, तो आपने कह दिया कि रेलवे वैगन नहीं दिये। मिट्टी का तेल नहीं दिया, तो कह दिया कि हमारे पास टैंकर नहीं है, रेलवे वाले। इसी तरह से अन्य चीजों के लिये कहते चले जा रहे हैं। सवाल यह नहीं है। सवाल तो यह है कि आपने क्या किया, क्या मेहनत की इसके लिये, क्या प्रयास किया कि ज्यादा चीज आपके यहां आ जाय।

मान्यवर, आज नमक का क्या हाल है? पर्वतीय क्षेत्रों में साल्ट की समस्या आज जटिल है। आपने एक संस्था को उसे दे दिया। वह संस्था वितरित नहीं करती है। नतीजा क्या हो रहा है। आज नमक वहां नहीं मिल रहा है। लोग थैली वाला नमक खाते हैं और आप कहते हैं कि हमने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है साल्ट की। मान्यवर, आज ऐसी चीजें जो रोज के जीवन से संबंधित हैं, उनका अभाव ही नहीं, मिल ही नहीं पा रही है, मूल्य वृद्धि तो है ही। एक बहुत ही संकटमय जीवन बिताना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के नागरिक को, मान्यवर।

अभी हाल में आपने घोषणा कर दी कि नियंत्रित कपड़ा आप दूकानों पर बेचेंगे और वह आपने डी0 सी0 डी0 एफ0 को दे दिया। घोषणा करने के बाद से आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। जब तक आप ज्यादा सेण्टर्स नहीं खोलेंगे तो कैसे कपड़ा बिकेगा? अच्छा कपड़ा जान पहचान वाले फड़वा कर ले जाते हैं। जब तक यह कपड़ा जिनको आप राशन कार्ड पर दिलवाना चाहते हैं, सेण्टर्स पर देने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो कोई भी आदमी 150-200 मील चल कर खरीदने शहर नहीं आयेगा।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और बातें हैं, जिनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा और आशा है कि आप अवसर देंगे। लेकिन एक बात मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि दो-तीन चीजों की आवश्यकता है गल्ले के सम्बन्ध में—एक तो उत्पादन, दूसरी खरीद और तीसरी उपभोक्ता तक पहुंचाना। इसके साथ ही साथ किसानों को उचित मूल्य देना, सही ढंग से अपने तन्त्र को चलाना तथा सर्वभोगीय वस्तुओं को उपभोक्ता को उचित दाम पर देना, अगर यह स्थिति आप नहीं ला सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं और काश्तकार और जनता को आप बहलाना चाहते हैं, कि विरोधी दल गुमराह करते हैं तो ठीक नहीं है। जो 22 करोड़ जनता की भूख के खिलाफ आवाज उठाये, उसे आपकी सर्वोच्च नेता देश द्रोह करार दे, यह

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी]

बड़े कलंक की बात है। आप इन्तजाम नहीं कर सकते, आप नालायकी का सबूत देते हैं और इसके बाद अपोजीशन को देशद्रोह और गद्दार करार करें, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती।

विरोधी दल का आपको प्रजातंत्र के अन्दर आदर करना चाहिये और हमारी आलोचनाओं से ही आपको सुधार का मार्ग मिलेगा, उसको आपको अपनाना चाहिये ? अन्त में मैं एक बात माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम विरोधी दल के हैं, हमारा काम आपकी आलोचना करना ही है आपकी पूजा करना नहीं। अगर प्रधान मंत्री कि हम आपकी आरती उतारें, यह असम्भव है, गलत है। बुनियादी रुप से हमारा काम आपकी आलोचना करना है आपके गलत कार्यों और नीतियों की आलोचना करना है और अगर आप लोक तन्त्र में विश्वास रखते हैं, लोकतन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं तो आपको आदर करना चाहिये और सही रुप में उसका जवाब देना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से माननीय नेगी जी द्वारा उपस्थित कटौती के प्रस्ताव से सम्बन्धित उनकी दलीलों को सुना। शुरु से अन्त तक नेगी साहब ने जो कुछ भी कहा उसमें स्वयं विरोधाभास स्पष्ट टपकता है। जो कुछ भी उन्होंने कहा, मैं उस पर बाद में जाऊंगी, लेकिन कुछ बोलने के पहले मैं प्रदेश की सरकार को बधाई देती हूं उसने इस क्रान्तकारी कदम के लिये जब कि हमारे सामने सन 1974 का चुनाव है जब कि हम यह समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में किसानों का एक खास महत्व है, जब हम यह समझते हैं कि जो हमने एक-एक कदम उठाये हैं उस पर क्या असर पड़ता है,

(इस समय 3 बज कर 6 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए।)

उसका क्या व्यापक असर पड़ेगा, इन सब चीजों को सामने रखते हुये आज हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वह एक क्रान्तकारी कदम है और कांग्रेस की नीतियों के अनुकूल वह कदम है।

यह ऐसा कदम है जिसके लिए कांग्रेस दल बीसों वर्ष से इस बात के ऊपर जोर देता रहा है कि किसानों के बीच से बिचौलियों को हटना चाहिये। किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती है और जो मुनाफाखोरी करते हैं उन्हें हटना चाहिये। यह हमारी नीति थी। हमारे दस सूत्री कार्यक्रम में स्टेट ट्रेडिंग एक मुख्य कार्यक्रम था। भुवनेश्वर में कांग्रेस हुई तो घंटों इसके ऊपर बहस की गयी कि किस तरह से हम जनता को राहत दे सकें, कीमतों के ऊपर नियंत्रण रख सकें और वे चीजें जो कि जीवन के लिए आवश्यक हैं जनता तक पहुंचा सकें। उस वक्त यह प्रस्ताव हुआ था कि कुछ चावल के कारखाने, कुछ आटे के कारखाने पब्लिक सेक्टर में चालू किये जायं।

दस सूत्री कार्यक्रम को पकड़ कर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने जब इस देश का नेतृत्व अपने हाथ में लिया तो उन्होंने उन सब वायदों को जो कि कांग्रेस अपने प्रस्तावों द्वारा करती आ रही थी पूरा करने के लिये एक दृढ़ कदम उठाया और उस दृढ़ कदम के अन्दर ही यह भी एक कदम है जो कि थोक व्यापार लेने की बात है। नेगी साहब ने कहा कि सरकार ने इसमें जल्दबाजी की है। उन्होंने कुछ कोटेशंस भी दिये। अक्तूबर में गांधी नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था तो उसमें यह प्रस्ताव था और उसके बाद मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ और उसके बाद ही अखिल भारतीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का निर्णय हुआ। जो हमारे

निश्चित कार्यक्रम हैं और प्रस्ताव हैं उनको एक निश्चित समय के अन्दर करना चाहते हैं। हमने तय किया था कि 31 दिसम्बर 1972 तक जमीन की सीमाबन्दी को पूरा कर लेंगे और उसको पूरा किया। प्रदेश की सरकारों ने पूरा किया।

श्री बलबीर सिंह--

शहरी संपत्ति के लिए भी कुछ तय किया है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं बतला रही हूं। घबड़ाइये नहीं। वरकिंग कमेटी ने फैसला लिया और जहां हमारे मंत्रि परिषद हैं उनसे कहा गया कि इसका अधिग्रहण होना चाहिये। रबी की फसल से गेहूं का अधिग्रहण और खरीफ की फसल से चावल के थोक व्यापार का अधिग्रहण होगा। छः महीने का समय इसलिए रखा गया कि सरकार पूरी तैयारी कर ले और पूरी तरह अपनी मशीनरी को ठीक कर ले। बड़े विश्वास के साथ हमने यह कदम उठाया है। इसके पीछे यह नहीं है कि यह केवल एक नारा है जैसा कि नेगी साहब कह रहे थे और न ही यह कोई वोट कैंचिंग डिवाइस है। सारी कठिनाइयों को, सारे परिणामों को, सारी दुश्वारियों को समझते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है इसलिए यह सरकार बधाई की पात्र है।

खाद्य मंत्री जी और उनके कर्मचारियों ने जिस तरह रात दिन एक करके ठीक समय पर इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाया इसके लिए भी मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देती हूं। हम समझते हैं प्रदेश की जनता उनके डिपार्टमेंट की तरफ और उनके नेतृत्व की तरफ बड़ी उत्सुकता से देख रही है क्योंकि इसके ऊपर हमारी समाजवादी व्यवस्था की नींव मजबूत होने वाली है। ऐसा मैं मानती हूं। आज हमारे दल के लिए और हमारी सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी है। ऐसा भी मैं समझती हूं। इसकी सफलता पर आगे जो हमारे समाजवादी कदम उठने वाले हैं उनकी यह बुनियाद पड़ने जा रही है। अभी नेगी जी कह रहे थे कि सीमेंट नहीं, तेल की यह स्थिति है और इसेंशियल कमोडिटीज की यह स्थिति है। किसान को ये चीजें नहीं मिलतीं। तो इन सारी चीजों का जवाब ही तो थोक व्यापार है। हम सबसे बड़ी चीज अनाज को अपने हाथ में ले रहे हैं। गेहूं और चावल मुख्य रूप से खाने की चीजे हैं।

कहा जाता है कि कीमतों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिये। नियन्त्रण करने के लिये अगर हम कदम उठाते हैं तो कहा जाता है कि यह सरकार बिना तैयारी करके काम कर रही है। कुछ लोगों ने अपने विचार प्रकट किये, चाहे हमारे ही दल के अन्दर क्यों न हों। हमारा दल तो हमेशा लोगों के स्वतन्त्रतापूर्वक विचार प्रकट करने में यकीन करता आया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे दल के लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं। कहा गया है कि हमारे पास मशीनरी क्या है। श्री चन्द्रजीत यादव की स्पीच का उद्धरण दिया गया। क्या हम कोई प्रोग्रेसिव मैजर न लें---कोई अच्छा काम न करें। कहते हैं सब जगह भ्रष्टाचार है, योग्यता है ही नहीं। क्या कोई मां यह समझ कर कि बच्चा अगर चलेगा तो गिर पड़ेगा उसे गोद से हमेशा चिपकाये रखेगी, उसको जमीन पर नहीं ले जायेगी अगर वह गिरता है तो फिर आगे बढ़ेगा और फिर छलांगे लगा कर आगे बढ़ता जायेगा। घर से सड़क पर आयेगा और फिर दुनिया के सामने आयेगा। अगर कोई तैराक यह समझे कि वह पानी में डूब जायेगा तो वह पानी में ही नहीं जायेगा। फिर तो कोई पानी में तैरने ही नहीं जायेगा। आज हमारे सामने यही सवाल है।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

हम कोई एक्सपेरीमेंट करने के लिये नहीं कर रहे हैं । आप तो गरीबों की बड़ी दुहाई देते हैं और उनके साथ बड़ी हमदर्दी रखते हैं । अभी आंकड़े पेश कर रहे थे कि इतने परिवार भूखों मर गये, आखिर उनको रोटी कहां से मिलेगी, किस कीमत पर हम अनाज देंगे ? उसकी व्यवस्था हम क्या करेंगे इस पर भी विचार किया गया है और विचार करके ही गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ लिया है । खरीफ की फसल में हम चावल के थोक व्यापार को लेने जा रहे हैं। आपने किसान को भी हमदर्दी दिखायी कि हम उसको सही कीमत नहीं देते हैं । किसान जो अनाज उत्पन्न करता है उसको सही कीमत देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है । केन्द्रीय सरकार ने एक यूनिफार्म रेट तय कर दिया । उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने तरीके से कुछ रेट्स को ठीक करने की कोशिश की है । 74, 76 रु0 प्रति क्विंटल की बात और हम 80, 85 रु0 की भी बात करते हैं । अच्छी किस्म का अनाज 82 रु0 में बेचने की बात होगी तो कंज्यूमर को 1 रु0 प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर ज्यादा देना होगा तो यह देखना होगा कि क्या वह इससे ज्यादा दे पायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

82 रु0 क्यों देंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं यह कह रही हूं कि गेहूं की कीमत बढ़ाने की बात कही गयी । अगर हम कीमत बढ़ा कर गेहूं ले लें और 1 रु0 प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं दें तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे कि इससे ज्यादा गेहूं की कीमत दी जाय ।

जिसको आप उपभोक्ता कहते हैं उसको भी देखना है । आज आप शिकायत करते हैं कि गेहूं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो यह चीज है । इस साल अनाज कम हुआ है, पिछले साल भी कम हुआ था । लगातार दो साल से फसल खराब हो रही है । अनाज की कीमतें अनाप शनाप बढ़ने लगीं थीं उस कारण सबसे ज्यादा कष्ट जिस सेक्शन की आमदनी बहुत कम है, उठाना पड़ता है । इसमें कर्मचारी वर्ग आता है और साथ ही साथ वह लोग भी हैं जिनकी क्रय शक्ति बहुत कम है । तो कहीं न कहीं कीमतों को रोकना है । उस दिशा में जब हम लोगों ने कदम उठाया है तो इतनी चीख पुकार क्यों हो रही है, इतनी हमदर्दी किसके लिये दिखलाई जा रही है और जनसंघ के भाइयों ने यह बहिर्गमन किसके लिये किया है ? 35,000 थोक व्यापारियों के प्रति आपकी हमदर्दी है लेकिन यह नहीं समझते हैं कि प्रदेश की 9 करोड़ जनता को सही कीमत पर अनाज देना है और समय पर देना है । तो इसके लिये जरूरी था कि गल्ला का थोक व्यापार हम अपने हाथ में लें। इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे और आखिर वह दिन आया जब कि 1 अप्रैल, 1973 को हमारी सरकार ने यह क्रान्तिकारी कदम उठाया है । इस कार्य में हमें सफलता मिलेगी ।

जिस समय हमने 1950 में संविधान बनाया तो यह बात हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में रक्खी गई कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जनता को उनकी जो आवश्यकता की वस्तुयें हैं, उनको मुहइया कराये । साथ ही साथ लोगों को समान कार्य का अवसर मिलना चाहिये और समान कार्य के लिये समान वेतन मिलना चाहिये । इसी तरह से कहा गया कि लोगों की जरूरियात की वस्तुयें मिल सकें इसकी आवश्यकता है । यह काम तो उसी दिन होना चाहिये था जिस दिन आजादी हुई थी लेकिन 25 साल बाद भी हो सके तो भी हिम्मत की बात है । पिछले साल हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि भारत बाहर के देशों से अनाज नहीं मंगायेगा । हम अपने पैरों पर खड़े होंगे । इस बात की हमें हरित क्रान्ति से आशा बंधी थी कि देश आवश्यकता के अनुसार अनाज पैदा कर लेगा और हम बाहर से नहीं मंगायेंगे । अमेरिका हमारे ऊपर जोर डाल रहा था और हमने कहा था कि हम अपने स्वाभिमान के लिये वह नहीं करेंगे । लेकिन उसके बाद ही हमारे यहां अकाल पड़ता है····

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

अब अमेरिका से अनाज मंगा रहे हैं या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह तो बतला रही हूं। हमने एक फैसला लिया लेकिन उसके बाद इस वर्ष अकाल पड़ा और कई प्रदेशों महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान आदि में पड़ा और अनाज की दिक्कत रही। इसके कारण कीमतें बढ़ती गईं तब यह सोचा गया कि यह जरूरी हो जाता है। एक तरफ हम विदेशों से अनाज न मंगाने की बात करते हैं देश को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, दूसरी तरफ हमारे यहां अकाल पड़ा है। उसके बावजूद जो हमने फैसला लिया उसके प्रति आज हम अडिग हैं और मजबूरी से हम कदम उठा रहे हैं। तो यह कोई नारेबाजी के लिए नहीं है और न जनता को धोखा देने के लिये है, बल्कि इसलिए है कि हमें विश्वास है कि जिस जनता ने 1971 में, 1972 में हमारा साथ दिया है वही जनता 1974 में भी साथ देगी और हाथ कंगन को आरसी क्या मैं विरोधी दल के सदस्यों से कहना चाहती हूं कि 8-9 महीने चुनाव के रह गये हैं। 1974 में हम इसी थोक व्यापार के प्रश्न को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में आयेगी और आप भी इसी प्रश्न को लेकर वोट मांगने जनता के सामने आयेंगे और फिर फैसला होगा। इस असेम्बली के अन्दर तो हम हैं ही बहुमत में, लेकिन जो बड़ी अदालत है उसमें जनता वह फैसला लेगी कि यह थोक का व्यापार वाला कदम सही लिया गया है या गलत।

अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी ओर लेगी जी ने प्रकाश डाला, जो कि आये दिन अखबारों में निकल रही हैं। कहा जा रहा है कि अनाज मार्केट में नहीं आ रहा है, मंडियां खाली पड़ी हैं। मैं पिछले दिनों इलाहाबाद गयी थी, खास करके इसलिए कि मैं अपनी आंखों से वस्तु-स्थिति देखूं। हमारी जो फेयर प्राइस शाप्स हैं इनका भी कई जगह जाकर निरीक्षण किया कि वहां पर हैं या नहीं और साथ ही साथ मैं मंडियों में गयी। मैंने देखा कि रिटेल के व्यापारी बड़े प्रसन्न हैं कि उनको राहत दिलायी गयी उन थोक व्यापारियों के चंगुल से और वह उस परेशानी से बच गये और यह भी देखा कि वहां किसी तरह की परेशानी नहीं है, घबराहट नहीं है।

जितने रिटेल के व्यापारी थे वे निकल-निकल कर आये और कहा कि हम तैयार हैं सरकार के साथ कोआपरेट करने के लिए, केवल इतना चाहते हैं कि गल्ला मिल जाया करे। मैं भी ऐसा समझती हूं कि अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया जिस तरह से गल्ला इकट्ठा कर रही है और करने के बाद जिस तरह से उसकी वितरण व्यवस्था करेगी तो आज रिटेल शाप-कीपर्स को थोड़ी सी कठिनाई हो रही है वह दूर हो जायगी। आज उनको यह छूट दी गयी है कि वे जिस कीमत पर गल्ला लेकर आये उसी के हिसाब से बेचें, लेकिन यह 15 दिन या महीने भर की बात है। जल्दी ही ये चीजें सेट हो जायंगी और जिस तरह से शहरों में पहले थोक व्यापारी थे उसी तरह से सरकारी एजेंसी के द्वारा इन छोटे-छोटे व्यापारियों को गल्ला वितरण करने के लिये व्यवस्था की जायगी जिससे आज जो कीमतों में अन्तर है और जो सरकार का उद्देश्य है दो बाजार न हों, एक बाजार हो जाय, चोर-बाजारी बन्द हो, मुनाफाखोरी बन्द हो वह तब संभव होगा जब हमारी फेयर प्राइस शाप्स और हमारे रिटेल शापकीपर्स को हमारे द्वारा अश्योर्ड कीमतों पर गल्ला मिल जाया करेगा।

जब यह व्यवस्था गवर्नमेंट कर देगी तो ठीक हो जायगा और सरकार का पूरा ध्यान इस ओर है और थोड़े दिनों बाद ही यह छूट समाप्त हो जायगी कि चाहे जिस कीमत पर रिटेल शापकीपर खरीदकर बाजार में बेचे। क्योंकि इससे भ्रष्टाचार की गुंजायश हो सकती है, जो हम खत्म करना चाहते हैं और हमारे उस उद्देश्य को विफल करने की बड़े व्यापारी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आज यह साजिश है पूरे जोरों से कि गल्ला, मंडियों तक न आने दिया जाय ताकि

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

लोगों को यह दिखाया जाय कि कितनी परेशानी है, आज कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। तो इस चीज को भी खत्म करने के लिये अभी यह जरूरी है कि रिटेलर्स को भी पूरी तरह से स्टाक से गल्ला दे सकें या कहीं-कहीं पर नजदीक में इस तरह से खोल दिया जाय जहां से वह खरीद सकें।

दूसरे, जो छोटा व्यापारी है उसको 2 क्विंटल या 10 क्विंटल के लिये बार-बार दूर जाना आना पड़ता है। यह ठीक है कि शुल्क नहीं लेंगे लेकिन जाना-आना तो पड़ता ही है। तो जो बड़े व्यापारियों ने बड़े किसानों के साथ मिल कर यह साजिश की है कि हमारी यह समाजवाद की योजना चालू न होने पाये उसको विफल करने के लिये यह जरूरी है कि हम फेयर प्राइस शाप्स जितनी बढ़ा सकें उतनी उनकी संख्या बढ़ायें। अभी मैंने मालूम किया कि बहुत सी जगह ऐसी दुकानों की संख्या बहुत कम है। लेकिन अब जब यह स्थिति पैदा हो गयी है तो छोटे नगरों में भी पर्याप्त दुकानें खोलनी पड़ेंगी और उसके रेडियस को भी बढ़ाना पड़ेगा जिससे लोगों को अनाज मिल सकें।

इसके अलावा जो रिटेलर्स हैं और जिनके लाइसेंस फिर से रेन्यू कराने की बात है, मैं ऐसा समझती हूं कि कोई ऐसी यव्यवस्था करनी चाहिये जिससे उनको लाइसेंस मिलने में ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। और आज जो यह पाबन्दी लगायी गयी है कि जो तीन वर्ष से गल्ले का व्यापारी होगा उसी को हम रिटेल शाप कीपर मानेंगे, मेरा अपना सुझाव यह है कि ऐसे वक्त जो भी गल्ले के रिटेल शाप कीपर्स हैं सब को उदारतापूर्वक लाइसेंस दे देने चाहिये। इस तरह से जो दफ्तरों में भ्रष्टाचार होता है उसको भी रोका जा सकता है। इसमें किसी तरह के एफिडेविट या सिफारिश की बात नहीं होनी चाहिये। जो मंडियां या दुकानें हैं वह एक रात में तो खड़ी हो नहीं जातीं। जो काम कर रहे हैं उनको करके देना चाहिये।

मैं जब इलाहाबाद में घूमी तो दो, तीन लोगों ने कहा कि कल से हम नहीं बेंच रहे हैं इस डर से कि अभी हमारा लाइसेंस रेन्यू नहीं किया गया है। तो मैंने आपकी तरफ से आश्वासन दिया कि आप लोग गल्ला बेचिये, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सरकार की यह नीति नहीं है। इस पर लोगों ने बेचना शुरू किया और आधे दिन के बाद काफी बिक्री हुई और लोग प्रसन्न थे इस बात से। इसलिये मैं समझती हूं कि हमारे विरोधी दल के भाई एक निराशा की भावना या यह भावना कि यह होगा तो यह गड़बड़ी हो जायगी, ऐसी स्थिति पैदा न करके लोगों के मनोबल को गिराने की बात न करके यह सोचें कि इतने बड़े कदम को जब उठाया गया है तो इसमें दलगत बातों से ऊपर उठ कर सब को अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपील करूंगी कि आप यह देखें कि आपके यहां सही तरीके से लोगों को गल्ला मिल रहा है और कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है।

आज विभिन्न राजनीतिक दल यह सोच रहे हैं कि अगर इसमें गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो फिर चुनाव में हम कांग्रेस को हरा सकेंगे। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि यह अगर मगर की स्कीम नहीं है। यह एक ठोस योजना है जिसको हमने चालू किया है और जो सेंट परसेंट सफल होने जा रही है और आपकी आशा के विपरीत सफल होने जा रही है। इसलिये अब रियूमर्स फैलाने की आवश्यकता नहीं है।

आज फोटो और तस्वीर खिंचवाने की जरूरत नहीं है कि कहीं गल्ला नहीं आ रहा है। खाली पड़े हुये हैं। इस तरह की चीज फैलाने की आज जरूरत नहीं है। जिस तरह से आज हम आर्थिक प्रगति लाना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, खेती और खेतिहर मजदूर तथा किसान का हित चाहते हैं, उसके लिये जो कदम हमने उठाया है वह जरूरी है। बिचौलियों को खत्म करके किसान को उसकी उपज का ठीक मूल्य मिले और जनता को भी अधिक दाम न देना पड़े यही हमारी इस योजना का उद्देश्य है। साथ ही अगर अकाल की स्थिति पैदा हो तो यह न हो सके कि लोग अनाज को जमा कर लें और फिर ऊंचे दामों पर बेंचे।

हम किसान की स्थिति को सुधारने के लिये ही यह कदम उठा रहे हैं। तो फिर आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं। विरोध आप इस कारण कर रहे हैं कि आप इस भ्रम में हैं कि इसका इम्पलीमेंटेशन नहीं होगा। इम्पलीमेंटेशन का जहां तक सवाल है, यह आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिये। यह काम हमारा है, हम करेंगे। नेगी साहब ने बोलते हुए कहा कि हम अधिग्रहण के खिलाफ नहीं हैं, मैं जानती हूं कि उनका दल इस योजना का विरोधी है। दूसरे राजनैतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। जनसंघ ने तो आज उसका एक अजीब उदाहरण भी यहां पेश किया। एक बहाना लेकर उनके नेता ने वाक आउट किया। वे भी आज यह दिखाना चाहते हैं कि उनकी हमदर्दी भी किसानों के साथ है। वे यह आश्वासन चाहते थे कि कीमतें बढ़ेंगी या नहीं। वे हमदर्दी किसानों के लिये दिखाना चाहते थे। जब कि वे इस थोक व्यापार के खिलाफ हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, आज प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गयी है कि जब कि हमें एक संतुलित तरीके से काम करना है और एक दूसरे से सहयोग करके काम करना है। मैं आशा करती हूं कि जब जनता के चुने हुये प्रतिनिधि जनता के बीच में जायेंगे तो वास्तविकता को स्वीकार करेंगे। सरकार ने यह सही कदम उठाया है। इसी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। इसी से किसानों का लाभ होगा। जनता को भी लाभ होगा।

आपने अभी देखा कि सरकार ने गरीबों के इस्तेमाल का जो मोटा कपड़ा था उसको भी सस्ते भाव पर बेंचने की व्यवस्था की। आज गरीबों को सस्ते भाव पर जो कपड़ा मिल रहा है उससे भी उनको राहत पहुंची है। यह व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है।

साथ ही साथ आज बहुत दिनों से बुनकरों की समस्या थी। उनको सूत नहीं मिलता था जिस नम्बर का उन्हें सूत चाहिये था वह मिल वाले न बनाकर दूसरा बनाते थे यानी मिल वाले उनको सूत बनाकर नहीं देते थे। इस प्रकार से हजारों मजदूर बेकार हो जाया करते थे। अतः अब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मिलों से सही नम्बर का सूत लेकर उसे तैयार करा कर आवश्यकतानुसार जिससे वह उनको दिया जाये। तो यह सारे का सारा हमारा काम है कि जो जनता की एशेंशियल कमोडिटीज हैं वे सामग्री हैं जिन पर उसका जीवन निर्भर करता है, वे उसको सुविधापूर्वक उपलब्ध कराई जायें। यह उसी दिशा में उठाया जाने वाला एक कदम है और जिसकी तरफ हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है, सक्रिय है और उसको कर रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आपने गेहूं के दाम तो 76 रुपये क्विंटल के निर्धारित कर दिये हैं, किन्तु गेहूं के उत्पादन के लिये जो आवश्यक सामान—खाद, बीज पानी और बिजली आदि हैं उनके दाम आपने क्यों नहीं निश्चित किये हैं, उनके दाम आपने क्यों नहीं घटाये हैं? क्या आप उन्हें भी कम करेंगे?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

जिस मुख्य मंत्री के ऊपर आपका विश्वास नहीं रहा उस पर हम कैसे विश्वास करें? (व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं—आज जो बजट प्रस्तुत है, जो अनुदान उपस्थित है और उसको उपस्थित करते हुए खाद्य मंत्री जी ने जिस थोक व्यापार के बारे में कहा है उसमें मैं एक समाजवादी दिशा में एक ठोस और मजबूत कदम समझती हूं। क्रांतिकारी-कदम

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

समझती हूं और इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं और इस अनुदान का समर्थन करती हूं ।

(श्री राजित राम पांडेय के कुछ कहने पर)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

[* * * * *]

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

[* * * *]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

[* * * * *]

(व्यवधान)

श्री राजितराम पांडेय---

[* * * * *]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

[* * * * *]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मैं कह रहा हूं कि इस तरह की बात न हो लेकिन आप सुन नहीं रहे । यह जो कुछ कहा गया है यह प्रोसीडिंग का अंग नहीं बनेगा ।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं प्रारम्भ में ही एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जिससे यदि कहीं कोई भ्रम हो तो दूर हो जाये । मैं गल्ले के व्यापार में सरकार द्वारा अधिग्रहण में यह तो विश्वास नहीं करता कि इससे किसी का कोई भला होने वाला है फिर भी मैं उसका विरोध नहीं करता हूं । विरोध सिर्फ इसलिये नहीं करता हूं कि इनको अपना एक्सपेरीमेंट कर लेने दिया जाए और वह नतीजा जल्दी निकलने वाला है । श्रीमन्, इसके पहले मैं और कुछ कहूं सत्तारूढ़ दल के प्रमुख व्यक्तियों ने जो गलत बयानी की है उसका मैं खंडन करना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[***] श्री अधिष्ठाता की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने अपने लखनऊ के भाषण में कि इस गल्ले के अधिग्रहण से सिवा थोक व्यापारियों को छोड़ कर किसी को हानि नहीं होगी । फुटकर बिक्रेता, किसान और छोटे-छोटे लोग जो गल्ले के व्यापार में लगे हुए हैं किसी को हानि नहीं होगी । श्रीमन, औरों की तरफ से बोलने का दम मैं नहीं रखता लेकिन जहां तक किसानों का प्रश्न है मैं कहना चाहता हूं कि इस सारी योजना का एकमात्र उद्देश्य है किसानों को घेरा डाल कर, उनकी उपजाई हुई वस्तु को कम कीमत पर वसूल करना । (शेम-शेम) प्रधान मंत्री के बाद मुख्य मंत्री की बारी आती है ।

मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया कि सब चीजों के भाव गल्ले के भाव पर निर्भर करते हैं । गल्ले का भाव जब गिर जायगा तो और चीजों का भाव भी गिर जायगा । वही बात जो एक पुस्तिका वितरित हुई है उसमें भी कही गयी है । मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं "गेहूं समस्त उपभोक्ता सामग्री के मूल्यों का मूलाधार है । गेहूं मंहगा है । इस लिये दूसरी चीजें भी मंहगी हैं । गेहूं का भाव स्थिर होने से और चीजों का भाव भी स्थिर होगा ।" मैं पूछना चाहता हूं कि गेहूं अगर सस्ता मिलेगा तो क्या सीमेंट सस्ती मिलेगी, लोहे के औजार सस्ते मिलेंगे उर्वरक सस्ता मिलेगा, ट्रैक्टर सस्ता मिलेगा, बिजली सस्ती मिलेगी, आपके स्टेट ट्यूबवेल्स से पानी सस्ता मिलेगा । अगर "हां" कह दें तो अभी बैठ जाने के लिये तैयार हूं ।

श्री बेनी सिंह––

अभी तक सब चीजें सस्ती हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)––

आप बड़े भ्रम में हैं । आपने गलत बात कह दी । ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर कोई बैठा हो और उसको इसकी जानकारी न हो बहुत बड़े अफसोस की बात है । मैं आपके सामने आंकड़े उपस्थित करना चाहता हूं । जब-जब अनाज के भाव बढ़े हैं तब-तब दूसरी चीजों के भाव बढ़े हैं । लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, एक बार भी साबित नहीं कर सकते पिछले दस साल के आंकड़ों से कि कृषि के अनाज का भाव जब गिरा है तो और चीजों के मूल्य भी गिरे हैं । दस साल के प्राइस इंडेक्सेज हैं उनसे मालूम होता है कि अनाज के मूल्यों में कई बार उतार चढ़ाव आया लेकिन दूसरी वस्तुओं के मूल्य में चढ़ाव ही होता गया, उतार कभी नहीं आया (व्यवधान) ।

स्थिरता आप लाने में पूर्णतया असमर्थ रहेंगे । 1967–68, 1968–69, 1969–70 में कृषि वस्तुओं के मूल्य बराबर गिरते चले गये । 207 से 196, 196 से 195 हुए । कृषि से भिन्न वस्तुओं के मूल्य उन्हीं तीन वर्षों में निरन्तर बढ़ते चले गये ।

श्री अधिष्ठाता––

कौन से वर्ष ?

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)––

1967–68, 1968–69, 1969–70 – कृषि वस्तुओं के मूल्य गिरते चले गये, । दूसरी वस्तुओं के मूल्य बढ़ते चले गये । यह कहना कि कृषि वस्तुओं के मूल्यों पर दूसरी चीजों के मूल्य निर्भर हैं नितांत भ्रामक बात है । केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिये कही जाती हैं । इसका कोई प्रमाण नहीं है। (व्यवधान) यह ऐनुअल नम्बर है । किसी पुस्तिका में प्राइस इंडेक्सेज देख सकते हैं । यह बात आपको नहीं मालूम है कि प्राइस इंडेक्स सभी इकानामिक पत्रिकाओं में छपते हैं । यह "कामर्स" है । आपकी बुद्धि पर तरस आता है । क्या यह पत्रिका दूसरे आंकड़े छापती हैं ?

[श्री भानु प्रताप सिंह]

श्रीमन्, तीसरी बात मैंने प्रधान मंत्री की कही । मुख्य मंत्री की बात कही और अब खाद्य मंत्री की बात कहना चाहता हूं । 31 तारीख को अपनी योजना को चालू करते समय खाद्य मंत्री ने आल इंडिया रेडियो से अपना भाषण प्रसारित करते हुए कहा कि हम किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती किसानों पर नहीं करेंगे ।

मुझे पुरानी बात याद आ गयी । जब मैं विद्यार्थी था तो एक पुस्तक में पढ़ा कुछ ऐसे बौद्ध हैं जो मांस खाते हैं दूसरे देशों में यद्यपि उनके धर्म में हिंसा वर्जित है । जब उनको किसी जानवर का मांस खाना होता है तो वे उसकी नाक तथा मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं जिससे वह मर जाता है और फिर वह कहते हैं कि यह मर गया लिहाजा इसके खाने में हमारा धर्म बाधक नहीं है ।

इसी तरह से आपका वक्तव्य यह हुआ कि किसानों पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी लेकिन आपने उनको इतना जकड़ने की कोशिश की है कि उस जकड़न के आधार पर आप यह दावा करते हैं कि कीमतें गिरेंगी । आपने किसानों का घेराव कर दिया और इस प्रकार एक किसान अपने घर से नियरेस्ट परचेजिंग सेंटर के अलावा अपना अनाज और कहीं नहीं ले जा सकता । अगर मेरी बात गलत हो तो माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण कर दें क्या भानु प्रताप सिंह अपने फार्म से एक ट्रक गेहूं ले कर 42 मील दूर बस्ती ले जा कर बेच सकते हैं ?

श्री बेनी सिंह—

आप अपना ट्रक किसी भी मंडी में ले जा कर बेंच सकते हैं । किसान जिस समय चाहे ले जा सकता है और जहां चाहे प्रदेश में ले जा सकता है । गल्ला ले जाने के लिये कोई रोक नहीं है । वह मंडी में ले जा कर उसे बेंच सकता है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

अगर उस दिन न बेंच सकें तो कहीं रख सकता है ?

श्री बेनी सिंह—

तो सरकार खरीद लेगी । किसान उसे थोक में नहीं बेंच सकेगा । थोक में हम खरीदेंगे । कंज्यूमर को वह बेंच सकता है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

10 कुंटल से ज्यादा वह बेंचना चाहे तो नहीं बेंच सकता । यह बंदिश आपने राज्य में लगाई और फिर उत्तर प्रदेश को भी दो टुकड़ों में बांटा । मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन सी कमोडिटी है जिसकी कीमत इस तरह से नहीं घटाई जा सकती ? जो मारुति कार हरियाना में बनती है यह नियम लागू कर दिया जाय कि मारुति कार हरियाना से बाहर नहीं जा सकती तो क्या वह 6 हजार में ही बिकना शुरू हो जायगी ? मेरा कहना तो यहां तक है कि कारखाना ही बन्द हो जायगा । आप इस तरह का जकड़ने वाला कानून बनाते हैं और फिर कहते हैं कि किसान के साथ बेइंसाफी नहीं होगी ।

जैसा मैंने पहले कहा मैं तो किसी योजना का विरोध नहीं करता और इससे मुझे कोई सरोकार भी नहीं है कि व्यापारी खरीदता है अथवा मंत्री जी के एजेंट खरीदते हैं । मैं तो चाहता हूं कि किसान को उचित मूल्य मिले । मैं यह जानना चाहूंगा कि वे कौन से आधार हैं जिन पर आपने 76 रुपये कुंटल का भाव निश्चित किया और पिछले 5 वर्षों से यही भाव है ।

सरकार कहती है कि एग्रिकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने यह कीमत मुकर्रर की है । मैं कमीशन के विषय में अपने अनुभव सदन के सामने रखना चाहता हूं जिससे सभी सदस्य जान लें कि किस तरह से एग्रिकल्चरल प्राइसेज कमीशन काम कर रहा है । मैं पिछली बार

दिल्ली गया तो कमीशन के दफ्तर भी गया और इस उद्देश्य से गया कि यह जान सकूं कि किन आधारों पर वह मूल्य निश्चित करता है । मैं किसी को जानता तो था नहीं । मैं एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर के पास गया और उनसे पूछा कि आपने गेहूं की प्राइसेज किस आधार पर निश्चित की है तो उन्होंने अंग्रेजी में उत्तर दिया "फ्रेंकली स्पीकिंग दो आई ऐम वर्किंग फार मोर देन सिक्स ईयर्स आई डुनाट नो व्हाट इज दी क्राइटेरिया फार फिक्सिंग दी प्राइसेज।'

मैं इसकी हिन्दी किये देता हूं । उन्होंने कहा कि यद्यपि मैं इस विभाग में 6 वर्षों से काम कर रहा हूं फिर भी ईमानदारी से कहता हूं कि मैं यह नहीं जानता हूं कि किन तथ्यों के आधार पर यह कीमत निश्चित की गई है । उन्होंने फिर थोड़ा अपने को सम्हाला और कहा कि मैं तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर हूं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता हूं इसलिये आप डाइरेक्टर से मिल लीजिये । उसके बाद वे मुझे डाइरेक्टर के पास ले गये । मैंने उनसे वही सवाल किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत से आधार हैं। फिर मैंने पूछा कि बहुत से कौन-कौन से आधार हैं ? सन् 1968–69 से वही परिस्थितियां हैं तो इनके मूल्य भी समान ही होने चाहिये । मुझे उनके उत्तर से बड़ा आश्चर्य हुआ और सारे सदन को आश्चर्य होगा कि डाइरेक्टर महोदया, वहां पर एक श्रीमती जी हैं, ने कहा कि आपका तथ्य ही गलत है कि आपके यहां 5/6 वर्षों से मूल्य एक जैसे हैं । मैंने कहा आप आंकड़े देख लीजिये । उन्होंने कुर्सी से बैठे हुए ही घंटी बजाकर पी0 ए0 को बुलाया और यहां के आंकड़े मंगवाये और देखा कि वास्तव में मूल्य एक ही जैसे थे । तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस विभाग के डाइरेक्टर को यह बात मालूम नहीं है वह विभाग इस देश की गांवों में रहने वाली 80 फीसदी जनता के भाग्य का निर्णय करती है और उसे इम्प्लीमेंट करती है। यह बड़े अफसोस की बात है । एक भी व्यक्ति वहां ऐसा नहीं है जिसको कोई जानकारी हो···

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

शेम, शेम·····(व्यवधान)

श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

आप 25 वर्ष सरकार में रहे हैं । आप चुप रहें । अधिष्ठाता महोदय, हम भी इनको सबक सिखा सकते हैं····(घोर व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

आपने कार्यक्रम ही ऐसा बनाया है····

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शांत रहें····

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाते हुये सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस गम्भीर मसले पर अच्छी तरह से विचार कर ले और मेरी बात को सुनें ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या यह सही नहीं है कि कमीशन के अन्दर एक किसान भी है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)—

वह नहीं है, किसान को जानकारी भी नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

एक पद्मश्री, एस० पी० पांडिया उसमें हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय ने एक व्यक्ति का नाम लिया कि वह किसान उस कमीशन में है । उस कमीशन में एक पैनल होता है और उसकी एक एडवाइजरी बाडी होती है उसमें ये पांडिया जी हैं । जो रिपोर्ट एग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन की है उसमें इन्होंने अपना एक नोट आफ डिसेंट दिया है । मैं आपको यह किताब दे दूंगा । उसमें यह दिया हुआ है कि उन्होंने उस रिपोर्ट से असहमति प्रकट की है ।

तो उसके बाद मैंने डाइरेक्टर महोदया से कहा कि वे अपनी एक रिपोर्ट मुझे दे दें । उन्होंने जवाब दिया कि यह तो कांफिडेंशियल है । यह तो केवल सरकार को भेजी जाती है । मैंने कहा कि आपके कास्ट आफ प्रोडक्शन की फीगर्स कहां से आती हैं ? उन्होंने कहा इकनोमिक एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से आती है जो कि एग्रिकल्चरल से मंगाई जाती है । मैं वहां भी चला गया । वहां पर जो डिप्टी डाइरक्टर थे उनसे मिला और उनसे निवेदन किया कि आप कास्ट आफ प्रोडक्शन के फिगर्स दे दीजिये । उन्होंने कहा कि वह तो बिलकुल कांफीडेंशल है और आपको नहीं मिल सकता । वह तो सिर्फ ऐग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के इजाजत से ही किसी को मिल सकती है । तो एक तरफ तो डाइरेक्टर लोग एकनामिक स्टैटिस्टिक्स पर परदे के पीछे निर्णय लेते हैं और उनमें यह साहस नहीं है कि वे अपने फाइनेंशल आंकड़ों को पब्लिक के सामने रखें और उस पर इसीलिये हम किसानों को कतई विश्वास नहीं हो सकता ।

श्रीमन्, जब मैं कहता हूं कि आप मूल्यों के विषय में निर्णय लीजिये । मैं 130, 140 और 150 रुपये क्विंटल की बात नहीं कहता, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता बल्कि मैं तो इस बात का हिमायती हूं कि कृषि वस्तुओं के मूल्य दूसरी वस्तुओं के मूल्य से समता के आधार पर होना चाहिये । जिस अनुपात से दूसरी चीजों के मूल्य बढ़ें उसी अनुपात से कृषि वस्तुओं के मूल्य भी बढाये जावें । मैं अपनी तरफ से नहीं कहता । यदि आपको समता का सिद्धांत स्वीकार है तो आप देखिये कि सन् 1957–58 में गेहूं का भाव था 47.31 रुपये क्विंटल और यदि उसकी तुलना में यदि उसको सौ मान लिया जाय तो किसान को जो आज कीमत अदा करनी पड़ती है वह 247 रुपये है । यानी ढाई गुनी है । यह आंकड़े आपकी पुस्तक से हैं । इसके पृष्ठ 165 पर ये आंकड़े हैं कि किसानों को जो कीमतें देनी पड़ती हैं उसका सूचकांक आज 247 है यानी ढाई गुना कीमतें बढ़ गयी हैं जो किसानों को अदा करनी पड़ती हैं । 43 पर अगर सौ माना था तो 247 पर कितना माना जाय यह यदि आप गणित जानते हैं तो लगभग 105 रुपये आयेगा । मैं यह भी नहीं कहता ।

मैं यह सिद्ध नहीं करता कि आप 105 रुपया ही दें लेकिन हम एक सुझाव देते हैं कि आप विशेषज्ञों की एक कमेटी बनावें जिसमें वाइस चांसलर, लुधियाना यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, पंतनगर यूनिवर्सिटी, कृषि विभाग के सेक्रेटरी, पंजाब, हरियाणा और यू०पी० के यह पांच व्यक्ति बैठें जो भी यह निर्णय दे दें वह किसान मंजूर कर लेगा । यह पांचों आपके अधिकारी हैं, इनको तनख्वाह हम नहीं देते हैं लेकिन हमको इन पर भरोसा है क्योंकि ये कृषि के व्यवसाय को जानते हैं और वे सही निर्णय देंगे । लेकिन आपमें साहस नहीं है कि आप इस पंचमंडल का फैसला स्वीकार कर सकें । क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हैं ? क्यों उनकी बात को स्वीकार करना चाहते हैं जिसको कृषि का ज्ञान नहीं है ?

आपमें अपनी बात को रखने का साहस नहीं है और आप उस रिपोर्ट को पब्लिश भी नहीं करना चाहते हैं तो यह बात सिद्ध है कि इस सरकार के निर्णयों को लोग लागू करने के लिये कवर हैं, फकेड हैं, बहाना मात्र हैं । अगर आप चाहते हैं कि आपकी योजना सफल हो तो आपको किसानों को संतुष्ट करना पड़ेगा और उनके साथ इंसाफ करना पड़ेगा ।

श्रीमन्, कोई भी वस्तु हमारे मंत्री जी खरीदते हैं, अगर हव 40 या 50 पैसे की हंड़िया खरीदते ह तो उसके लिये पूछेंगे कि कितनी कीमत उसकी लगी होगी लेकिन आज भारत सरकार ने अनाड़ी लोगों को बैठा रखा है जिन्होंने यह निर्णय किया है कि 6 करोड़ रुपये का गेहूं किसानों से खरीदा जायगा । क्या आपने किसी किसान से पूछा, क्या किसी किसान संगठन से पूछा, किसी कृषि विशेषज्ञ से पूछा कि तुमको इसमें क्या फायदा होता है ? तुम्हारा कितना कास्ट पड़ा है । सिर्फ अपने मनमाने ढंग से, अन्यायपूर्ण ढंग से उस मूल्य का निश्चय किया जिसका संबंध आज अन्य वस्तुओं के मूल्य से नहीं है ।

और तो और, वह चीजें जो सरकार स्वयं सप्लाई करती है,जो सरकार की एजेंसियों द्वारा किसानों को मिलते हैं उनके भी आंकड़े आप देखिये । सन् 1966 में एक जेटर ट्रेक्टर 13,447 रुपये का मिलता था आज उसी का दाम 25,165 रुपये है यानी 87% वृद्धि हुई ह । जो बिजली आप देते ह उसको बिलकुल 5 हार्स पावर मुकर्रर करें और 1 हजार घंटे चलाने के लिये साल भर में किसान को साढे चार सौ रुपये देनेपड़ते थे अब उसी पांच हास पावर द्वारा 1 हजार घंटे चलाने के लिये 855 रुपये देने पड़ते हैं यानी 90 परसेंट की वृद्धि हुई । यह आपकी सरकार ने किया है । यूरिया खाद जो 680 रुपये प्रति टन मिला करती थी अब 959 रुपये टन मिलती है यानी लगभग 50 प्रतिशत इजाफा हुआ और पानी जो नलकूपों से दिया जाता है आज से पांच छः वर्ष पहले वह एक रुपये में 16 हजार गैलन होती थी और अब 1 रुपये में 6 हजार गेलन मिलता है यानी 167 फीसदी की बढ़ोत्तरी पानी की सप्लाई में हुई । आज सरकार ने स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत वस्तुयें जो वह किसानों को देती है, उनकी कीमत बड़ी अन्धाधुन्धी के साथ बढ़ायी, फिर सरकार को क्या हक है कि वह अपने मनमाने कीमत पर किसानों का गल्ला खरीदें ? (व्यवधान)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)––

खेतिहर मजदूरों के बारे में भी बतलाइये।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)––

जिनकी आप पैरवी करते हैं उनका जरा भी हित नहीं होने वाला है । आपकी सारी योजना शहर के लोगों के लिये है । हमारे राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे प्रश्न किया गया कि सस्ते गल्ले की दूकानें शहरों के मुकाबले देहाती क्षेत्रों में आबादी के अनुपात से रखेंगे तो उन्होंने कहा कि सिद्धांत रूप से तो आपकी बात सही है लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है । अगर आप सचमुच देहात के किसान व खेतिहर मजदूरों का भला करना चाहते हैं तो मेरी आवाज में आवाज मिलाइये कि जो भी गल्ला खरीदा जाय उसका 50 प्रतिशत गांव के गरीबों के हित के लिये ही रखा जाय । क्या आपमें साहस है और इस बात को सरकार से कहने के लिये तैयार हैं ?

श्रीमन्, अब कीमतें कैसे बढ़ी हैं, यह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । आखिर जो उत्पादन व्यय है उनका दूसरी वस्तुओं के मूल्य से कैसे तुलना की जाय । मैं इस बात का हिमायती नहीं हूं कि उत्पादन व्यय के ऊपर कृषि वस्तुओं का मूल्य निश्चित किया जा सकता है । मैं यह भी नहीं मानता और उसका कारण यह है कि उत्पादन व्यय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक वर्ष से दूसरे वर्ष और एक वेराइटी से दूसरी वेराइटी में भिन्न–भिन्न होता है । एक किसान से दूसरे किसान का उत्पादन व्यय भी भिन्न–भिन्न हो सकता है। इस तरह से एग्रीकल्चर में मूल्य निर्धारित करने का आधार उत्पादन व्यय नहीं हो सकता है ।

दूसरी बात यह है कि मैं शहर के नेताओं से और शहर के शासकों से कहना चाहता हूं कि आप कह सकते हैं कि 10–15 परसेंट मुनाफा बहुत काफी होता है । यह सही बात है कि इंडस्ट्रीज में 10–15 परसेंट मुनाफा हो जाय तो बड़ा संतोष हो जाय लेकिन कृषि में 10–

[श्री भानु प्रताप सिंह]

15 परसेंट मुनाफे पर कोई मिट्टी में रुपया डालने की बात करे तो वह काम नहीं हो सकता है आपका उत्पादन यूनिट 5,4 और 3 एकड़ का है और अगर उसमें लाभ का अंश 10–15 परसेंट हो तो फिर 90–95 प्रतिशत किसानों का जीवन स्तर कभी भी उठ नहीं सकता है।

दूसरी बात यह भी है कि इस साल खरीफ की फसल का नुकसान हुआ, जिन किसानों ने धान, मक्का भी बोया था उनको भी नुकसान उठाना पड़ा। इस वर्ष विशेष रूप से यह उचित था कि रबी का मूल्य बढा देते जिससे वह कमी पूरी की जा सकती। आप जब फसल में रुपया लगाते है और उसका 10–15 परसेंट ही मुनाफा देंगे तो आखिर कहां से वह पूरा हो। बावजूद इसके कि जो आपकी व्यवस्था है वह तरीका ठीक नहीं है। फिर भी मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शासन के कृषि फार्म्स जो सारे सूबे में फैले हुए हैं उन पर उत्पादन व्यय 73 रुपये 3 पैसे प्रति क्विंटल आया है पिछले वर्ष। पंत नगर यूनिवर्सिटी के अनुसार उत्पादन व्यय 70 रुपये से 2–4 पैसे कम है और इस तरह से मार्जिन ज्यादा से ज्यादा 6 रुपये है। मैं पूछता हूं कि इस सदन में कोई महानुभाव ऐसे हैं, जो मिट्टी में 70 रुपये लगा कर उस पर 6 महीने बाद 76 रुपये लेने को तैयार हों। आप गोरखपुर और देवरिया वाले किसानों से पूछें जहां पायरिला आदि कीड़े फसल में लग गये और फसल का काफी नुकसान हुआ है ....

एक मेरी थैली यहां अभी गिर गई थी, अभी मेरे पास के माननीय सदस्य ने उसे उठाकर मेरे सामने रख दिया है उससे मुझे एक और बात याद आ गई। मैं कृषि उपज आयोग की एक बुद्धिमानी का नमूना आप के सामने पेश करूंगा और आप की अनुमति से यह 2 नमूने गेहूं के सदन के पटल पर रखूंगा। अभी कहा गया कि अच्छे किस्म के कुछ गेहुओं की कीमत बढ़ाई गई है। उन किस्मों में एक किस्म यू0पी0 301 भी है। मैं नहीं जानता कि किन बुद्धिमान लोगो ने, अगर किसी को जरा भी खेती का ज्ञान होता तो उन लोगों को मालूम होना चाहिये था कि इस 301 से सोनालिका और दूसरी किस्में कहीं बेहतर हैं, उन को तो 76 पर खरीदा जायगा और इस 301 किस्म को 82 पर खरीदा जायगा जिस को देख कर कोई भी कह सकता है कि वह इतने भाव का गेहूं नहीं हो सकता।

(नमूने के लिये दोनों किस्म के गेहूं की थैली मंत्री जी के पास पहुंचायी गई।)

आप देख लें और खुद ही कह दें कि कौन सी किस्म का गेहूं अच्छा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने मुझे इतना समय देकर बड़ी कृपा की है। केवल एक बात मुझे और कहनी है और वह कि जितने चिन्तित आप हैं मैं उससे कम चिन्तित नहीं हूं लेकिन मुझे शिकायत है कि इनकी गलतियों से स्थिति बिगड़ रही है और अभी और बिगड़ेगी। मैं इन को आज चेतावनी दूंगा कि जब यह हरितक्रांति की बात करते थे तो उस वक्त भी मैं ने बार बार कहा था कि आप धोखे में न रहिये और मैं फिर चेतावनी दूंगा, किसी तरह की कोई घबराहट पैदा करने के लिये नहीं बल्कि तथ्यों को स्वीकार करने के लिये, कि बहुत बड़ा अन्न संकट आप के सामने आने वाला है आने वाले महीनों में। पिछले सालों से कहीं कठिन स्थिति आने वाली है। इसे मैं आंकड़ों से सिद्ध करूंगा।

पिछले वर्ष कुल खाद्यान्न का उत्पादन जो हुआ था उसके मुकाबले में इस साल 50 लाख टन कम हुआ हैं। जबकि इसी अवधि में आबादी 1 करोड़ 30 लाख बढ़ गई। आप की योजना पूर्ण रूप से सफल हो फिर भी सितम्बर से देश में भुखमरी बढ़ेगी जब तक कि आप विदेशों से गल्ला न मंगायें। आप के पास इस समय 20 लाख टन बफर स्टाक में है, 15 लाख टन बिदेशों से आयेगा। मुझे तो आशा नहीं है लेकिन अप कहते हैं और आप शतप्रतिशत सफलता मिली भी तो कुल मिलाकर आप को 80 लाख टन गल्ला मिल जायगा। इस तरह से यह सब मिलाकर 1 करोड़ 15 लाख टन हो जायगा। दूसरी तरफ जो वितरण के कमिटमेंट्स जनता के लिये आप के पहले थे उससे आपने स्वयं अधिक बढ़ा दिये हैं।

सारा व्यापार आपने अपने हाथ में लिया है तो अब आप की जिम्मेदारी है कि सब जगह 2 ढाई मिलियन टन प्रतिमास का बन्दोबस्त करें जबकि पहले आप की जिम्मेदारी केवल डेढ़-2 मिलियन टन की ही थी। 5 मास में यह सारा गल्ला जो आप इकट्ठा कर पायेंगे, मुझे तो आशा नहीं है कि आप कर पायेंगे लेकिन अगर कर भी पाये तो वह सब समाप्त हो जायगा। तो यह बात नहीं है कि हम चिन्तित नहीं हैं। हम उतने ही चिन्तित हैं जितने आप हैं बल्कि उससे भी ज्यादा हैं। आप वास्तविकता तो स्वीकार नहीं करते हैं, आप बेखबर हैं। सबसे ज्यादा बुद्धिमता का आपका कदम होता यदि आप किसानों को उचित दाम देते।

आप एक ही बार से किसानों को और व्यापारियों का सफाया कर देना चाहते हैं। यदि मारना ही था तो बारी बारी से मारते। मैं किसी विशेष दल का नहीं हूं और न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस जनता की दुहाई माननीया बाजपेयी जी ने दी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी नजर में क्या जनता वही है, जो 10–12 फीसदी शहरों में बसती है। आप, 2–4 बड़े किसानों को छोड़कर, छोटे-छोटे ही किसानों से गल्ला लेंगे। आज शहरों में रहने वाले व्यक्तियों की आय गांव वालों से 5 गुनी है। इनके लिये आप गरीबों से गल्ला वसूल कर रहे हैं, क्या वे जनता नहीं हैं। उनको दूसरी चीजें खरीदनी नहीं पड़ती है।

1969–70 के भाव पर आप किसानों को पानी, खाद, ट्रैक्टर और बिजली दें तो हम गेहूं 76 रुपये पर देने को तैयार हैं और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो, कानूनी हक तो आपको प्राप्त है, लेकिन आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब मैं कह रहा था कि किसानों को गल्ला रोकना चाहिये जब तक मूल्यों के विषय में इन्स फ न हो सरकार द्वारा, तो एक महाशय ने कहा कि यह तो आप राष्ट्रीय वक्तव्य दे रहे हैं। मैंने आज पूछा कि अराष्ट्रीय कौन है। क्या सारी जनता केवल शहरों में बसती है? क्या 76 रुपये पर आप को गेहूं देकर किसान कभी खुशहाल हो सकता है। आपको उनकी चिन्ता नहीं ह। आज तो जो लोग हड़ताल करते हैं। उनको सुन लेते हैं। इंजीनियरों ने आपको धूल चटा दी। आज जो लोग हड़ताल करते हैं उनकी बात मान ली जाती है लेकिन किसान संगठित नहीं है तो उनकी तर्कसंगत बात को भी आप सुनने के लिय तैयार नहीं हैं।

हमारी माननीया बाजपेयीजी ने कहा था कि यह बड़ा ठोस और मजबूत और बड़ा क्रांतिकारी कदम है। उस कदम का आप नतीजा देख लीजिये? 31 तारीख को आपने बड़ी शान बान के साथ कुछ आदेश निकाले थे। हफ्तों पहले से निकाले जाते रह हैं कि कोई गेहूं 86 रुपये से अधिक दाम पर नहीं बेंच सकता है। पहली तारीख से यह योजना लागू हुयी और पहले 110 या 105 पर गेहू बिक रहा था लेकिन आज जो मैं खाना खा कर आया हूं वह गेहू 140 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से लिया गया। यह आपने लखनऊ वासियों को वरदान दिया कि एक दिन में ही 15-20 रुपये का फर्क पड़ गया।

अब रहा आपके आदेशों की बाबत, मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, आपके ही समाचार पत्र "स्वतंत्र भारत" दिनांक 4 अप्रैल में छपा है कि जो शानदार हुक्म निकाला गया था उसका क्या हुआ। उसमें लिखा है कि केवल एक फुटकर विक्रेता को 10 कुंटल तक ही गेहूं को लाने की छूट है जबकि पता चला कि कल उससे अधिक गेहूं लाते हुए व्यापारी को भी जब पुलिस द्वारा पकड़ा गया तो उसे छुड़वा दिया गया। जिला अधिकारी ने आज यह भी रियायत दे दी कि कई फुटकर व्यापारी एक साथ अपना गेहूं ला सकते हैं।

सुल्तानपुर मंडी से, जफराबाद मंडी से भी गेहूं लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको शर्म नहीं आती कि जिन आदेशों को आपन 3 दिन पहले निकाला था, उन आदेशों को आज वापस लेना पड़ा है। आपकी सरकार को कोई कदम उठाने के पहले सोच-विचार कर काम करना

[श्री भानु प्रताप सिंह]

चाहिये । आप एक कानून बनाते हैं और दूसरे दिन वापस ले लेते हैं । इससे जनता का विश्वास उनसे खतम हो जायेगा । श्रीमन, आप हमें चाहें देश-द्रोही कहें, चाहे जो कह लें, मैं यह आज साफ कह देना चाहता हूं कि जितनी मुझमें शक्ति है शारीरिक और नैतिक मैं आपकी योजना को विफल बनाने में तब तक लगा रहूंगा, जब तक कि आप किसानों से मूल्य के विषय में सौदा नहीं करेंगे और मैं उस सौदे के बात को अपनी जिद नहीं कहता । अगर आपमें नैतिक साहस है तो किसी भी विशेषज्ञ मंडल का या ट्रबुनल के सामने उसे पेश करें । आप इस बात को मानते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी का हक पोलिटिकल काम करने वालों को है । क्या किसानों को सामूहिक सौदेबाजी का हक नहीं है जब वे इस तरह की बात करते हैं कि जो चीज वे पैदा करते हैं, उसका उचित मूल्य उन्हें दिया जाय, तो आप उन्हें देशद्रोही कहते हैं ।

मैं कहता हूं कि देश-द्रोही वे नहीं, आपकी सरकार है, इंदिरा गांधी हैं, जोकि ऐसी परिस्थितियां देश में उत्पन्न कर रही हैं कि आज एक साधारण आदमी को 140 क्विंटल में गेहू मिल रहा है, जबकि वह उसे 100 रु0 म मिल सकता था । आप इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि लोग गहूं बोना बन्द कर देंगे । मैं आपके ही दल के एक सज्जन की बात कहता हूं । उन्होंने मुझ से कहा कि अगले साल तो मैं गेहू नहीं जौ बोऊंगा। मान्यवर, आज देश-द्रोही होने का आरोप उन लोगों पर है, जो देश की आर्थिक व्यवस्था को बेकार कर रहे हैं, देश-द्रोही होने का आरोप इंदिरा गांधी पर है, आपकी सरकार पर है । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मान्यवर, भानु बाबू न बड़ी जोशीली तकरीर कह डाली आखिर में और इसमें दो राय नहीं है कि भानु बाबू ने जितनी मजबूती के साथ अपनी बात की वकालत की, उसका कोई जवाब नहीं है । मगर उन्होंने केवल 5 फीसदी किसानों की बात की और मान्यवर मैं बतलाना चाहता हूं कि भानु बाबू उन्हीं 5 फीसदी में आते हैं । मैं भी मान्यवर, उसमें आता हूं । तो इस तरह से, एक तरह से आपने मेरी भी वकालत की । लेकिन सवाल जो उठाया है, भानु बाबू ने, इसकी बेस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है ?

मान्यवर, इसकी बुनियाद यह नहीं है कि 5 प्रतिशत किसानों को क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है । इस सारी स्कीम की बुनियाद तीन चीजों पर है । 95 प्रतिशत किसान, जिनका एक्सप्लायटशन अप्रैल, मई और जून, इन तीन महीनों के अन्दर, ये जो थोक व्यापारी हैं, करते थे, इस स्कीम की पहली बात यह है कि उनका शोषण न हो ।

इसकी दूसरी बुनियाद है कि समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति के लिये जिस तरीके से हमनें जमीनदारी खत्म की, जिस तरीके से बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, जिस तरीके से प्रीवी पर्सेस का एबालीशन किया गया, जिस तरीके से भूमि की सीमा बांधी गयी, उसी तरह से एक प्रोग्राम यह है कि थोक व्यापारियों को बीच में से हटा दिया जाय ।

इसकी तीसरी बुनियाद है कि मान्यवर, सावन-भादों के महीनों में वह 95 प्रतिशत किसान जो अप्रैल-मई-जून में अपना गल्ला बेंच देता है इन थोक व्यापारियों के हाथ उसका 40 प्रतिशत किसान इन सावन भादों के महीनों में कन्ज्यूमर बन जाता है और बाजार से गल्ला खरीद कर खाने लगता है । तो तीसरी बुनियाद है कि वह किसान जब गल्ला खरीदने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिये जाय, तो उसको 86 रु0 से ज्यादा मूल्य न देना पड़े और इन थोक व्यापारियों के हाथों से लुटने से बचाया जा सके । इन तीन बुनियादी बातों पर यह सारी स्कीम लागू की जा रही है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)––

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री रियासत हुसैन––

आप सुन लीजिये। भानु बाबू ने कीमतों का सवाल उठाया। यह सभी जानते हैं कि कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है। किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा होगा कि कम हो गया है। सरकार भी जानती है और बराबर कोशिश की और अब भी कोशिश कर रही है ताकि कुछ भाव बढ़कर किसानों को गल्ला मिले और इसमें वह सफल रही है। अगर किसानों को बढ़कर पैसा मिलता है तो क्या इसके माने यह होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम फेल हो गई। क्या किसानों को सरकार उस हालत पर छोड़े जैसा कि पिछले 2–3 सालों में हुआ जब कि बारिश होने पर थोक व्यापारियों ने 50 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से गल्ला खरीदा और अपने गोदामों में भरकर बाद में उसको 140 रु0 पर बेंचा ? क्या इसके लिये छोड़ दिया जाय।

आपने खुद फरमाया कि 70 रु0 कास्ट आती है तो 70 रु0 कास्ट आने के बाद भी 6 रु0 मुनाफे के मिले तो सही। और अगर यह प्रतिबन्ध न लगाया जाय तो वह दिन दूर नहीं थे पिछले साल की तरह कि 70 खर्च करने के बाद भी 60–65 रु0 प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं मिलता। आज की खबर आप उठा कर देख लें। पश्चिमी इलाके में जब कि कटाई शुरू नहीं हुई, बाज जगह पर अभी फसल को एक पानी की और आवश्यकता है, लेकिन हापुड़ की मंडी में 100 रु0 का भाव है। और जैसे जैसे पश्चिमी डिवीजन रोहेलखंड, मेरठ, आगरा, आदि स्थानों में कटाई होकर वहां बाजार में पूरी तरह से आने लगेगा तो अगर यह गवर्नमेंट की पालिसी 76 रु0 की न होती तो वही गेहूं 60–65 से ज्यादा नहीं बिकता···

श्री मोतीलाल देहलवी––

क्या आप अपनी पिछले तकरीरें पढ़ कर आये हैं ····

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन––

आपने यह जो नाम स्टेट ट्रेडिंग का दे दिया है, वह गल्ले की स्टेट ट्रेडिंग नहीं है। सरकार को इसके अन्दर मुनाफा नहीं कमाना––यह स्टेट परचेजिंग, स्टेट स्टोकिंग और स्टेट डिस्टीब्यूटिंग की पालिसी है···

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)––

भारत सरकार या आपके सरकार 76 के भाव से खरीदते हैं और 86 पर बेचती है। 26 रु0 उस पर अलग से चार्जेज आते हैं––यानि 102 में गेहूं पड़ा और 86 में बेंचकर 16 रु0 प्रति क्विंटल का घाटा सहा। 26 रु0 का खर्चा 35% आता है क्रय मूल्य का, तो इससे ज्यादा कौन सा वेस्ट-फुल डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम हो सकता है।

श्री रियासत हुसैन––

मान्यवर, सीधी-सी बात है कि जब पिछले साल के अन्दर यह देखा गया कि किसान का गल्ला 60–65 पर बिका....

श्री मोतीलाल देहलवी—

कुछ मालूम भी है....

श्री रियासत हुसैन—

क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी है और उसको अपनी जरूरियात—शादी ब्याह, कपड़ा के लिये, उसको अपनी फसल बेंचनी पड़ती है ताकि वह जरूरियात को पूरी कर सके, लकिन सावन और भादों के महीने में उसको खुद खरीद कर खाना पड़ता है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह खरीद कर अपन पास स्टाक करे ताकि वह उसी कीमत पर फिर से किसानों को बेच सक। किसानों को व्यापारियों के एक्सप्लायटेशन से, शासन से, जो अब तक होता रहा है, उससे बचा सके। सारी पालिसी इसके पीछे है। एक सवाल जो उठाया गया, जिसका मैं भी समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा हालांकि उनके प्रयास स कीमतें बढ़कर 82 होकर आई हैं जैसे—के—68, है 65 है 301 है अब अगर 301 उसमें शामिल कर दिया गया है तो क्या फर्क है 301 में और आर0 आर0 71, 227, 310, 553 में। यह सब गेहूं एक से हैं। 301 की कीमत बढ़ सकती है तो इन सारे गहुंओं की कीमत भी बढ़नी चाहिये। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें फिर प्रयास करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट और एग्रीकल्चरल कमीशन से कहना चाहिए कि जब 301 की कीमत उन्होंने बढ़ा दी तो इन सफेद वैराइटी के मैक्सीकन व्हीट की कीमत भी बढ़नी चाहिए। अब सवाल उठता है कि यह स्कीम विफल न हो जाय, नाकामयाब न हो जाय। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 31 तारीख को आर्डर हुआ और यह परेशानियां हुईं। उस आर्डर को तब्दील करना पड़ा। लेकिन भानु साहब अभी पता नहीं कि कितनी दफा आर्डर चेंज करने पड़ेंगे। सरकार ने यह रैवूलूशनरी कदम उठाया है तो इसको विफल बनाने के लिए सारा व्यापारी वर्ग और विरोधी दल तुले हुए हैं। जो कुछ हथकंडे अपना सकते हैं वह इस स्कीम को नाकामयाब करने के लिए अपनाये गये और आपने तो स्वयं कहा कि आप इस स्कीम को विफल करने में सारी ताकत लगा देंगे।

जब राजनैतिक दल इस पर तुले हुए हैं कि इस स्कीम को नाकामयाब करने के लिए जितने भी हथकंड वह अपना सकते हैं उन्हें अपनायेंगे तो माननीय मंत्री जी को वक्तन-फवक्तन आर्डर्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर माननीय मंत्री जी यह सोच कर चलें कि एक बार स्कीम चालू कर दी तो स्टाक कर लेंगे और कंज्युमर को दे देंगे तो मौजूदा वातावरण में आपको कामयाबी होने वाली नहीं है। आप को इस चीज को दखते हुए कि वह सारा व्यापारी तबका जिस पर इसका असर हो रहा है और सारी पार्टीज जो इस स्कीम को नाकामयाब करने पर तुली हैं वक्तन-फवक्तन कानून बनाने पड़ेंगे। अब जो मशीनरी है वह स्वयं इस बात की कोशिश में हैं कि यह स्कीम नाकामयाब हो जाय। मैं भी इससे सहमति प्रकट करता हूं। यह सही बात है कि मेरे यहां का जो डिप्टी रीजनल मार्केटिंग अफसर है, जिसके बारे में मैं मंत्री जी से दो तीन बार कह चुका हूं, उसने अपने से जितने व्यापारी वर्ग के लोग थे उनको ठेके दे दिये। आपने आदेश दिये। वह ठेके कैंसिल किये गये और फिर टेंडर मांगे गये। इस अफसर ने पैसे लेकर ठेके दिये थे और वह कैंसिल हो गये तो इसने कहना शुरू कर दिया कि यह स्कीम फेल हो गयी। जो ऐसे अधिकारी हैं उन पर आपको निगाह रखनी पड़ेगी। अगर ऐसे अधिकारियों पर आपने निगाह न रखी तो आप को दिक्कत होगी।

मेरा यह भी सुझाव है कि डिवीजनल लेबुल पर एक कमेटी बनावें जिसको पावर्स हों कि जिले के किसी भी परचेजिंग सेंटर पर जाकर वहां के कारोबार को देख सके। जो लोग इंस्पेक्टर्स की जगह भर्ती हुए हैं और जिन्होंने पहले से अपने बजट बना रखे हैं।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कि इस साल इतनी आमदनी करनी है यह प्रोग्राम करना है और यह कार्यवाही करनी है तो वे सारे के सारे उसी वर्ग से जुड़े हुए हैं जो वर्ग चाहता है कि आपकी यह स्कीम नाकामयाब हो।

इसकी तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे कोई भी सूरत करनी पड़ी मगर दिन के दिन किसान का गल्ला खरीद लिया जाए और उसको पेमेन्ट मिल जाए। किसान को रुपया मिलने में दिक्कत होती है। इसलिए वह 2 रुपये कम पर चेक बेंच देता है। दूसरी बात यह है कि कहीं सरकारी अधिकारी पूरा इंतजाम न कर पाएं और कहें कि बोरे नहीं हैं, तोला नहीं है, कांटा नहीं है और गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है। तब किसान यह सोचने पर मजबूर होगा कि यहां रात भर पड़े रहेंगे और कहां सिर छुपाएंगे। उसको डर होगा कि रात में कोई उसका माल न लूट कर ले जाए। मजबूर होकर वह आढ़तिये को सस्ते में बेंच देगा। उनसे सरकारी अधिकारी मिले हुए होंगे। उनकी सांठगांठ होगी कि दिन छुप जाए तो हम खरीद लेंगे। इस चीज की देखभाल करनी होगी। आप ऐसा कानून बना दे कि जिस दिन किसान गल्ला लायेगा उसी दिन वह तौल लिया जायगा और उसका पेमेन्ट कर दिया जायेगा।

अगर आप पूरा पेमेन्ट कैश में न कर सकें तो 500 रु0 तक का जो पेमेन्ट हो वह आन दि स्पोट कैश में कर दिया जाए ताकि छोटा किसान पर्चेजिंग सेन्टर की बुराई न करे और वह दूसरों से यह न कहे कि मैं फलां पर्चेजिंग सेंटर पर गया था वहां कोई पूछने वाला ही नहीं है, न पानी का इन्तजाम, न तुलाई का इन्तजाम और न ठहरने की जगह।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। बुरन्देशी की बात है। पिछले साल आपने 8 1/2 लाख टन गेहूं खरीदा था और सारा का सारा एफ0 सी0 आई0 को दे दिया था। सूबे के अन्दर खुशकी पड़ गयी और खरीफ की फसल नहीं हुयी। इस साल भी कुदरत की मार थी। बिजली की कमी हो गयी। आपने जो उम्मीद लगायी थी कि इतने लाख टन गल्ला चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत पड़ गयी और उसको मागने के लिए एफ0 सी0 आई0 के पास गये। तब उन्होंने कहा कि हमारे सामने मद्रास है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। यह बात सही है कि वे सब सूबे भी हमारे सामने हैं। उस वक्त व्यापारियों ने हमारे सामने परेशानी पैदा कर दी और गेहूं 140 रु0 फी क्विंटल बेंचा जिसको 60 रु0 के हिसाब से खरीदा था। अगर आप कोई ऐसा प्रयास कर सके कि जितना गल्ला आप खरीदें उसका कम से कम 15 प्रतिशत अपने स्टेट के बफर स्टाक में रखें तो बड़ा अच्छा होगा। आप सिर्फ 75 परसेंट एफ0 सी0 आई0 को दें, खुदा न खास्ता अगले साल ऐसी सूरत फेस करनी पड़ी तो आपको बड़ी मुश्किल हो जायेगी।

एक बात और कहना चाहता हूं। इस स्कीम के सिलसिले में पहले से परेशानी है। कीमत को आप सब्सिडाइज कर सकते हैं। किसान की जरूरत की चीजों को जैसे लोहा, सीमेंट, शक्कर, कपड़ा देने में 10 रु0 का सब्सिडी रेट तय कर दें तो वह समझेगा कि उसका गेहूं बजाए 76 क 86 रु0 क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं उसकी तारीफ तो माननीय शम्भूनाथ चौधरी को भी करनी पड़ेगी।

इसमें कोई दो रायें नहीं हैं लेकिन श्रीमन् फिर इसी से काम नहीं चलेगा, इसमें रात दिन दौड़ना पड़ेगा। आपको सूबे के लेबिल पर विजिलेन्स कमेटी बनानी होगी जिसकी मान्यता हो और जिले का कलेक्टर और आपका स्टाफ जिसको मान्यता दे। जो लोग जब चाहें जाकर चेक कर सकें इसका उनको अधिकार रहे। इस तरह की कमेटी डिवीजनल लेबिल और जिला के लेबिल पर बनाने की जरूरत है। अब मैं कुछ बातें आपके विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस विभाग पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। आप इस मंत्रिमंडल के सब से मजबूत आदमी हैं लेकिन ब्योरोक्रेसी कुछ होने नहीं देती है।

आप के यहां मिसाल के तौर पर अब्दुल जब्बार एक मार्केटिंग इन्सपेक्टर है। उसकी 28 साल की सर्विस है। उसका ए कैटेगरी में नाम है। जब सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर का चुनाव हुआ तो 4–1–73 को उससे 3 जूनियर आदमी ले लिये गये। उसके बाद फिर

[श्री रियासत हुसैन]

55 लोग लिये गये जिसम 19 उससे जूनियर थे और अभी 31 तारीख को फिर 55 चुने गये हैं लेकिन उसका नाम नहीं है। इसका क्या कारण है? उसके लिये कमिश्नर ने भी सिफारिश की है। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले को देखें और जो भी आफिसर हो, चाहे वह कितना ही बड़ा हो, जो रोड़े अटका रहा है उसको सजा दें। कहीं ऐसा न हो कि उसके दिमाग में यह आ जाय कि उसका नाम अब्दुल जम्मार है इसलिये सुपरसीड किया जा रहा है। यह बहुत बुरी बात होगी। आप स्वयं इस बात को देखें।

आप के इस सिक्रेटेरिएट से आपको याद होगा कानपुर राशनिंग में 34 लोग गये थे। वह लौटकर वापस आ गये हैं। सभी को जगह मिल गई है लेकिन 5, 6 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में श्री मंगला प्रसाद और श्रीपति मिश्र ने भी आदेश किये थे लेकिन ब्योरेक्रेसी ने उनको माना नहीं है। आप ऐसे मंत्री हैं जो फैसला करना जानते हैं, समाजवादी कदम उठाना भी जानते हैं, और समाजवादी लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे यह भी जानते हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त करना है तो स्वयं देखना पड़ेगा और जिले जिले के लेबिल पर कमेटी बनानी पड़ेगी। इस थोक व्यापार में देश के 5, 6 प्रतिशत लोग केन्द्र बने हुये थे उनको दूर करके समाप्त करने का प्रोग्राम गिनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई समाजवाद सफल नहीं हो सकेगा। यह कहकर मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है। आपने इस पर बोलने का मुझे अवसर दिया है इसलिये मैं बड़ा अभारी हूं। एक प्रश्न यहां उठाया गया कि यदि गेहूं का भाव ठीक नहीं होगा तो किसान गेहूं बोना बन्द कर देगा। यह सही बात है।

कुछ लोगों की यह आलोचना होती है और जैसा माननीय भानुप्रताप सिंह ने कहा, यह सबसे बड़ी गद्दारी है। मान्यवर, कुछ समय भी ऐसा आ गया है कि गद्दारी करने वाला वर्ग ही प्रशंसित होता है, उसकी मांगें पूरी की जाती हैं। जो पार्टी या वर्ग जितना ही गद्दारी का परिचय देगा वह उतना ही सरकार का आदमी बन जायगा, कुछ ऐसी भावना बनती जा रही है। पिछली हड़तालों में आप देखें कि चाहे प्रदेश का काम बिलकुल ठप हो जाय, प्रदेश बर्बाद हो जाय, घाटे पर घाटे में चला जाय, सारी योजनाएं चौपट हो जाय, लेकिन जितनी ही गद्दारी की बातें सामने लायी जाती हैं—चाहे मांग के रूप में या और प्रकार से उसी को मान्यता मिल जाती है। बहुत सी पार्टियां हैं जिनको शासक दल ने गद्दार समझ कर अवांछनीय घोषित कर दिया था, लेकिन आज उन्हीं के बगलगीर बनी हुई हैं। उसी नकाब को ओढ़ करके, या कांग्रेस के रुलिंग पार्टी के नकाब को ओढ़ करके ऐसी पार्टियों की आज मान्यता है, हर जगह उनके मर्यादित किया जा रहा है, उनकी नीतियों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

गल्ले के उत्पादन के संबंध में, हमारा बहराइच जिला नैपाल से सटा हुआ है। पहाड़ी नाले बहते रहते हैं, करीब-करीब सारा फ्लडेड एरिया है। घाघरा तथा अन्य नदियां, नाले बहते रहते हैं और इस प्रकार लगभग सभी फसलें समाप्त होती रहती हैं। केवल गन्ना ही वहां ऐसी चीज है जो किसानों को सम्पन्न बना सकता है। मैंने 15–16 वर्ष, बल्कि इससे भी पहले जबकि हम नये जाकर बसे तो सोचा कि गल्ले से कामयाब नहीं होंगे, इसलिए गन्ना बोया जाय। गन्ने से अच्छा रिटर्न हम किसानों को मिलेगा। हम लोगों न एक दूसरे को उत्साहित किया और गन्ना बोया और उसमें सफल भी रहे। लेकिन उसी समय देश में अन्न का संकट बहुत दिनों से चला आ रहा था। अपने सरसंघ संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरुजी का मैंने एक भाषण सुना। उसमें उन्होंने 17–18 वर्ष पहले की बात है, कहा था कि हमारा देश गन्ने, शक्कर के बगैर जी सकता है, मगर गल्ले बगैर नहीं जीयेगा, न देश की मर्यादा रहेगी, इसलिए किसानों को चाहिए कि गन्ना न बोयें, गल्ला बोयें। यह मैं मानता हूं कि गन्ना

किसानों के लिए अधिक हितकर है, मगर देश की मर्यादा, आवश्यकता के लिए गल्ला अधिक हित कर है। आप विश्वास करें या न करें, मैंने निश्चय कर लिया।

एक छोटी सी बात कह दूं, मैंने दूसरे वर्ष, जिस वर्ष मैंने गन्ना इंट्रोडूयूस किया तो 30 बीघे गन्ने के खेत में इतना गन्ना हुआ कि 8 रुपये मन का गुड़ बेचा तब भी 10 हजार रुपया हमको मिला। इतना अच्छा बम्पर क्राप पैदा हुआ। मगर यह भाषण पढ़ने के बाद हम सब किसानों ने निश्चय किया कि गल्ला बोयेंगे और देश की मर्यादा कायम रखने की आवश्यकता है। मगर आज कुछ दिनों से देखता हूं कि वही जो गद्दार हैं, जिनको स्वयं शासक दल गद्दार कहता था, आज उनके दाहिने हाथ बैठ कर उनसे मश्विरा किया जाता है, सारी योजनाओं को वह कार्यान्वित करते हैं, चाहे उससे देश का हित हो या न हो। देशभक्त ठुकराये जा रहे हैं। राज्य कर्मचारी और सभी वर्ग जब तक यह समझते थे कि हमारा देश हमारा है, हमारा परम कर्तव्य है देश हित के लिए कर्त्तव्य पालन करना, तब तक वे भूखों मरते रहें, उनको कोई मान्यता नहीं दी गयी उनका दिल मसोसता रहा गद्दारी का कदम उठाने के लिए मगर सरकार मजबूर करती रही है।

इसी प्रकार से किसान वर्ग भी आज दुखित है कि उसकी गरीबी बढ़ती जा रही है, उद्योगपति करोड़पति होता चला जा रहा है। जमींदारी एबालिश हुआ गांव में, सीलिंग हुई गांव में, फिर सीलिंग हुई गांव में, शहरों की कोई सीलिंग नहीं, शहर का लखपति करोड़पति बने, करोड़पति अरबपति बने, गांव मे जो दो वक्त भोजन करने वाले हैं वह एक वक्त भोजन करें, ऐसी नीति सरकार की बनती चली जा रही है। जीवन की सारी चीजें वह शहर से खरीदता है। जैसा कि भानुप्रताप जी ने बताया, 87 परसेंट, 130 परसेंट और 80 परसेंट तक कीमतें बढ़ी हैं 66–67 से। किसान की चीजें सस्ती से सस्ती खरीदी जा रही हैं।

सरकार की नीति समझ में नहीं आती कि इस प्रकार 85 प्रतिशत को दरिद्र करके क्या हरितक्रान्ति के नाम पर खूनी क्रान्ति लायी जा रही है? क्या बैलेट के बजाय बुलेट पर विश्वास करने वाली पार्टी यह चाहती है कि देश में बुलेट चलाने की परिस्थितियां पैदा हो जायं जबकि हमारे देश का गरीब से गरीब देशभक्त है, तीन समय के बजाय एक समय भोजन करके सन्तोष से सो जाता है लेकिन क्रान्ति का नाम नहीं लेता? क्या यह गल्ले का व्यापार अपने हाथ मे लेकर भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या जो चीजें सरकार ने अपने हाथ में लीं उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जैसाकि रियासत हुसैन साहब ने कहा, 5–10 प्रतिशत वर्ग, ही देश के लिये गल्ला पैदा करता है और बेचता है, अधिकांश वर्ग गल्ला खाता है। लेकिन जब टोटल राशनिंग हो जायगी तब क्या उन लोगों तक गल्ला सही तरीके से पहुंच सकेगा? क्या भ्रष्ट कर्मचारी उसमें अपना हाथ साफ नहीं करेंगे? क्या किसानों का गल्ला सस्ते रेट पर नहीं खरीदा जायगा? क्या किसानों को और गरीब नहीं बनाया जायगा। मेरी बात मान लीजिये, गांवों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है कि उपभोक्ता को गल्ला न मिले और किसान को पैसा न मिले। किसान का गल्ला बोने का उत्साह खत्म हो जाय और गांव के लोगों को खाने के लिये गल्ला न मिले और खूनी क्रान्ति आ जाय। इसी नीति पर यह सरकार चल रही है और गल्ला व्यापार को अपने हाथ में ले रही है।

कहा गया कि गल्ले की कीमत निर्धारित करने में कठिनाई है। माननीय भानु प्रताप जी ने सही कहा कि कृषक जो हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं उनको स्वयं ज्ञान नहीं है। गल्ले की कीमत को निश्चित करने में जब तक उनकी फसल इन्श्योरेंस नहीं किया जाता, जब तक किसानों को यह विश्वास नहीं होता कि उनकी फसल का इतना रुपया मिल जायागा तब तक पता नहीं कितनी मुसीबतें किसान पर आती ही रहेंगी।

हमारे यहां तराई में मेन क्राप लाही की होती है। इस साल लाही की इतनी अच्छी थी फसल कि हम सोचते थे कि तीन साल से जो फसल बरबाद हो रही है उसकी कमी पूरी हो

[श्री पारसनाथ सिंह]

जायगी। लेकिन जो 15 दिन कोल्ड वेव चली तो 30 परसेन्ट ही लाही की फसल रह गयी। तो जब तक उनकी क्राप का इन्श्योरेन्स नहीं होता तब तक उनको बड़ी कठिनाई है।

सरकार आज कल सन् 74 के चुनाव को सामने रख कर सस्ता कपड़ा बिकवा रही है। यह सस्ता कपड़ा कोई मिलमालिक अपनी ओर से नहीं बिकवा रहा है। सरकार उनको सब्सीडी दे रही है। इसी तरह से सरकार इस गल्ले के मामले में भी किसान को सब्सीडी देने की व्यवस्था क्यों नहीं करती है? इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज सरकार ने गल्ले के थोक व्यापार को जो अपने हाथ में ले लिया है, इसको लेकर विरोधी पक्ष की ओर से काफी भ्रांतियां पैदा की जारही हैं। त्योरस साल जब किसान का गल्ला बरसा होने के कारण भीग गया था तो यही व्यापारी लोग 40 और 45 रुपये क्वींटल के भाव से उसका गल्ला खरीद रहे थे। मैं भी जब अपना गेहूं लेकर आया तो उसका भाव 45 रुपये का लगाया गया। मैंने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि मैं इसको गड्ढे में डाल दूं। पर सरकार ने अपनी एजेंसियों को खरीदारी के लिये भेज दिया। उससे किसानों को बड़ी राहत मिली। वे खुशी से यह देख कर नाच उठे कि अब ठीक कीमत पर उनका गल्ला सरकार खरीद रही है।

मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि इन थोक व्यापारियों ने बड़ा ही जघन्य अपराध किया है। जब भी कभी भूकम्प आये, अकाल पड़ जाय, आग लग जाय, युद्ध हो जाय, हर चीज की कीमत वही रहती थी, पर गल्ले की कीमत बेतहाशा बढ़ जाती थी और यह लोग अपनी तिजोरियां भरते थे। आज सरकार ने जो ठोस कदम उठाया है उसके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहिये था। यह बड़ा ही सराहनीय कदम सरकार ने उठाया है। मैं जानता हूं भानु बाबू बड़े ही अच्छे काश्तकार हैं। मैं जब छोटा था तभी से वे खेती करते थे। बहुत अच्छी खेती वे करते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि उनके पिता जी उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर रहे हैं। मैं यह भी जानता हूं कि उस समय भानु बाबू जो गेहूं पैदा करते थे वह बाजार में यदि दूसरा गेहूं 50 रुपये के भाव से बिकता था तो इनका गेहूं 150 रुपये के भाव से बिकता था। आज भी उनका गेहूं डेढ़ रुपये किलो बिकता है। वे सचमुच अच्छे काश्तकार हैं और अच्छा गेहूं पैदा करते हैं।

आज गल्ले की बात यदि देखी जाय, तो प्रदेश का 90 प्रतिशत किसान चैत-बैशाख में कम मूल्य पर बाजार में बेच देता है, क्योंकि गेहूं को रोकने की उसके पास क्षमता नहीं है। केवल 10 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिसके पास गल्ला रोकने की क्षमता है। वही गल्ला रोक कर उसे मनमाने भाव पर बेचते हैं। लेकिन जो वास्तव में पैदा करता है और अपनी आवश्यकताओं से विवश होकर सस्ते मूल्य पर बेच देता है, वही आगे चलकर कुछ महीने बाद उसे अपने खाने के लिये महंगे मूल्य पर खरीदने के लिये विवश होता है।

हमारे खाद्य मन्त्री को सब लोग जानते हैं, आज तक उनके जैसा सख्त और अच्छा अफसर नहीं रहा है। यदि यह नहीं चला सके तो, मैं समझता हूं कि कोई भी इसे नहीं चला सकेगा। यह किसानों से 76 रुपये में खरीदा जायगा जब वह एफ0सी0आई0 के पास जाएगा तो पर 26 रुपये क्वींटल के दाम चार्ज करेगा। श्रीमन्, मेरी समझ में वह खर्च बहुत अधिक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव संघ, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन जो हैं, जिसके पास गल्ला भंडारण की काफी क्षमता है, उनसे इस सरकार को पूछना चाहिये कि वे अपने गोदामों में कितनी मार्जिन पर गल्ले का भंडारण कर सकते हैं। मैं समझता हूं वह कम लागत पर यह काम करने में सक्षम होंगे। केवल एफ० सी० आई० को एकाधिकार दे देना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। जबकि ऐसी संस्थाएं इस प्रदेश में हैं जो इसे आसानी से कर सकती है। इसलिये मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको इस दिशा में देखें।

जहां गल्ले की खरीद हो रही है, पूरे प्रदेश में खरीद का जाल बिछ गया है। हमारे जिले में देहातों में एफ० सी० आई० और मार्केटिंग के जरिये कोआपरेटिव के द्वारा 63 दुकानें खोली गई हैं। हमने यह व्यवस्था की है कि हर आदमी से उसका गेहूं उसके स्थान पर खरीद करेंगे। इसलिये उन्हें नगद भुगतान करने की बात कभी सरकार न करे। हर काश्तकार को गल्ले की कीमत चेक के द्वारा दी जाए। जहां पर बैंक हैं, उनके द्वारा वह उनका पैसा देने की व्यवस्था करें।

जो गल्ला इस समय बाजार में नहीं आ रहा है, उसके लिये उधर से बड़े जोरों से कहा गया कि किसान सस्ता गेहूं आपको नहीं देगा, हम नहीं देने देंगे। क्योंकि उसका भाव कम है। मैं कहता हूं वे भाई लोग अपने सीने पर हाथ रखकर सोचें कि प्रदेश में आज जो भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उसके लिये कौन जिम्मेदार है। तरह-तरह के वक्तव्य देकर ये विरोधी लोग किसानों को बरगला रहे हैं, जैसे कि तुम अपना गल्ला रोके रहो, सरकार इसका दाम बढ़ाएगी, हम दबाव डाल रहे हैं। यह लोग इस तरह से अनिश्चितता का वातावरण पैदा कर रहे हैं वे गरीब आदमी की बात सोंच जिनको गेहूं किसान का नहीं मिलेगा, उनकी क्या बुरी दशा होगी। जनसंघ और बी० के० डी० के लोग इसका जवाब दें। चौधरी साहब (शम्भूनाथ) जबसे बी० के० डी० में चले गये हैं तब से सरमायेदारों की तरफ हो गये हैं, नहीं तो बड़ी अच्छी बातें कहा करते थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, उनसे कहिये, कुछ समझदारी वह अपनी हमें दे दें।

श्री राजबहादुर चन्द—

मैं नहीं, भगवान देंगे। क्योंकि आप तो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मैं एक बात कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी से कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ और ब्लैक मार्केटिंग जो करवाते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ इस सदन में और इसी सत्र में एक कानून पास किया जाय। केवल जुरमाना न हो।

श्री रामबिलास पांडेय—

भ्रष्ट मन्त्रियों को भी शामिल कर लीजिये।

श्री राजबहादुर चन्द—

अगर कोई भ्रष्ट कर्मचारी पकड़ा जाता है तो केवल डिस्मिसल दंड नहीं है। उसका ट्रायल हो। हर आदमी को सजा दी जाय। इस सत्र में एक ऐसा कानून लाना चाहिये जिससे कड़ाई से पालन हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, यह खाद्य की समस्या पर जब हम विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है इसके पूर्व जहां हमारा केन्द्र गुलामी की निशानी था, वहां आज सांस्कृतिक गुलामी का निशान बन गया है। सबसे बड़ा कुफल देश को इसका भोगना पड़ रहा है कि सोचने की शक्ति हमारी खत्म हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य कल जारी रखेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनायें आयी हैं। एक लखनऊ मेडिकल कालेज के मौलिक एवं व्यावसायिक चिकित्सा के छात्रों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में माननीय कृष्णस्वरूप वैश्य और राजेन्द्रकुमार शर्मा की केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार है। माननीय अनन्तराम जायसवाल की पुलिस मूसानगर, जिला कानपुर के विरुद्ध संसोपा की अगुवाई में हुए प्रदर्शन को दबाने के सम्बन्ध में सूचना केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी है। माननीय कल्याण सिंह और माननीय नेतरामसिंह—दिनांक 2—4—73 को आजमगढ़ जिले में बेलनाडीह थाना कोतवाली में श्री प्रदेशीराम राजभर की राजनैतिक कारणों से निर्मम हत्या। यह भी वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी है। शेष अस्वीकार है। अल्प सूचित प्रश्न के विषय हैं। माननीय सदस्य उधर ध्यान लगायें।

आज अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 4 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
4 अप्रैल, 1973।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 533 पर)

16—(क) जिला शाहजहांपुर में निम्नलिखित सड़कों पर टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 में मिट्टी का कार्य हो रहा है—

1—पुवायां-निगोही मार्ग का छूटा भाग

2—जरीनपुर-ढाईघाट मार्ग का छूटा भाग

3—बड़ा देवकली-बवीची मार्ग का छूटा भाग

4—खुटार—शेरामऊ

5—नवीची से कैनाल तक

6—मिर्जापुर परारे

7—फतेहगंज—दातागंज

8—बरेली-इटावा मार्ग का कुछ भाग

9—बन्डा-पुरनपुर

10—बन्डा-देवकली नरीची

उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त निम्नलिखित सड़कों को टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत लिये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा किया गया था जिनमें से केवल मनपुरा-खेड़ा रठ मार्ग पर मिट्टी का कार्य प्रारम्भ गया है।

1—देवकली से पिपरिया अजमतपुर

2—जिनदपुर स्टेशन से लोहरगवां

3—मनपुरा से खेड़ा रठ

4—मिर्जापुरा से किलापुर

5—बझेड़ा से चौकी अजमतपुर

6—खण्डेलवाल फार्म से बदिपुरा

7—चांदापुर से कुरियां कलां।

संसद सदस्य

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 534 पर)

सूचना

उन मार्गों का नाम जिन पर काम हो रहा है	कार्य पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि
1—लखनऊ सन्डौस मार्ग का सुदृढ़ीकरण	दिसम्बर, 1973
2—लखना चकरनगर मार्ग को सन्डोस तक बढ़ाकर बनाना	जून, 1973
3—मुरादगंज फफूंद मार्ग का निर्माण	दिसम्बर, 1973
4—दिबियापुर बेला मार्ग का पुर्ननिर्माण	दिसम्बर, 1973
5—अछन्दा विधूना मार्ग का पुर्ननिर्माण	दिसम्बर, 1973
6—ककोर कंचौसी बाजार का निर्माण	मार्च, 1974
7—उदी चकर नगर मार्ग का निर्माण	जून, 1974
8—भर्थना विधूना मार्ग का निर्माण	जून, 1974
9—फफूंद अछल्दा मार्ग का निर्माण	मार्च, 1974
10—उभरी, कुंवर-फूफ चौरिला मार्ग का निर्माण ..	दिसम्बर, 1974
11—भर्थना उसराहार मार्ग का निर्माण	दिसम्बर, 1974
12—इटावा भर्थना मार्ग	अगस्त 1973
13—ऐवा कटरा कुदर कोट मार्ग	अगस्त, 1973
14—भीखेपुर जुहीखा मार्ग	अगस्त, 1973

मार्ग जिन पर सूखाग्रस्त योजना के अन्तर्गत मिट्टी तथा पुलियों का कार्य हो रहा है	कार्य पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि
1—इटावा भर्थना मार्ग	31-3-73
2—ऐरवा कटरा कुदर कोट मार्ग ..	,,
3—भीखेपुर जुहीखा मार्ग ..	,,
4—ककोर कंचौसी मार्ग	,,
5—निबाडी बैवाह मार्ग	,,
6—दिवियापुर विधूना मार्ग	,,
7—भर्थना उसराहा मार्ग	,,
8—लुधियानी निवाडीव मार्ग	,,
9—अछल्दा अटसू मार्ग वाया बधुआ	,,
10—इटावा मानिकपुर कसौदाघाट मार्ग	,,
11—इब्राहीमपुर बंसोली घाट मार्ग	,,
12—इटावा कुम्हावर मार्ग	,,
13—इटावा कचौरा घाट मार्ग	,,

विधान सभा

14—निबाड़ी कलां बल्लापुर मार्ग ..	..	31—3—73
15—ऐरवा कुदर कोट मार्ग से भेदपुर ग्राम तक	..	"
16—ऐरवा कुदर कोट मार्ग हमीरपुर ग्राम तक	..	"
17—रुरुगंजकुदर कोट मार्ग से मुरादपुर तक ..	..	"
18—भर्थना विधूना मार्ग से ग्राम बीबीपुर तक	..	"
19—रुरुगंज कुदरकोट मार्ग से ग्राम इकधरा तक	..	"
20—ऐरवा कटरा से पहाड़ी तक लिंक रोड	..	"
21—भर्थना विधूना मार्ग से नगला चन्द्र दत्त तक	..	"
22—नगला धोकल से गंज कुदर कोट मार्ग तक	..	"

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी 28 एल० ए०—1974—835.